न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

NEWS LETTER

FOCUS AREA FOR MAY 2021

HEALTH AND LEGAL AWARENESS FOR JAIL INMATES

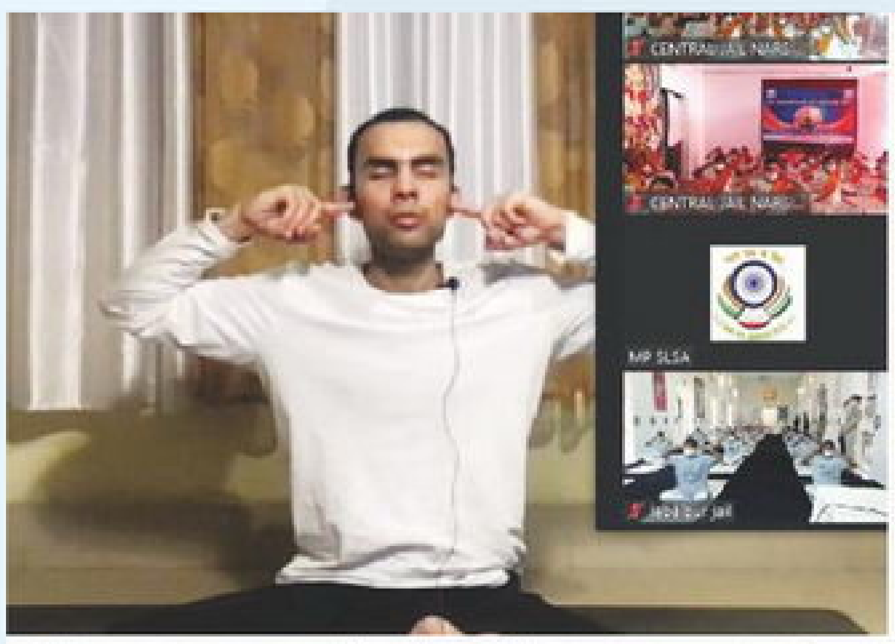

Madhya Pradesh State Legal Services Authority
Jabalpur

TABLE OF CONTENTS

S.No	SUBJECT	Page
1.	Editorial Note	2
2.	Mental health & Legal Awareness camps for Jail Inmates	3-12
3.	Articles of Jail Inmates	13-22
4.	Under Trial Prisoners Monitoring	23
5.	Action Taken for Jail Inmates in pursuance to Court Orders	24
6.	Consultation for the cause of Acid Attack Victims	25
7.	Training Programme for prison duty holders	26
8	Jail Inspection by DLSAs	27-28
9.	Legal Services to Children, Senior Citizen & Workers in the Unorganized Sector	29-38
10.	Coordination of Urja Mahila Help Desk & Community Mediation Volunteers for Pre-litigation Mediations	3-9
11.	Online Training of Panel Advocates and PLVs	40-43
12.	Celebration of Bharat ka Amrut Mahotsav	44-45
13.	Activities under Panch "J"	46-47
14.	Legal Services to Disaster Victims	48-67
15.	Vaccination Drive by DLSAs	68-69
16.	Corona Free Villager Programme	70-75
17.	Extending the reach of Ayushman Cards	76-78
18.	Redressal of complaints through Helpline- 15100	79

"Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will."

~ M.K. Gandhi

Giribala Singh
(Principal District & Sessions Judge)
Member-Secretary

M.P. Stale Legal Services Authority
574, South Civil Lines,
Jabalpur (M.P.) - 482001
Ph.: 0761 -2627370 (O), 0761 -2602511 (R)
Mob.: 9425163277
Fax: 0761-2678537 (O)
E-mail: mpslsajab@gmail.com
singh.giribala@gmail.com

From the Editor's Desk...

Greetings from MPSLSA!

The excruciating heat of May 2021 compounded with the impact of the corona pandemic has been a difficult time for people across the ages and wages. However, with the kind guidance of Hon'ble the Patron-in-Chicf and Hon'ble the Executive Chairman MPSLSA, the Madhya Pradesh State Legal Services Authority has endeavored to extend the arm of Legal Services to needy persons and to give effect to the schemes of NALSA and the State Government.

This Newsletter has been prepared in the midst of the jugglery of "work from home", social distancing norms under COVID protocol, vaccinations through the committed endeavors of the Para Legal Volunteers and Secretaries of the districts. The duty holders of the Prison Department have been particularly forthcoming to improve the conditions of jail inmates. Keeping this in view, the 'May' Edition of the monthly Newsletter finds place for articles of Jail Inmates with the purpose of giving them a platform to showcase their literary skills to people outside the jails.

Looking forward to candid feedback and suggestions for improvement at mslsamp@gmail.com.

Date: 31.05.2021

(Giribala Singh)
Member Secretary,

Special Initiative

Mental health and legal awareness camps for jail inmates

The Corona Pandemic has been a particularly difficult period for jail inmates as they are unable to meet their family members and the movement of the jail visiting lawyers has also been restricted. Keeping in view the plight of the jail inmates, under the able guidance of Hon'ble Shri Justice Mohd. Rafiq the Chief Justice/Patron-in-Chief, Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, a seven day Yoga, mental health and legal awareness camp was organized for all jails across the State of Madhya Pradesh. Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava inaugurated the first day session on 07.05.2021.

Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava inaugurated the camp for jail inmates

Similar camps were organized across all Central Jails. Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu, Chairman (HCLSC Gwalior) presided the opening session at Central Jails under Gwalior Division and such mental and phycal health cum legal awareness camps are scheduled for the benefit of all prisoners across the jails in Madhya Pradesh over the next two months.

Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu addressing the jail inmates (Gwalior Divison)

The valedictory session for the Jabalpur Zone was presided by Hon'ble Shri Justice Atul Sreedharan, Chairman (HCLSC Jabalpur) on 13.05.2021. In the said camp, women inmates of Central Jails, Jabalpur and Narsinghpur, inmates of District Jail, Chhindwara and Sub-Jail Amarvada, Baihar, Waraseoni, Lakhnadon and Sihora participated through online mode.

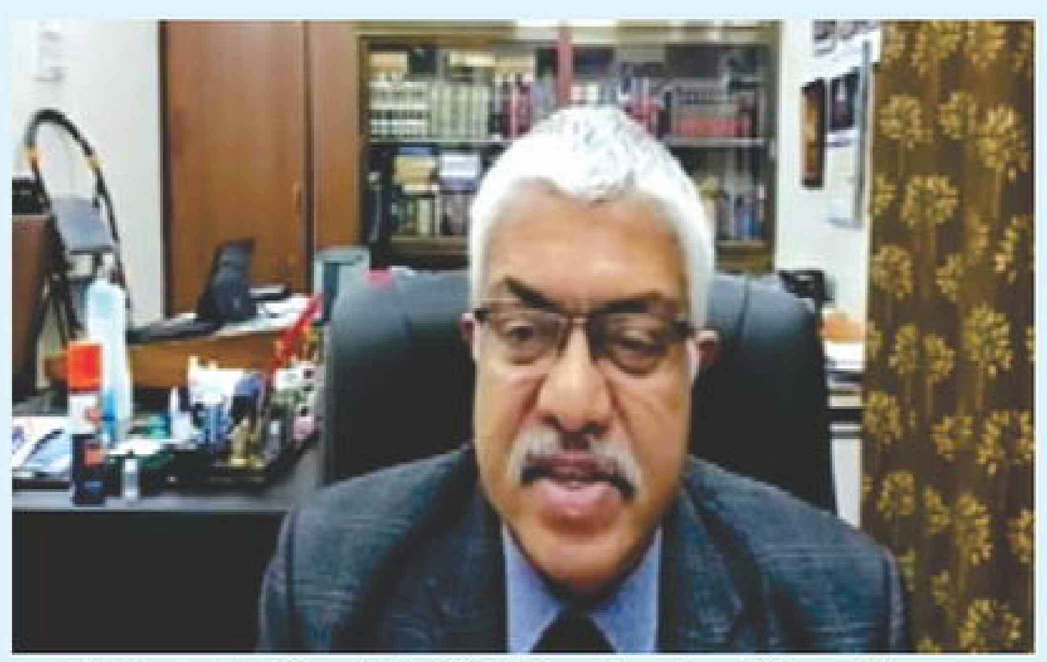

Address by Hon'ble Shri Justice Atul Sreedharan at the valedictory session

At Jabalpur Zone Shri Vedant Karmahe of Patanjali Vidyapeeth, Haridwar was the Yoga instructor while at Gwalior Shri Srikant Mishra rendered his good services.

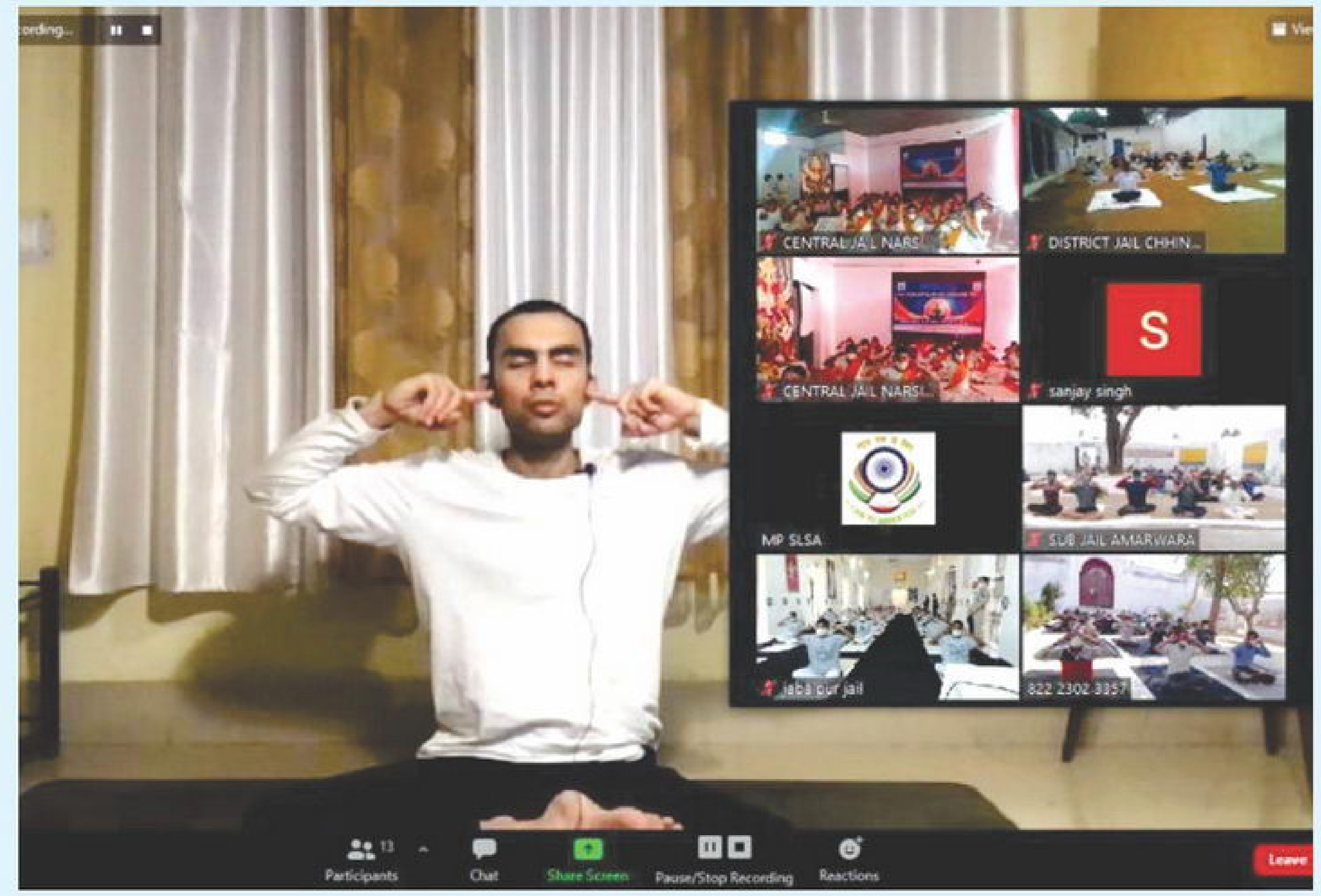

Yoga Instructor Shri Vedant Karmahe imparting yoga to Jail Inmates

The programme concluded with the experience sharing by inmates of Central Jail Narsinghpur and Jabalpur. Similar Yoga cum legal awareness camps are also being organized by the MPSLSA in coordination with the jail authorities for the mental and physical well being of the prisoners. Through each camp not only was an endeavor made for the restoration of their health but they were also enlightened about their rights and various other grievances were also resolved in phased manner.

It is expected that through this small step in this global epidemic corona transition period, the immunity of prisoners will increase and they would be made aware of their rights and duties as responsible citizens.

Jail Inmates of Central Jail Jabalpur in online Yoga cum Legal Awareness Camp

"Don't overthink, overthinking leads to negative thoughts."

~ Vivekananda

Glimpses of Mental Health and Legal Awareness Camps

DLSA ANUPPUR

DLSA ALIRAJPUR

DLSA ASHOKNAGAR

DLSA BALAGHAT

DLSA BETUL

DLSA BHIND

DLSA BHOPAL

DLSA CHHATARPUR

DLSA CHHINDWARA

DLSA DATIA

DLSA DEWAS

DLSA DHAR

DLSA GUNA

HCLSC GWALIOR

DLSA HARDA

DLSA HOSHANGABAD

DLSA JHABUA

DLSA KHANDWA

DLSA MANDLA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA MANDSAUR

DLSA MORENA

DLSA NARSINGHPUR

DLSA PANNA

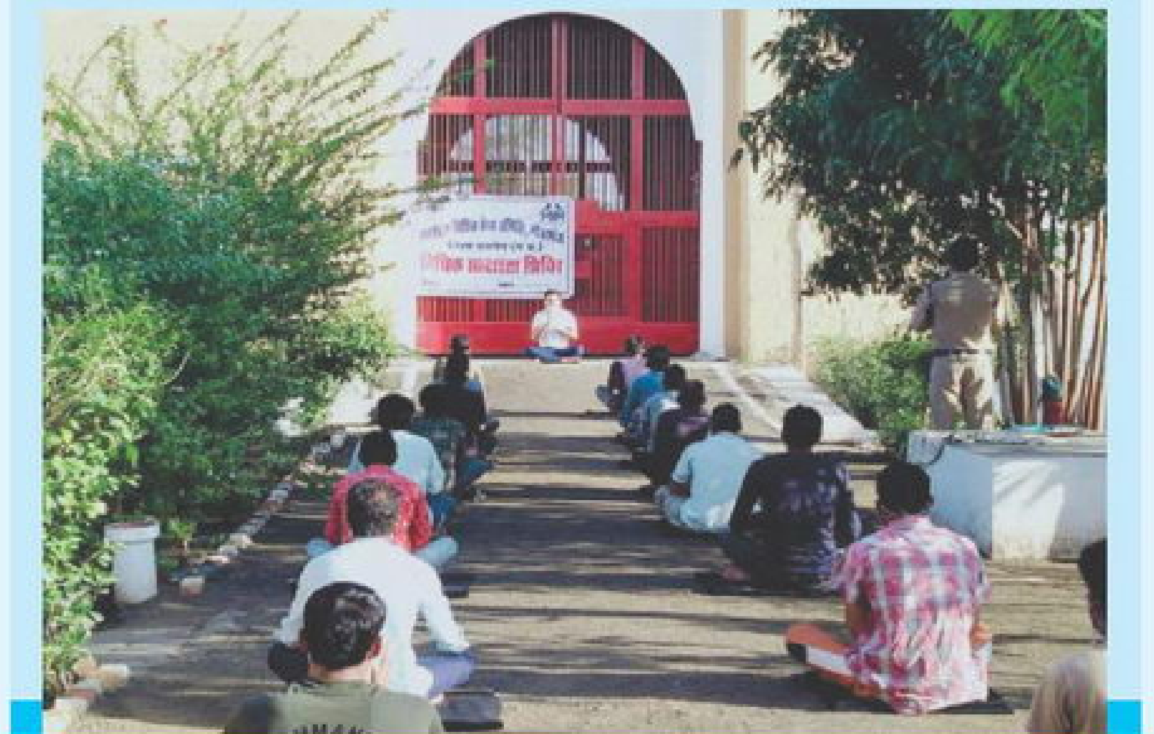
DLSA RAISEN

DLSA RAJGARH

DLSA REWA

DLSA SAGAR

DLSA SEHORE

DLSA SEONI

ACTIVITIES REPORT (MONTH - MAY 2021) NEWS LETTER

DLSA SHAJAPUR

DLSA SHIVPURI

DLSA SIDHI

DLSA SINGRAULI

DLSA TIKAMGARH

DLSA UJJAIN

Media Coverage

कोरोना काल में जेल में बंदियों के लिए योग शिविर शुरू

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोरोना काल में जेल में बंदियों के लिए 7 दिवसीय योग, मानसिक स्वास्थ्य और विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज एवं प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने शुक्रवार सुबह जबलपुर एवं नरसिंहपुर जेल की महिला बंदियों के लिए योग शिविर का ऑनलाइन शुभारंभ किया। प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में जेल के बंदियों ... है। उन्हें परिवार के सदस्यों से भी ... रहा है। उनसे मिलने के लिए पै... पर भी रोक लगा दी गई है। बंदि... शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के ... मानसिक स्वास्थ्य और विधिक ... आयोजन किया जा रहा है। योग प्र... बंदियों को योग के फायदों के बारे ...

दैनिक भास्कर Sat, 08 May 20... https://epaper...

बंदियों को जेल में कराया ऑनलाइन योगाभ्यास

जागरण, गुना। कोरोना आपदा के दौरान जेल में बंद बंदियों में मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु ऑनलाईन योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा ... दूर रहने के संबंध में समझाइश दी। तत्पश्चात् जेल में नियुक्त जेल शिक्षक मुकेश रावत एवं जेल में निरूद्ध एक दंडित बंदी द्वारा बंदियों को योगाभ्यास कराया गया। जिसमें प्रमुख रूप से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ... पेट के बल तकियों के सहारे की जाने वाली प्रोनिंग प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किये जाने के निर्देश भी दिए। ऑनलाईन योगाभ्यास कार्यक्रम में बंदियों के साथ-...

मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जागरूकता सह योग एवं मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित

राजगढ़। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहता है और स्वस्थ रहना चाहता है वही जेल में निरूद्ध बंदियों के न्यायालय में लंबित मुकदमों में सुनवाई नहीं होने व परिवार जन से मुलाकात नहीं होने से अवसादग्रस्त हो रहे हैं। उनके ...ने के उद्देश्य से ...सेवा प्राधिकरण ... एवं माननीय ...ध्यक्ष श्री प्रभात ... में तथा फारूक ...धिक सहायता ...तृत्व में आज ...: 8:00 बजे से ... जेल सारंगपुर एवं ...रूकता सह योगा एवं ...र का आयोजन ... गया।

उक्त शिविर में योग प्रशिक्षिका श्रीमती संध्या टेलर एवं योग प्रशिक्षक लाल सिंह लोधा ने बताया कि प्रतिदिन योग एवं व्यायाम के माध्यम से मानसिक तनाव दूर कर शरीर को हष्ट पुष्ट बनाया जाकर तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है साथ ही मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कई प्रकार की योग क्रियाएं, प्राणायाम तथा अन्य व्यायाम भी बताएं। जेल में निरूद्ध सभी महिला एवं पुरुष बंदियों ने ऑनलाइन माध्यम से आयोजित शिविर में प्रशिक्षक को देखकर योग, व्यायाम किए। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारुक अहमद सिद्दीकी ने जेल बंदियों को प्रतिदिन इसी प्रकार योग एवं व्यायाम करने की सलाह दी तथा मानसिक तनाव को दूर करने का उचित माध्यम बताया साथ ही बंदियों से उनकी समस्याएं सुनी।

इस अवसर पर जिला जेल राजगढ़ के सहायक जेल अधीक्षक प्रवीण मालवीय एवं उप जेल नरसिंहगढ़ के सहायक जेल अधीक्षक योगेश शर्मा, उप जेल सारंगपुर के सहायक जेल अधीक्षक संजय शर्मा एवं अन्य जेल स्टाफ ने भी शिविर में भाग लेकर सहभागिता की

कोरोना काल में जेल बंदियों के लिए सात दिवसीय योग

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कोरोना काल में जेल बंदियों के लिए सात दिवसीय योग, मानसिक स्वास्थ्य व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन शुक्रवार से प्रारंभ हुआ।

अतिरिक्त सचिव ने बताया कि कोराना महामारी के समय जेल के बंदियों के लिए विशेष रूप से कठिन समय है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने परिवार के सदस्यों से मिलने में असमर्थ है। यहां तक कि उनसे मिलने आने वाले पैनल लॉयर्स तक को जेल आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इन्हीं तमाम हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश की सभी जेलों में शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

इसका शुभारंभ शुक्रवार, सात मई को आनलाइन तरीके से हुआ। जबलपुर व नरसिंहपुर जेल की महिला बंदियों को इस आयोजन का विशेष लाभ दिया गया। योग कार्यक्रम मे पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार के योग प्रशिक्षक वेदांत कर्महे थे। केंद्रीय जेल, जबलपुर व नरसिंहपुर में दीप प्रज्जवलन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यपालक अध्यक्ष ने संवोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि इसी तरह बंदियों के हितार्थ आयोजन होते रहेंगे।

बंदियों को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जेल में कराया ऑनलाइन योगाभ्यास

गुना। कोरोना आपदा के दौरान जेल में बंद बंदियों में मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु ऑनलाईन योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों से संवाद करते हुए उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव तथा कोरोना वैश्विक आपदा में मानसिक अवसाद से दूर रहने के संबंध में समझाइश दी। तत्पश्चात् जेल में नियुक्त जेल शिक्षक मुकेश रावत एवं जेल में निरूद्ध एक दंडित बंदी द्वारा बंदियों को योगाभ्यास कराया गया। जिसमें प्रमुख रूप से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाति, उज्जयी एवं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास के अलावा ताडासन, भुजंगासन नौकासन, पदमासन एवं सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास कराया गया। कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेट के बल तकियों के सहारे की जाने वाली प्रोनिंग प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। ऑनलाईन योगाभ्यास कार्यक्रम में बंदियों के साथ-साथ जेल अधीक्षक दिलीप सिंह द्वारा भी योग कार्यक्रम में सहभागिता की गयी। ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजन में जेल के साथ कनेक्टविटी कराने में जेल प्रहरी दुष्यंत दीक्षित का सहयोग रहा।

ऑनलाइन कराया योग और प्राणायाम, कहा- इसके लिए समय जरूर निकालें

शिविर में बताया कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

ऑनलाइन योग के विभिन्न आसन कराए

विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल के बंदियों को ऑनलाइन योग कराया गया। तीन दिनी शिविर का समापन रविवार को हुआ। उद्देश्य बंदियों को योग और प्राणायाम का महत्व बताना था। आयोजन जिला जज राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में हुआ।

योग शिक्षक डॉ. दीपेश टेलर और महिला पतंजलि समिति अध्यक्ष रुक्मणी वर्मा ने जेल अधीक्षक राजेश विश्वकर्मा के समन्वय से बंदियों को तीन दिनों तक ऑनलाइन योग कराया। समापन पर अपर जिला जज राजेश देवलिया ने कहा कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम लाभकारी और उपयोगी है। सभी योग करें और निरोगी रहें। योग शिक्षक टेलर और वर्मा ने योग के आसन कराने के साथ प्राणायाम, ध्यान के संबंध में जानकारी दी। बंदियों को ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंग आसन, सेतु बंध आसन, तितली आसन, शलासन, उत्तानपाद आसन कराए गए। साथ ही इनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया। अंत में दोनों योगाचार्य ने कोरोना काल में 24 घंटे में से एक घंटे स्वयं को देकर प्रतिदिन योगासन करने की बात कही, ताकि वे निरोगी रहें।

कोरोना काल में योग एवं प्राणायाम बहुत ही लाभकारी एवं उपयोगी

कोरोना काल में योग करना फायदेमंद

आनलाइन योग शिविर का समापन, कैदियों को सिखाया गया योग

केन्द्रीय जेल में योग शिविर संपन्न

रीवा (नव स्वदेश)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में केन्द्रीय कारागार में बंदियों हेतु योग शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा द्वारा बंदियों को विधिक सहायता पेरोल व अन्य विधिक अधिकारों तथा कोरोना से बचाव के संबंध में ऑनलाइन जानकारी दी गयी व समस्याओं का समाधान किया गया। योग प्रशिक्षक अजय चौधरी ने बंदियों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मानसिक अवसाद से मुक्त व तन-मन को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के योग जैसे- सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, कपालभारती, अनुलोमविलोम, व अन्य योगासनों के संबंध में प्रशिक्षित किया। अरोग्य भारती की चिकित्सक डॉ. श्रीमती सरोज सोनी के द्वारा बंदियों को कोरोना काल में स्वास्थ्य रक्षा के संबंध जानकारी दी गयी। शिविर में वरिष्ठ कल्याण अधिकारी श्री डी.के. सारस व जेल के बंदीगण उपस्थित थे।

मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जागरूकता सह योग एवं मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित

जिला जेल और उपजेल में ऑनलाइन दी बंदियों को योग प्राणायाम की जानकारी

छिंदवाड़ा। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 2 मई को जिला जेल छिंदवाड़ा में ऑनलाइन विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। कार्य म में अपर जिला न्यायाधीश, सचिव एके गोयल, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, सहायक जेल अधीक्षक धर्मवीर उमरैया, जेल चिकित्सक डॉ.ब्रजेशदत्त शर्मा उपस्थित रहे इस दौरान बंधुओं को योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के संबंध में ऑनलाइन जानकारियां उपलब्ध कराई गई। वही बंदियों को उनके अधिकार बताने के साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान बंदियों से उनके प्रकरणों में पैरवी के लिये अधिवक्ता से मुलाकात के सबंध में भी जानकारी ली एवं बताया गया कि जो बंदी अपने अधिवक्ता से मुलाकात करना चाहते हैं तो ऐसे बंदीगण हमें बताये ताकि आपके अधिवक्ता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात कराई जा सके। जिला जेल में वर्तमान में 710 जेलबंदी निरूद्ध हैं जिनमें 2 बंदी कोविड से पि‍त हैं और 30 बंदी कोविड संदिग्ध है। जिन्हें पृथक से आईसोलेशन में रखा गया है।

अमरवाड़ा उपजेल के बंदियों को भी दी जानकारी : 3 मई को उप जेल अमरवाड़ा में ऑनलाइन विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश/सचिव एके गोयल, अपर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति अमरवाड़ा श्रीमति निशा विश्वकर्मा, शिविर में बंदियों को उनके अधिकार बताये गए और उनकी समस्याएं सुनी गई। तथा कोविड 19 के संक्रमणकाल में शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य रखने हेतु योग एवं प्राणायाम करने के लिए प्रेरित किया गया।सहायक जेल अधीक्षक एडवर्ड स्वामी ने बताया कि उपजेल अमरवाड़ा में वर्तमान में 77 जेलबंदी निरूद्ध हैं जिनमें सभी बंदियों का स्वास्थ्य ठीक है। मात्र 1 बंदी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया है।

उप जेल गौहरगंज में 63 बंदियों को दिलाया योग का प्रशिक्षण

मानसिक तनाव को दूर करता है योग

मंडीदीप। तहसील विधिक सेवा समिति गौहरगंज ने उप जेल में योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें 63 बंदी शामिल हुए। उन्हें सूर्य नमस्कार, मंडुक, शशक आसन, मकरट, भुजंग आसन का अभ्यास कराकर फायदे बताए। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि योग मानसिक तनाव दूर कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर में रक्त संचार सुचारु नहीं होने पर दर्द व रोग पैदा हो जाते हैं।

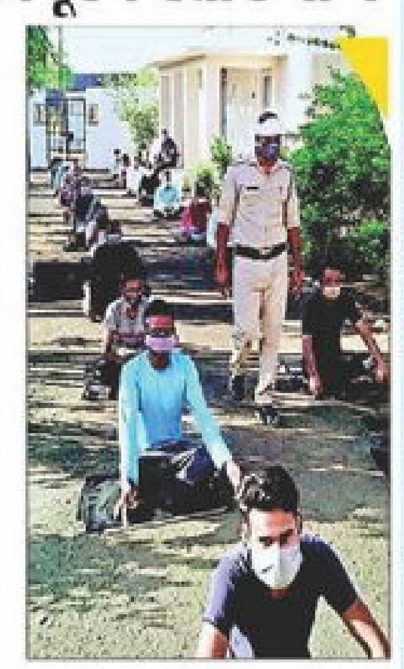

गौहरगंज उपजेल में बंदियों को दिया योग का प्रशिक्षण

हरिभूमि न्यूज ▸▸ मंडीदीप

उप जेल गौहरगंज में बुधवार को योग प्रशिक्षण शिविर का अयोजन किया गया। इस दौरान कुल 63 बंदी उपस्थित रहे। योग प्रशिक्षण में बंदियों को सूर्य नमस्कार, मंडुक आसन, शशक आसन, मकरट आसन, भुजंग आसन आदि आसनों का अभ्यास कराया गया तथा इनके फायदे एवं विशेष सावधानियों के बारे में भी बताया। योग प्रशिक्षण शिविर में सुरेखा मिश्रा अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय गौहरगंज ने ऑनलाइन बंदियों को बताया कि योग मानसिक तनाव दूर करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। जहां शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से नहीं होता वहां दर्द व रोग उत्पन्न हो जाते हैं। योग करने से रक्त संचार सुचारू रूप से होता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं।

जिला जेल में योग प्रशिक्षण शिविर

छिंदवाड़ा ▸ दबंग रिपोर्टर

जेल की पाती

मेरे जेल अनुभव

बंदीः मयंक तिवारी

प्रस्तावनाः ''मै उन सभी लोगो का शुक्र गुजार हूँ जिन्होने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरी इन चन्द लाइनों व मेरे मन के सभी भावों को इस कहानी के रूप मे उकेरने का मौका दिया यह एक अनूठा अनुभव जो मुझे जेल मे रह कर मिल पाया शायद कही और नसीब न हो पाता ''

कोरोना और मेरा जेल का अनुभव

मै जब नेताजी सुभाषचन्द बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर के अंदर प्रविष्ट हो रहा था तब मेरे दिल ने मानो मान ही लिया था की जा तेरे सारे सपने मै चकना चूर किये देता हूँ पर मेरे अन्दर की चाह और हौसला आज भी जीवित है मेरे देखे गए सारे सपनो को पूरा करने के लिए जो मैनें सपने देखे थे वह टूट गये । मुझे सजा पड़ते ही और मैनें अपने आप को उन बंद नसीबो में से मान लिया था जिनके हाथ पॉव व ऑखें नहीं होती परन्तु उनके अन्दर केवल एक आस होती है कि कही से कुछ चमत्कार हो जाये और वो हाथ से खान, पॉव से चलने व ऑखों से देखने लगें।

मुझे जल्द ही ऐसा मौका मिलने वाला था जिसको मेंरे द्वारा बाहर पूरा करने के सपने सजाऍ गए थे वो सब जेल मे पूरे होने वाले थे और वो समय जेल मे जल्द ही आ गया जिसे मै कुछ दिनो तक बोझ ही समझता रहा मुझे एक मौका दिया गया, वापस एक अच्छा इंसान बनने का मुझे पूर्वी खण्ड में लेखन कार्य करने हेतु गोल की राईटर जाली में मुझे बंदी भाईयों के लिखने पढने का काम दिया गया। पूर्वी खण्ड जिसके बारे मे कहा जाता है कि यहॉ की प्राकृतिक सुन्दरता ऐसी है जैसा बसन्त का मौसम हो और प्रकृति नई नवेली दुल्हन बन बैठी हो यहॉ ज्यादा चहल–पहल नहीं रहती है और चारो ओर सन्नाटे का माहौल छाया रहता हैं। जैसा की अक्सर गर्मी के समय दोपहर के वक्त हम महसूस करते है वैसा यहॉ हरदम महसूस किया जा सकता है। मैं यहॉ ऐसा महसूस कर रहा था मानो मुझे किसी मरूस्थल के बीच ला खडा कर दिया हो जिसका कोई ओर छोर न हो जिसें देखते ही इंसान जीने की चाह छोड दे वैसी ही मेरी हालात थी लेकिन कहते है न कि ''जो सफर मे नही रूकते उन्हे किनारा मिल ही जाता है''। मैं यहॉ हर दिन टूटता रहा और हर दिन जुडने का प्रयास करता रहा कि फिर से दिखने लगु जैसा टूटने के पहले था। मेरे निरर्थक प्रयास कब सफल हो गये मुझे पता ही नहीं चला। उस सफलता की कल्पना इतने मात्र से की जा सकती है कि जैसे आप ने रेगिस्तान मे पानी देख लिया हो । किसी ने नहीं सोचा था कि, ''ऐसा समय भी आयेगा जो लोगो को ऐसा एहसास दिलाएगा कि सुधर जाओ अब भी वक्त है पर हम कहा अपनी करतूतो से बाज आने वाले थे''।

आज का दिन मानो मुझसे कुछ कहने कि कोशिश कर रहा था और मैं अपने काम में मदहोश था तभी अचानक मेरे ही बैरिक मे मेरे साथ मे रहने वाला मित्र प्रशांत आया और मुझसे कहा, सुना है कि कोरोना नामक वायरस चीन से मार्केट मे आया है, मैन अपने दोस्त से मजाक में कह दिया कि चल मार्केट से इसे खरीद लाते है मेरे दोस्त मेरी बातो पर जोरो से हॅसने लगे मुझे कोरोना के बारे मे कुछ ज्ञात नहीं था परन्तु मैने अपने आप को इसका ज्ञाता मान लिया और लोगों को कोरोनो के बारे गलत जानकारी देने लगा और शाम होने वाली थी तभी मेरे बैरिक के अन्दर जाने का समय आने वाला था मेरे दिमाग मे

जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा ज्ञानी मानता था और मेरे अन्दर काम की जल्दबाजी जिसकी मुझे आदत सी बन गयी थी वही मन हमेशा मेरे ऊपर हावी होने का प्रयास करता रहता है और मैं फालतू की अटकलें लगाने लगा की शाम को मेरे मित्रो के द्वारा कैसे–कैसे सवाल पूछे जाएगें और मुझे कैसे उन्हे झूठे उत्तर देकर विश्वास करवाना था और देखते ही देखते शाम हो गई।

शाम के लगभग 7 बजे मेरे बैरिक का सीन बैरिक को ऐसा बनाया गया था मानो कोई मंत्रणा स्थल हो और सभी के भाव–विचार एक– एक कर यहॉ सुना जाना है यह बिल्कुल एक बड़े हाल की तरह था। सभी लोग आपस में बाते कर रहे थे मानो कोई भीषण मुद्दा छिड़ गया हो ऐसा माहौल बन गया तब देखा जा सकता है जब पाकिस्तान और भारत बॉर्डर के बीच मान लो अभी युद्ध छिड़ने वाला है एवं सभी नेता न्यूज चैनलों मे अपना मत रखने के लिए तैयार हो गए और वो अभी इसी वक्त लड़ पडेंगे या फिर बिल्कुल वैसा मानो सदन मे कोई बिल प्रस्तावित होने वाला हो और सभी पक्ष के नेतागण इस बिल को पारित कराने के लिए तैयार हो और विपक्षी नेता इस सिरे से खारिज करने के लिए ऐसी सभा का थोड़ी देर के लिए में अपने आप को राज्य पाल बना लेना चाहता था। तभी मेरे बिस्तर पर बंदी/ हवालातियों का हुजुम लगने लगा, मैनें देखा मेरे सामने भिण्ड के रहने वाले तीन साथी हरेन्द्र, विष्णू और दीपू जो बिल्कुल जड़ दिमाग के हाथी के समान विचारधारा वाले लेकिन वक्ता शैली ऐसी मानो बोलने पर उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति धमकी दे रहा हो वो गुस्से मैं आया तो अभी एक परमाणु बम छोड़ देगा। यदि एक हाथी बौरा जाये तो सब तहस नहस कर देता है। प्रशांत राईटर ये ऐसा था मानो अपनी हुकुमत का ये स्वयं बादशाह हो और मैं कोई भी अच्छी बात करू तो वो सिरे से खारिज कर दे जैसे कोई ऋशि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठा हो और असुर ने उसे देख लिया हो यज्ञ को अभी अपनी जादुई शक्तियों से तहस नहस कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही था। दयाशंकर और भोला इन दो अजूबे के बारे में तो आपको बताना ही भूल गया वो दोनों शांत इस तरह जैसे कोयल बोले तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि कुमार विश्वास जिसे देखते ही आप अपनी हॅसी को रोक न पाए ।

दयाशंकर के हुलिये का विवरण जैसे की पादरियों का ढ़ीला ढ़ाला चोला किसी ने इसके नाजुक बदन पर डाल दिया हो, चले तो ऐसा लगे कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन घुघट को ओढ़ कर चलने का प्रयास कर रही हो और शर्मिली इतनी जैसे कि, एक आइस्क्रीम हो और थोडी देर में अभी पिघलना शुरू हो जायगी जिसका शुभ नाम हमने बिन्ना रखा थे। इस शब्द का अर्थ शायद हमको ही मालूम था मेरी समझ इसका अर्थ निकालती है सबसे हटके अलग और वो वैसा ही था। एक मेरी बातो को सिरे से काट देने वाला बंदी भी वहा मौजुद था जिसका नाम ऋषि था वो बिल्कुल अपने नाम के विपरीत था सीना फौलादी जैसे कोई पहलवान पहलवानी के लिए उतरने वाला हो उसकी बातें ऐसी जैसे वो तनी हुई पतंग जिसे शायद कभी न कटने का वरदान भगवान से प्राप्त हो मैं उसे देखते ही घबराने लगा और मैनें अपनी हार को अपने सामने देखा तभी मेरे पापा के बताऐ मंत्र मुझे याद आ गये बेटा अपना काम मनाने और जीतने के लिए शाम दाम दण्ड भेद अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए यदि तुम सही हो तो पर यहॉ में सही नहीं था पर जीतने के लिए अभेद अस्त्र का प्रयोग करना जरूरी भी था और सभी एक साथ मुझसे पूछ बैठे कि ये कोरोना कैसे फैलता है हम क्या प्रयास करें जिससे यह बीमारी हमें न हो मैं उत्तर देने को तैयार ही था कि ऋषि ने उत्तर देना शुरू करने पर मेरी जलन की भावना इस कदर बढ़ने लगी जैसे कोई गर्लफ्रेंड अपने बायफ्रेंड को किसी और लडकी के साथ देख ले मैं उसकी बातो को अभी इसी वक्त खारिज कर देना चाहता था और मैनें उसकी बातो पर गौर करना चालू कर दिया वो कह रहा था हमें सबसे पहले सोशल डिस्टेसिंग का पालन सक्ती से करना होगा और बात करते समय हमें मास्क लगाऐ रखना चाहिए। हमारी प्रथाओं को हम क्यो भूल चले गये जब लोग किसी दूसरे से

मिलते थे हाथ जोड़कर नमस्कार किया करते थे और आज देखो हमने विदेशी सिस्टम को अपना लिया, गले मिलना, हाथ मिलाना कोरोना नहीं फैलेगा तो और क्या होगा हमें हमेशा स्वच्छता खुद कि व प्रकृति को बनाए रखना चाहिए और बार–बार हाथ धुलते रहना चाहिए। सर्दी खासी या बुखार आये तो हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर ध्यान रखकर डॉ. से परामर्श लेना चाहिए वो सही ही कह रहा था पर मैं उसके द्वारा बताई गई सारी बातो को सिरे से खारीज करना चाहता था मैंनें बोलना शुरू किया सभी मुझे इस प्रकार सुनने लगे जैसे कोई बच्चा अपनी दादी या नानी के पास बैठ कर कहानी सुनाती हो बिल्कुल भाव विभोर होकर सुन रहा हो ।

मैं सभी से झूठ और गलत बातें कहने जा रहा था इस खातिर लोग मुझे पर वि वास करते है और मैं हीरो ही बना रहना चाहता था। तुमने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए मुझे एड्स का एक लोगो याद आ गया, छूने से प्यार बढता है न की कोरोना और लोग खुश हो गये मैं अन्दर ही अन्दर गर्व महसूस करने लगा। फिर मैने कहा मेरे दोस्त लगता है जैन धर्म का गुरू बनना चाहता हो जो कह रहा है मुहँ पे मास्क लगाके रखो कुछ दिनो बाद कहेगा हवा से वायरस फैलता है अब कफन जैसा बनालो और कुछ दिन बाद कहेगा उपर से नीचे तक कोविड किट को अपना वस्त्र बना लो लगता है जैसा ये मान लो हमे अंतरिक्ष भेजने की तैयारी कर रहा हो इस बार लोगो की हॅसी पिछले बार से अधिक थी जो पूरे बैरिक मे उपस्थित लोगों ने सुना होगा और मैनें सभी का अटेशन प्राप्त कर लिया हो और क्या कह रहे थे तुम देशी सभ्यता को भूल गए दूर से नमस्कार करो भारत आज चांद पर पहुचने वाला है हम आज कितने अग्रसर हो चले है विदे ी लोगों की मदद से अब तुम कहते हो गले मत मिलो और हाथ मत मिलाओ सब गलत उसकी बताई सारी बातों को मैनें सिरे से खारिज कर दिया था और जीत मेरी हो चुकी थी जो समझदारो के लिए निरर्थक है।

बात करते–करते रात के 10 बज गये और हमे समय का पता ही न चला जैसे ही 10 की घंटी बजी हमारे सोने का समय हो चुका था तभी हमारे बैरिक मे ड्यूटी पर उपस्थित प्रहरी जो की कर्तव्य निष्ठ है और जिनकी कद, ढ़ाढ़ी काफी लम्बी है और सभी बंदी हवालाती उनको देख कर अपने–अपने बिस्तर में सोने लगे और सामने से प्रहरी की दहाड सुनाई दी क्यों डियूटी वाले कहा ही था कि जैसे चारो और सन्नाटा सा छा गया और आज ही की रात अमावस्या की रात हो वो अपना कार्य पूर्ण कर दूसरी बैरिक की तरफ चल दिये।

रात के लगभग 11 बज रहे थे में सोने का प्रयास कर रहा था दिल मे अजीब सी बैचेनी होने लगी मानो में अपने आप से ही सवाल पूछ रहा हूँ ये तूने क्या किया अपने आपको और सही लोगों को झूठा साबित करने की तेरी जिदद अभी तक नही की गई और हजारो सवाल मेरे इर्द–गिर्द मडराने लगे मैं अपने बालो को पागलो की तरह नोचने लगा मेरा मन व्याकुल होने लगा जैसे एक मॉ से उसका बेटा छीन लिया गया हो मैं अथाह समुद्र की गहराईयों मे उतरने लगा। मानो मेरा गला कोई दबा रहा हो और मैं सॉस न ले पा रहा हूँ मेरे दिल ने इस बीच दस्तक दी और मुझे शांत कराया मैंने एक राहत की सॉस ली और सोचने लगा की अब क्या इसे कैसे सुधारा जा सकता है मेरे मन मे तत्काल जवाबो सवालों कि बाढ़ सी ला दी मुझे ये सारे सुझाव सही लगने लगे और मैने नि चय कर लिया कि, कल सुबह होते ही मैं खण्ड अधिकारी से कोविड के बारे मैं पहल करते हुए अपने विचार उनके समक्ष रखूगा ।

अगला दिन मैं जैसे ही सुबह उठा मैनें इस नई सुबह को शुक्रिया अदा किया और मैनें अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी इस मुदद्े की चर्चा करने के लिए। जैसे कोई नया मंत्री वोट मॉगने के लिए उतरने वाला हो और उसे समझ मैं नही आ रहा है कि, मैं कैसे वोट देने के लिए जनता को मनाऊ मैनें अपनी तैयारी पूरी भी

ना की थी की 10 बज गया और जिस घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो आने वाली थी मैं गोल गेट में नजरे जमाएँ बैठा था और वो घड़ी आ गयी जब गोल गुमठी के ऊपर ड्यूटी बंदी ने खण्डाधिकारी के आने की खैरियत लगाई और घंटी बजाई मानो चारो तरफ सन्नाटा सा छा गया, मानो जैसे कोई शेरनी दहाड़ते हुए गोल में प्रविष्ट हो रही हो सर के ऊपर मानो काले बादल छाने लगे वो नियम की पक्की थीं। ऊपर से कठोर पर अंदर से बिलकुल एक नारियल की तरह उनका गुस्सा ऐसा था मानो हजारों बिजलियॉ अभी इसी वक्त आसमान से एक साथ गिर पड़ेगी और इसी वक्त सब समाप्त हो जाएगा ये गुस्सा ज्वार–भाटे की तरह आता–जाता रहता है। इस वक्त खण्डाधिकारी के पास जाना मानो आग में अपने हाथ डालने के समान था और शांत इस तरह मानो चांद की चांदनी भी उनके सामने फीकी पड़ गई वो खुश हो तो ऐसा लगता है मानो कि किसान अपनी अच्छी फसल के लिए बारिश की प्रतीक्षा कर रहा हो और अचानक बारीश गिरने होने लगे जितना एक किसान अपने हरियाली खेत को देख कर होता है। मानो ईश्वर ने उन्हें बहुत सोच समझ कर बड़ी फुरसत से बनाया हो और सारे गुण एक पिटारे में डाल दिऐ हो मानलो कुछ भी शेष न रह गया।

जैसे ही वो खण्डाधिकारी की कुर्सी में बैठी मानो कुर्सी की शोभा चार गुनी और बड़ गई हो और वो कुर्सी अपने आप को खुशनसीब मान रही हों। मैं उनसे अपने सारे विचार कह देना चाहता था जो रात मे मेरे ही मित्र ऋषि के द्वारा बताए गये थे और कुछ मेरे विचार जो मेरे स्वयं के विचार थे जिसमें मुख्य रूप से मेडिकल व नई आमदों की जॉच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारनटाईन करना था मैं जैसे ही उनकी और बढ़ा वैसे ही उन्होंनें मेरी मन की स्थिति पहले जान ली और आशा के विपरीत उन्होनें मुझ से पूछ लिया की मयंक कोविड से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो साक्षत देवी मॉ मुझ पर प्रसन्न हुई हो जो सब बातो की ज्ञाता है फिर भी मेरा दिल रखने के लिए कह रहीं हो कि बता तेरी इच्छा क्या है और मैनें मेरी समझ अनुसार उत्तर देना शुरू कर दिया जैसें एक भगवान भक्ती सुनता रहता है और उसे अमल में लाता है यही हुआ मेरे बताए गए सभी सुझाव जो की सारे मेरे अधिकारी ने पहले से सोच रखे थे जो मेरी बातो को सुन कर मानो कह रही हो जो तेरी सोच को मैं उड़ान देती हो इस सोच पर मैनें अपने पर लगा दिये है तो जी भर के उड़ ले और सही भी था भगवान सब कुछ कर सकता पर वो एक मौका जरूर देता है सुधरने का शायद वो यही समय था। मै एक लीडर के रूप मै था जिस रूप लोग अक्सर मुझे देखना पसन्द करते थे मैं माइक की ओर अग्रसर हुआ माइक मैनें जैसे पकड़ा स्कूल का वो वाकई मुझे याद आ गया उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता था। अगला दिन स्कूल का सीन एनुअल फंक्शन का दिन मैं 11वीं कक्षा का छात्र था हम सभी छात्र एक हाल में बैठे हुए थे और एनुअल फंक्शन का शुरूआती दौर शुरू कर दिया गया था। उस समय मैं बहुत सी स्वयं की लिखित कविताऐं व कहानियॉं लिखा करता था। मुझे एक मंच की जरूरत थी इन्हें सुनाने के लिए पर डरता था मंच पर चढ़ने की मेरी हालात उन नए पंछियो की तरह हो जाती है जिनके अभी नए पर निकले हो और वो उड़ने के लिए अपने पंख तो फैला रहे है पर ऊपर की ऊॅचाई से नीचे गिरने का डर उनके चेहरे पर उनकी मॉ साफ देख सकती है, बोलने में घबराहट ऐसी मान लों 100 नम्बर के एक्जाम मे आपको 00 नम्बर मिले हो और आपको अपने नाराज पिता से इसमें साइन कराना हो मेरी व्यथा मैं ही जान सकता था। और अचानक मेरा नाम पुकारा गया कि मयंक अपनी सुंदर कविता को सुनाने के लिए मंच पर आ जायें और अपनी कविता की प्रस्तुति देकर सबको सम्बोधित कर अपना सपना साकार करें उस समय की व्यथा मेरे अलावा कौन जान सकता है मैं उठ तो खड़ा हुआ और मुझे आगे चलने से मेरे ही पैर मुझे रोकने लगे और मेरा शरीर पसीने तर–बतर हो गया और ह्रदय की धड़कन जोरो से बढ़ने लगी मुझे लगने लगा कि, मैं गूॅगा हो चुका हूँ जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ा मेरे कक्षा के सभी दोस्तो ने जोरो से

गुंजयमान आवाज आई मयंक–मयंक जो इतने जोरो की थी जिसे मैं स्पष्ट सुन पा रहा था और मैनें अपने घने लंबे बालो को अपने हाथ उछाल कर खड़ा कर दिया। लोग जोरो से ठहाके लगा कर हॅसने लगे मैनें अपनी कविता शुरू किया जिसका शीर्षक था मुफलिसी मैनें इसे इस अंदाज मैं पेश किया मानो इसका सबसे बड़ा शिकार मैं स्वयं हूँ और जिसकी सराहना आज तक मेरे कानो मे गूॅज रही है। और मैनें माइक मैं बोलने से पहले अपने आप से कहा कि क्या तुझे कोरोना तो नहीं हो गया, जो जहॉ खडा है. वही खड़ा हो जाये. और जो जहॉ बैठा है वही बैठा रहे और मेरी बातो पर ध्यान दें सभी लोग मुझे ध्यान पूर्वक सुनने लगे मैनें एक के बाद एक सारे नियमो को बंदी एवं हवालाती को बताना भ्रारू कर दिया जो कोविड–19 से बचाव के लिए अति जरूरी है और वो कड़े नियमो के पालन के लिए खण्डाधिकारी ने सपोर्ट के लिए और मुझे पूर्ण रूप से गोल के सी ओ का सहयोग दिलवाया. जिसकी मैने मुख्य रूप से भूमिका निभाई छोटा सी ओ ने जो अपने नाम के जैसा छोटा है और उनका दिल बहुत बड़ा उन्होंनें पूरे खण्ड को संभाल रखा था। हमने अधिकारियों का मार्गदर्शन अनुसार सभी नियमों का शक्ति से पालन करवाया।

मैनें यहॉ के अधिकारियों में एक ऐसा शासक भी देखा जो शासक न होकर राजाओं के जैसे प्रजा की खूबियों और अच्छाईयों को समझने कम बोलने सबका ध्यान रखने वाला जैसे स्वयं एक रास्ता हो इस पर चलने से आपको अपना ध्येय बिना कुछ करे मिल जाएगा, बस आप इस रास्ते पर चलते रहें वह सूर्य की किरणों जैसा जागृत है। इनका ध्यान और सोच इतनी प्रवल है कि जैसे विद्वान चाणक्य जैसी चतुरता से परिपूर्ण इन्होनें ऐसा नियंत्रण कर रखा है। मानो वो श्रृष्टि के रचयिता ब्रम्हा है और उन्हें सब पता है कि आगे क्या होने वाला तत्कालीन सटीक निर्णय लेने की दक्षता उन्हें स्वयं की तपस्या से मिली इनका मार्गदर्शन ही हम सभी बंदी भाईयों बहुत प्रसन्ता की बात है। इस प्रकार मदद ही मानो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो बस हमे मार्गदशन की जरूरत थी जिसके लिये हमे आजादी के दीवानो वीरांगनो जैसे विचार वाले अधिकारी मिले जिससे आज भी हम स्वस्थ्य है बिल्कुल एक नौजवान की तरह ये अनुभव शायद मेरे अन्दर बाहर कि दुनियॉ में नहीं मिल पाते और मेरे अन्दर कि खूबिया दबी की दबी रह जाती मैं सबको एक ही सोच के साथ समझाने लगा कि मौंका मिला है। ''अब तो सुधर जाओ अब भी वक्त है नहीं तो इससे भी बुरा हाल देखेगें''।

मैं अपनी लेखनी और वाणी का अन्त इन्ही शब्दों के साथ करता हुं कि हम बहुत ही नासमझ है जो की थोडी देर मैं ये मान लेते है कि सब हमारे कन्ट्रोल में है और मैं अपनी सजा के साथ एम.बी.ए व एम.सी.ए. की पढाई करना चाहता हूॅ। मैनें कोविड–19 जैसे संकमण जहरीले सॉप से डटकर लड़ने के लिए अपने आपको और अपने बंदी साथियों को भी तैयार कर लिया है।

किसी बडे शायर की शायरी याद आ गयी जिस पर मैनें जेल मे अमल किया और लोगों ने मुझ पर।

शायरी....अकेला बनाके चला था मंजिल अपनी. और लोग आते गए और कारवा बनता गया।

कोरोना और मेरा जेल का अनुभव

मेरा अगला प्रकाशन जल्द ही आपके समक्ष होगा

जिसका नाम है मेरी बदलती मानसिकता

अज्ञानता सभी अपराधों की जड़

बंदी: राजितराम मौर्य पिता सहदेव मौर्य

मैंने जेल में परिरूद्ध बहुत से बंदी भाईयों से पूछा कि आप सब लोग कौन से के श में आऐ हो तो सभी बंदियों ने एक ही जबाव दिया जिसका निष्कर्ष यही पांच विकारों के कारण आज जेल में सजा काट रहें है।

जैसे – (1) काम, (2) क्रोध (3) लोभ, (4) मोह (5) अंहकार से सम्बंधित है ये पांच विकार तत्व ही अपराधों की जड़ हैं ।

स्वार्थ : जीवन को पतनगामी बनाता है और परमार्थ, जीवन को देवत्व दिलाता है

सेवा : सेवा प्रेम की अभिव्यक्ति है जैसे सम्भव हो वैसे सेवा करो जिस प्रकार एक पेड़ कितना उपयोगी होता है व आक्सीजन, छाया व फर्नीचर तथा जलावन के लिए लकड़ी देता है, मरने के बाद भी पेड़ दूसरों के काम आता है।

इस प्रकार हमे भी सोचना है कि हम किस प्रकार हमें हमारे समाज के लोगों के लिए व पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो सकते है। तब हमारा सह्दय खिलने लगता है पूरी तरह से एक नया मानव जीवन शुरू होता है वरना हम हमेशा अपने आप में ही उलझे रहते है। अपने बारे में ही चिन्ता करते रहते है जो कि समय की बर्बादी है। 40 वर्ष बाद शायद हम नहीं रहें लेकिन जब तक है तब तक पूरी कोशिश करना चाहिये कि, सबसे ज्ञान प्राप्त करो सबको उपहार के रूप मे ज्ञान को बांटते रहें । इससे अच्छा उपहार कुछ भी मानव जीवन में नहीं है।

उपहार :

हम उपहार मैं कई सारी चीजें देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ भी ज्ञान के समान व्यक्ति के मन के मानव विकास में योगदान नहीं देता है। जीवन भर प्रकृति को समझना ही प्रसन्नता है। और आस–पास के लोगों के साथ यह ज्ञान बाटना ही सच्चा उपहार हैं।

योगा :

योग ध्यान प्राणायाम करने से हमारे अन्दर जो बीमारी 20 वर्ष से मुझे परे ान कर रही थी वह सब योग के द्वारा जैसे हार्ट व शुगर की बीमारी ठीक हो गई। मै हवालाती 18 माह था तब भी योगा करता और दूसरे बंदी भाईयों को कराता था । माताजी का शिष्य बनकर अब बंदी समय में भी योगा करता व करता हूं जेल प्रशासन को मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूॅ कि सजा 5 साल की पड़ने के बाद हमें योगा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । हमको दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाने में बहुत ही आनंद आता है हम किसी के जीवन में खुशियों को भर सकें । इस काम को करने से हमें अपने अन्दर गर्भ महसूस होता है कि हम किसी के काम आ सके और गुरूजी का आर्शीवाद हमेशा हमारे साथ है ।

जीवन की घटनायें :

अज्ञानता वश में अपराध मे फंस गया अंहम व अपने लोगों ने मुझे फंसा दिया 58 साल की उम्र में हमने बहुत ही ऊंचाई देखी है। अपनी सारी इच्छाऐं पूरी करली। मैं तीन फैक्ट्री का मालिक था जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, मुझे इंटरनेशनल (इमेजिंग कंपनी) का पुरस्कार सन् 2012 में थाईलैंड में मुझे प्राप्त हुआ था और डॉक्टर की उपाधी महाराष्ट्र पूना में अनरेवल कम्पनी के द्वारा मिला था। राजनैतिक में केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले मुम्बई महाराष्ट्र की पार्टी मे आर. पी. आई. का मैं राष्ट्रीय सचिव के रूप मे कार्य करता था। बहुत खु ाहाल जीवन चल रहा था। जीवन मे पहली बार ऐसा भूचाल सन् 2012 में आया कि मेरा 31 वर्ष का बेटा एम.बी.ए. जो कि कम्पनी का मैनेजिंग डारेक्टर दिनांक 26.11.2012 को उसकी मृत्यु हो गई वहीं से मेरे जीवन में उथल–पुथल चालू हो गई। कंपनी का सारा काम खराब होने लगा और दूसरा झटका दिनांक 19.07.2015 में लगा जब छोटा बेटा उम्र 27 वर्ष जो कि इलाहाबाद में मिनीरल वाटर, सोडा वाटर कंपनी का काम की देखरेख किया करता था उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद से मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया, हमारे कंपनी के सीनियर स्टाप सब ने सोचा कि कंपनी अब नहीं चल पायेगी और सब ने लूट–खसोट चालू कर दी मैं मानसिक रूप से परेशान होने के कारण से स्टाफ की पगार नहीं दे पा रहा था। इसी कारण से हमारे ही स्टाप ने एफ.आई.आर करके मुझे जेल भिजवा दिया ।

अनमोल मोती :

- जीवन मे कुछ भी पाना है तो विन्रमता, उस सफर की पहली सीढ़ी है ।
- निश्चिय ही दुखी व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है, मगर हमारा धर्म है उन्हें सुख देना ।
- सुख ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दुख और मूर्खता बांटने से कम नहीं होता है।
- व्यक्ति वस्तु परस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करो,स्वीकार मतलब निष्क्रियता नहीं वर्तमान अटल है।
- उम्र तथा पैसों पर कभी गर्व न करे, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है व यकीनन खत्म हो जाती है।
- उनके पीछे चलो जिनकी सोच अच्छी है उनके बारे मे सोचो जिनके कर्म अच्छे है।

एक बार मैनें जेलर ऑफिस में लिखा हुआ पढा था, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मुझे पढ़कर अच्छा लगा। मैं समझ गया सर महान व्यक्ति है, उसके बाद 3–4 बार मुलाकात हुई जब भी हम सामने होते तो पूछते थे कि सब ठीक है योगा अच्छा कराते हो। मैं कैमरे से देखता हूँ । इतना उनका कहना मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब कोई अधिकारी किसी बंदी से पूछता तब लगता है कि मेरे लोकल अभिभावक कि तरह वे सभी अधिकारी गण है जो मेरा कुशल श्रेय अपनत्व से पूछा करते है प्रभु परमेश्वर से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इनका दीर्घायु स्वास्थ्य सुखी सपरिवार रखें मेरी दैनिंक दिनचर्या मैं मानव रूप धारण करने के कारण अनेकों अंजान वश जो भी त्रृटियां मुझसे होती है उसे आप सब नादान समझकर माफ करना और मेरा उत्साह मनोबल बढ़ाते रहिंगे, ऐसी मै आपसे बिनती करता हूँ ।

"What it lies in our power to do, it lies in our power not to do."

~ Aristotle

मेरा जेल अनुभव

बंदीः राबर्टसन पिता सालोमन

मैं बंदी राबर्टसन पिता सालोमन निवासी –वैभवनगर इन्दौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। केन्द्रीय जेल जबलपुर में 10 वर्ष की सजा भुगत रहा हूँ। जेल आने के पूर्व में ईसाई समाज के बिशप के पद पर समाज व देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक व समर्पण के साथ कर रहा था। मेरे परिवार में 2 पुत्री व पत्नि है जेल में रहते हुए कुछ अनुभव आपके साथ बॉटना चाहता हूँ। जेल में पहले दिन नई आमद में आया तो मुझे बहुत डर लग रहा थाए मेरी आँखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, पत्नि व बच्चों की बहुत याद आ रही थी। जेल के गेट में बैठे एक सिपाही सर मेरे पास आयेए मुझसे बातें की और मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि यहॉं पर तुम्हारे जैसे बहुत बंदी भाई है, हिम्मत मत हारो और मेरे हौसला को बढ़ाया उसके पश्चात् खण्डाधिकारी महोदय ने मुझे वार्ड के अंदर भिजवा दिया। वार्ड का माहौल इतना अच्छाए और बहुत आश्चर्य जनक था। मेरी सोच जेल के प्रति भयानक ए डरावनी बनी हुई थी। वैसा कुछ नहीं लगा परन्तु अनुशासनए स्वच्छताए नियम सब बहुत अच्छा था। स्वच्छता तो इतनी अच्छी बाहर कहीं भी देखने को नहीं मिली। मैं सश्रम बंदी तो था ही और पढ़ा–लिखा भी था। इस कारण से मुझे राईटर जाली में राईटर का कार्य दिया गयाए में अपने कार्य को अनुशासन में रहते हुए कार्य कर रहा था।

मैं संगीत अच्छी तरह से जानता था इस वजह से मुझे जेल संगीत आर्केस्ट्रा समूह में रखा गया, जब भी जेल में कार्यक्रम हुआ करते थे मैं सुभाष वार्ड सभा गृह में जाया करता था। कुछ समय पश्चात् जेल प्रशासन के द्वारा मुझे संगीत व जेल वाणी का कार्य दिया गया। बाहर से डॉक्टर साहब स्वास्थ्य सम्बंधी शिविर में आये हुए थे। जेल अधीक्षक महोदय बंदियों को अपने उद्बोधन में स्वास्थ्यए योगाए शारीरिक विकासए नशा–मुक्ति के सम्बंध में बता रहे थे। मैने पहले इतने विस्तार से कभी नहीं सुना था। मेरी आँखों में आंसू आ गये कि हम यहाँ अकेले नहीं हैए हमारा ध्यान रखने वालेए हमारे लिये इतना सोचने वालेए अधिकारी है। जेल में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कारखाने भी हैए जैसे–बढ़ई कारखाना, लोहार कारखाना, प्रिटिंगप्रेस, आफसेट, कपड़ा कारखाना, राज मिस्त्री कार्य, पेटिंग कार्य, खेती कार्य व पढ़ाई का भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जेल मे निःशुल्क पढ़ाई की भी व्यवसथा है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जेल में शुरू की गई परिरूद्व दंडित बंदियों को विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे–टी.वी. रिपेयरए कुकिंगए कला प्रशिक्षणए सी.सी.टी.वी. इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रीकल रिपेरिंग कार्यए ब्रेकरी आइटम एवं अन्य ट्रेडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। बंदी जब जेल से छूटकर बाहर जाएए तो वे आत्म नर्भर एवं जीवकोपार्जन कर सके और अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छे से करते हुए समाज मे अपनी अहम् भूमिका निभा सके। जेल प्रशासन के द्वारा यह सब प्रबन्ध किया जाता है। यह सब देखकर मैं और मन लगाकर कार्य करने लगा।

जेल वाणी में प्रसारण हेतु रिकार्डिंग कार्य व संगीत कार्य को अच्छी तरह जानने लगा, इस कारण से यह संगीत का कार्य मुझे दिया गयाए जेल वाणी मे प्रसारण हेतु धार्मिक गीतों को स्वयं बनाने लगा। 03 धार्मिक गीत जैसे श्री रामजी के भक्ति गीतों को मैंने लिखा व संगीत भी दिया। जिस कार्य के लिए उप जेल अधीक्षक महोदय के प्रेरणा से स्वच्छताए नशामुक्ति व कोरोना महामारी के सम्बंध में एड को भी रिकार्ड कियाए इनका प्रसारण सम्बंधित अधिकारी की अनुमति से जेल वाणी के द्वारा प्रसारण किया जाता है।

कोरोना महामारी(कोविड–19) के संबध में मेरे व्यक्तिगत अनुभव पूरी दुनिया में कोरोना बीमारी का सभी सामना कर रहे थे, तो जेल में परिरूद्ध सभी बंदी भाई डरे सहमे अत्यन्त चिन्तित दिखाई देने लगे। जेल स्टाप ने इतना अच्छा प्रबन्ध (मैनेजमेंट) किया कि रोज आमद बाहर से आती है। तो उन्हें सैनेटाईज से नहला कर पृथक कक्षों में रखा जाता है और जब वे कोरोना महामारी (कोविड–19) के लक्षण नहीं निकलते है तो इसकी पुष्टि के बाद बैरिकों में कर दिया जाता है। हरवार्ड कारखानों में व सभी स्थानों पर सैनेटाईज किया जाता है और मास्क व दोगज(सोशल डिस्टेसिंग) की दूरी बनाये रखने के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई।

जेल वाणी व अन्य संसाधनों के माध्यम से उन्हें बताया जाता है कि बंदी/हवालाती को दोगज (सोशल डिस्टेसिंग) की दूरी व स्वच्छता के संबध में प्रसारण किया जाता है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले है जिससे सभी स्टॉफ/बंदी सुरक्षित है। इस दौरान जेल प्रशासन के अथक प्रयासों से पैरोल व आपात कालीन छुट्टियॉं अस्थाई पैरोल में कई दंडित बंदी एवं विचाराधीन बंदियों को छोड़ा गया है।

अतः मुझे डायबिटीज व बी.पी. की समस्या रहती थी। इस बीमारी से जितने भी बंदी ग्रसित थे उनका विशेष ध्यान रखा गयाए जेल अस्पताल में रखकर सुचारू रूप से उपचार किया जा रहा हैए अस्पताल के सभी कर्मचारी हमारा विशेष ध्यान रखते हैए मैं अधीक्षक महोदय व मेडीकल आफिसर डॉ. श्री महेन्द्र भट्ट, डॉ. श्री लक्ष्मण शाह व कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। कि हम सब स्वस्थ्य है, जेल के 4 वर्ष के अनुभव में मुख्य–मुख्य बातें आप सभी को बांटा हूँ। अब इंतजार है कि मुझे अपने बच्चों व पत्नि परिवार से मिलने के उपरांत दो बेटियों के विवाह का प्रबंध कर सकूँ या तो मुझे अस्थाई छुट्टी मिल जाये या जमानत मिल जाये। जेल में मैन बहुत कुछ सीखा, शायद पूर्व जन्म में कोई पाप किये होगे, उसका दण्ड आज भुगत रहा हूँ।

अतः मे सभी अधिकारी व जेल स्टॉप को सहृदय से धन्यवाद देता हूँ कि, आप सभी अपनी जानकी परवाह किये बिना हमारा ध्यान रखते हैए विनम्रता पूर्वक आप सभी से मेरी विनती है कि आपकी प्रार्थनाओं में मुझे व मेरे परिवार को स्मरण करते रहे।

'धन्यवाद'

"The beginning is the most part of the work"

~ Plato

MPSLSA convenes meeting for plight of Under Trial Prisoners

Under the able guidance and directions of Hon'ble Shri Justice Mohd. Rafiq the Chief Justice/Patron-in-Chief MPSLSA and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority for the benefit of timely release of Under Trial Prisoners a State-wide consultation was convened on 06-05-2021 through virtual mode in coordination with CHRI and the Jail administration. The participants included the DG Prisons, all the District Judges and Secretaries of DLSA's, Registrar (District Establishment) High Court of Madhya Pradesh and all Superintendents of jails across the State of Madhya Pradesh.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-05-07 | Page-2
ehitavada.com

MPSLSA officials conduct State-wide consultation for undertrials

MPSLSA officials during State-wide consultation for undertrial prisoners.

■ Legal Correspondent

UNDER the able guidance and directions of Justice Mohammad Rafiq Chief Justice/Patron-in-Chief MPSLSA and Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, MP State Legal Services Authority for benefit of timely release of undertrial prisoners, a State-wide consultation was convened on Thursday through virtual mode in coordination with CHRI and jail administration. Participants included DG Prisons, all the District Judges and secretaries of DLSAs, Registrar (District Establishment) High Court of Madhya Pradesh and all Superintendents of jails across the State, informed Additional Secretary, MPSLSA, Manoj Kumar Singh. This first consultation has been conducted State-wide with an intent and purpose of deliberations on implementation of National Legal Services Authority (NLSA) New Delhi, SOP in letter and spirit.

Commonwealth Human Rights Initiatives (CHRI) presented a demonstration on - EPIC (Evaluation of Prisoner Information and Cases) as a tool to facilitate preparation of lists of eligible prisoners and custody warrant which is a part of National Legal Services Authority, SOP was unanimously identified as a suitable template to understand entire background of undertrial and will be useful not only for Trial Court but also the Jail Authorities.

With this first consultative meet, smaller regional/zonal meetings are on the anvil to focus on addressing the gaps and concerns in timely release of Under Trial Prisoners.

This first consultation has been conducted State-wide with the intent and purpose of deliberations on implementation of the National Legal Services Authority (NALSA) New Delhi, SOP in letter and spirit. Commonwealth Human Rights Initiatives (CHRI) presented a demonstration on - EPIC (Evaluation of Prisoner Information & Cases) as a tool to facilitate preparation of lists of eligible prisoners and the custody warrant which is part of National Legal Services Authority, NALSA, SOP was unanimously identified as a suitable template to understand the entire background of the Under Trial and would be useful not only for the Trial Court but also the Jail Authorities.

With this first consultative meet, smaller regional/zonal meetings are on the anvil to focus on addressing the gaps and concerns in timely release of Under Trial Prisoners.

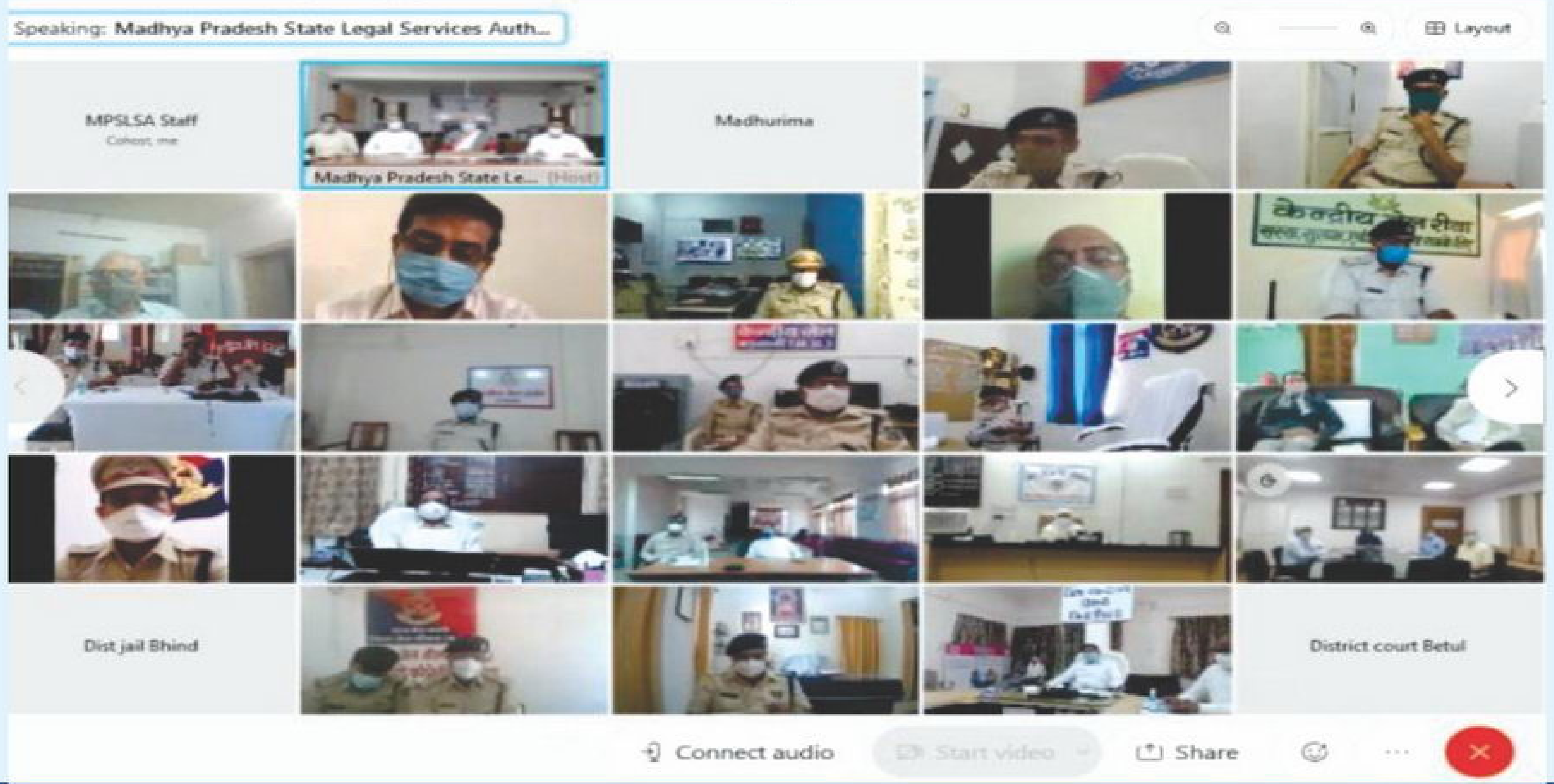

Action Taken for Jail Inmates in pursuance to Court Orders

In pursuance to the direction of Hon'ble The Supreme Court of India in Suo Moto Writ Petition (Civil) No.1/2020 "IN RE: Contagion of Covid-19 Virus in prisons" and in Writ Petition NO.9320/2021 "IN RE (Suo Moto) Vs The State of Madhya Pradesh and Others by Hon'ble High Court M.P. vide order dated 10.05.2021, High Power Committee meeting had been organized on 12.05.2021 at the Chairmanship of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, Madhya Pradesh Legal Services Authority, Jabalpur. In that meeting Shri Rajesh Kumar Rajoura, Additional Secretary, Home Satyendra Kumar Singh,Principal Secretary, Law and Legislative Affairs Department, Dr. Veena Sinha Additional Director, Dept. of Health, Shri Anvesh Manglam DG/Director, Prosecution, Shri Arvind Kumar Director General (Prison) and Ashok Shah Principal Secretary, WCD Department, Government. of Madhya Pradesh were present.

In the meeting of High Power Committee the issues for release of convicts confined in prisons on parole, under trial prisoners has been discussed and after detailed deliberation, instructions has been issued to all duty holders regarding taking appropriate steps for releasing of inmates in pursuance of Court order. It had also been directed in pursuance of Court order that bail application would be moved by Secretaries of respective District Legal Service Authorities through the legal aid counsel before the respective Juvenile Justice Board on behalf of children in conflicts with law. Apart from that instructions, general directions has also been issued to the Jail Authorities for providing proper medical facilities in surge of Covid-19.

In furtherance of above instructions, 3927 prisoners have been released on emergancy parole and as per report of DG Prison out of 4874 Under Trial Prisoners 1219 have been released on interim bail. Again, meeting of High Power Committee had also been convened on 22.05.2021 for monitoring the compliance of earlier instructions.

एसिड अटैक पर ऑनलाईन परिचर्चा

राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल पर एसिड अटैक– एक गंभीर अपराध – निवारण, प्रतिषेध समाधान विषय पर दिनांक 11.05.2021 को ऑनलाईन परिचर्चा संपन्न हुई, जिसमें नालसा के निर्देशक सहित म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

उक्त कार्यक्रम के आलोक में म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरणों से सचिव तथा पैनल अधिवक्ताओं को सम्मिलित करते हुए ऑनलाईन बैठक की गई। एसिड अटैक प्रकरणों के संबंध में कार्य हेतु प्रत्येक जिले से पैनल अधिवक्ताओं के नाम का प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। ऑनलाईन बैठक में एसिड अटैक मामलों में अधिक संवेदनशील होकर समयावधि में पीड़ित प्रतिकर तथा अन्य अनुतोष प्रदाय करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया है कि एसिड अटैक पीडितों के पुर्नवास के लिए कम से कम 03 वर्ष के लिए समीक्षा अवधि रखी जायेगी।

प्रदेश के जेल प्रहरीगण के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा इंडिया विजन फाउण्डेशन के माध्यम से Addressing issues of Jail inmates विषय पर ऑनलाईन प्रशिक्षण माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से आयोजित कर रहा है। उक्त प्रशिक्षण में प्रथम चरण के अंतर्गत 07 केन्द्रीय जेल जबलपुर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, सागर एवं रीवा के 20–20 प्रहरियों को जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा नामांकित किया गया है। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जेल प्रहरियों के समस्याओं, उनके कार्य–व्यवहार, उनके तनाव को कम करने आदि के संबंध में विषयों को सम्मिलित कर प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार की गई।

प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पीएलव्ही को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे कि प्रशिक्षित पीएलव्ही द्वारा जेल में निरूद्ध अन्य बंदियों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके। साथ ही बंदीगण के जेल से रिहा होने पर उन्हें पुर्नस्थापन एवं समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित होने में आवश्यक सहयोग एवं सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रथम बैच हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम 02 दिवस के लिए निर्धारित किया गया है, जो 10 एवं 11 जून, 2021 को ऑनलाईन माध्यम से आयोजित होगा।

"If you do not do what you cannot do, it is all right.
But if you do not do what you can do, your life is a tragedy"

~ Sadhguru

Jail Inspection by DLSAs

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिंदवाडा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा दिनांक 02.05.2021 को जिला जेल छिंदवाडा में एवं 03.05.2021 को उप जेल अमरवाड़ा में ऑनलाइन विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति अमरवाड़ा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, फार्मासिस्ट, पैरा लीगल वॉलेन्टियर व बंदीगण सम्मिलित हुए। शिविर में बंदियों को उनके अधिकार व विधिक सहायता योजना संबंधी जानकारी दी गई। उक्त शिविर में बंदियों को उनकी समस्याएं सुनी गई तथा कोविड–19 के संक्रमणकाल में शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु योग एवं प्राणायाम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बंदियों से उनके प्रकरणों में पैरवी के लिए नियुक्त अधिवक्ता तथा उनके परिजनों से ई मुलाकात व भोजन– चिकित्सीय उपचार इत्यादि की जानकारी भी ली गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा

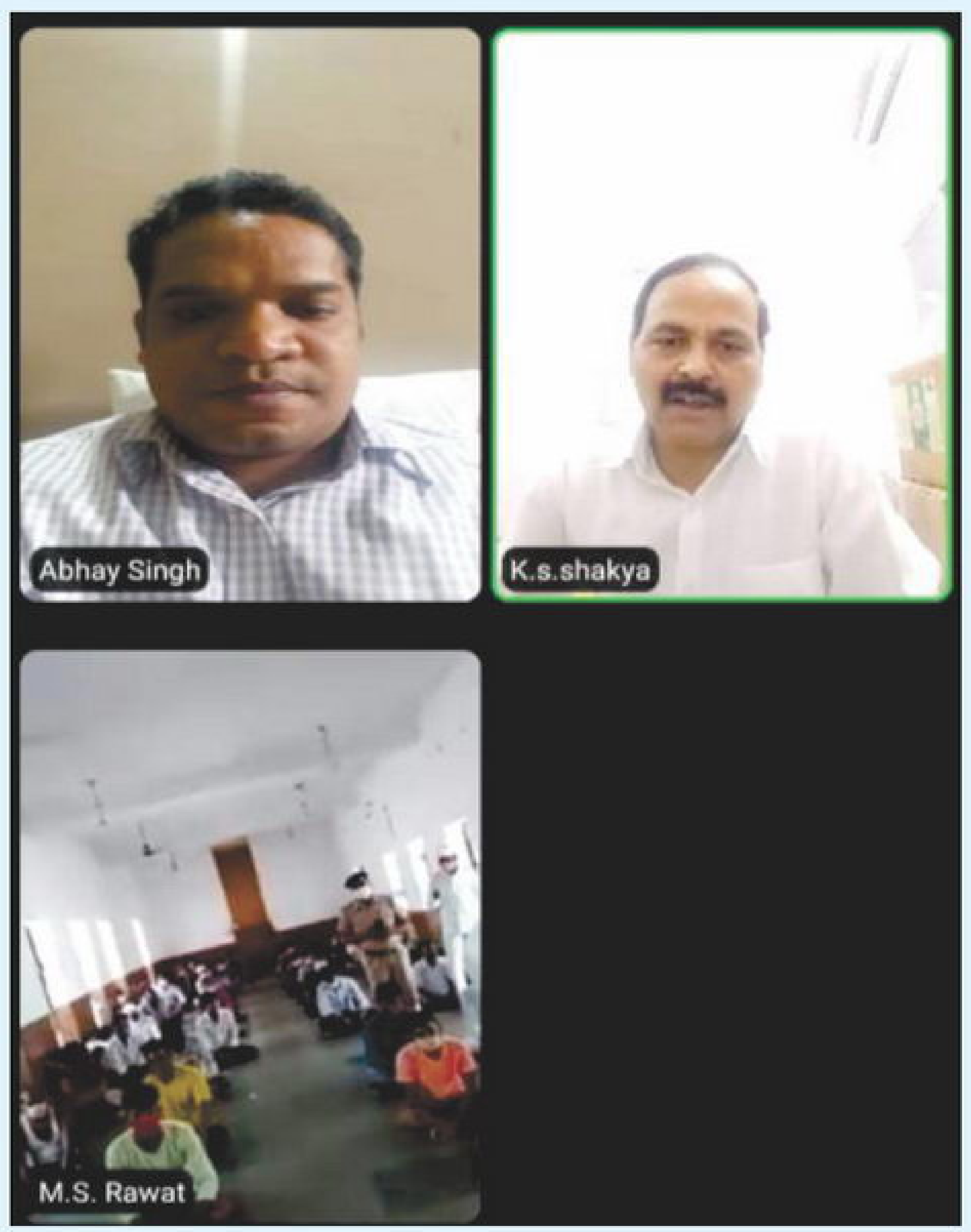

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा दिनांक 222.05.2021 को जिला जेल हरदा में ऑनलाईन माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त शिविर में निरुद्ध बंदियों से उन्हें प्राप्त विधिक सहायता के संबंध मे जानकारी ली गई तथा बंदियों को अंतरिम जमानत, पैरोल, एवं कोरोना महामारी से बचने के लिए निर्धारित मापदंड का अनुसरण करने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया।

ACTIVITIES REPORT (MONTH - MAY 2021) NEWS LETTER

Media News

केन्द्रीय जेल का ऑनलाइन निरीक्षण

रीवा (नव स्वदेश)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में केंद्रीय कारागार रीवा का सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री उपेन्द्र देशवाल द्वारा ऑनलाइन निरीक्षण किया गया।

उन्होंने केंद्रीय कारागार में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बंदियो को अंतरिम जमानत, पेरोल, कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में सावधानी व चिकित्सीय उपचार के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान साथ ही बंदियो को मानसिक व शारिरिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु योग की निरन्तरता को बढ़ाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। ऑनलाइन निरीक्षण में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा, जेल अधीक्षक अनिल सिंह, कल्याण अधिकारी डी. के. सारस उपस्थित रहे।

केन्द्रीय जेल का ऑनलाइन निरीक्षण

रीवा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में केंद्रीय कारागार रीवा का सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल द्वारा ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। उन्होंने केंद्रीय कारागार में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बंदियो को अंतरिम जमानत, पेरोल, कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में सावधानी व चिकित्सीय उपचार के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस दौरान साथ ही बंदियो को मानसिक व शारिरिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु योग की निरन्तरता को बढ़ाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। ऑनलाइन निरीक्षण में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा, जेल अधीक्षक अनिल सिंह, कल्याण अधिकारी डी. के. सारस उपस्थित रहे।

जिला जेल में हुआ ऑनलाइन विधिक सहायता शिविर

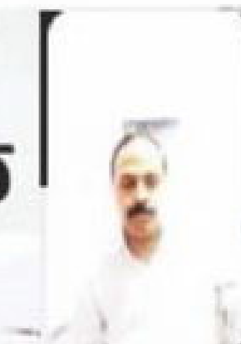

सत्ता सुधार, हरदा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जूम डी लिंक के माध्यम से ऑन लाईन विधिक सहायता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव मा.के एस शाक्य द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह के साथ बंदियों को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी रखने हाथ धोने, नित्य प्रति प्रातः योगा, प्राणायाम करने एवं किसी भी प्रकार से सर्दी जुखाम, बुखार होने पर तत्काल जेल अधिकारी को अवगत कराने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही विधिक सहायता व अन्य समस्या होने की जानकारी ली गई। जेल उप अधीक्षक ने बंदियों को कमल मधुलकर द्वारा 10 दिवस व 14 मई से सुश्री पूजा केवट द्वारा महिला बंदियों को योगा एवं प्राणायाम कराया।

केन्द्रीय जेल का किया ऑनलाइन निरीक्षण

रीवा। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में केंद्रीय कारागार रीवा का सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल द्वारा ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। उन्होंने केंद्रीय कारागार में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बंदियो को अंतरिम जमानत, पेरोल, कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में सावधानी व चिकित्सीय उपचार के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस दौरान साथ ही बंदियो को मानसिक व शारिरिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु योग की निरन्तरता को बढ़ाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। ऑनलाइन निरीक्षण में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा, जेल अधीक्षक अनिल सिंह, कल्याण अधिकारी डीके सारस उपस्थित रहे।

समिति गठित - रीवा। कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं खाद्य सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना प्रारंभ की गयी है। अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी। समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं जिला शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। जबकि महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

Legal Services to Children under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

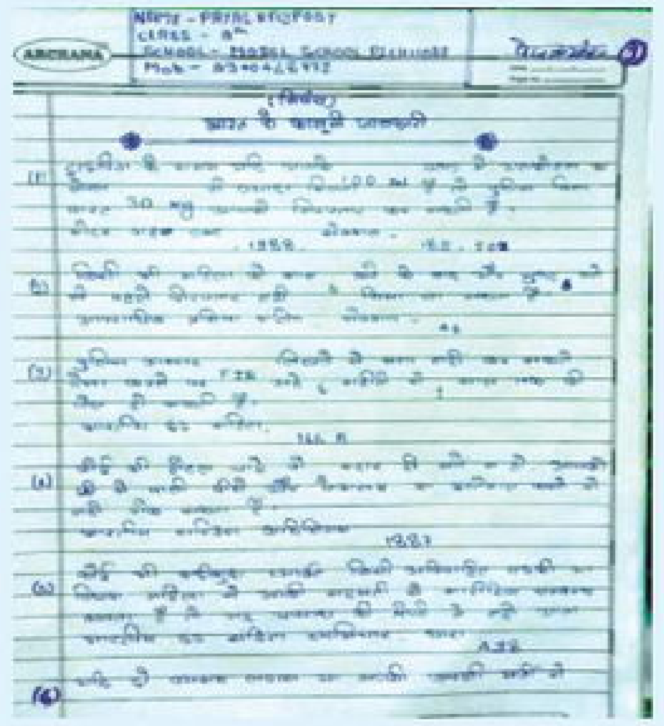

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को लेकर बेहतरीन चित्रकारी की गई। इसके साथ ही छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,जिसमें जिले के कई छात्र–छात्राओं द्वारा विभिन्न विषयों पर निबंध लिखकर प्रतियोगिता में भाग लिया गया।

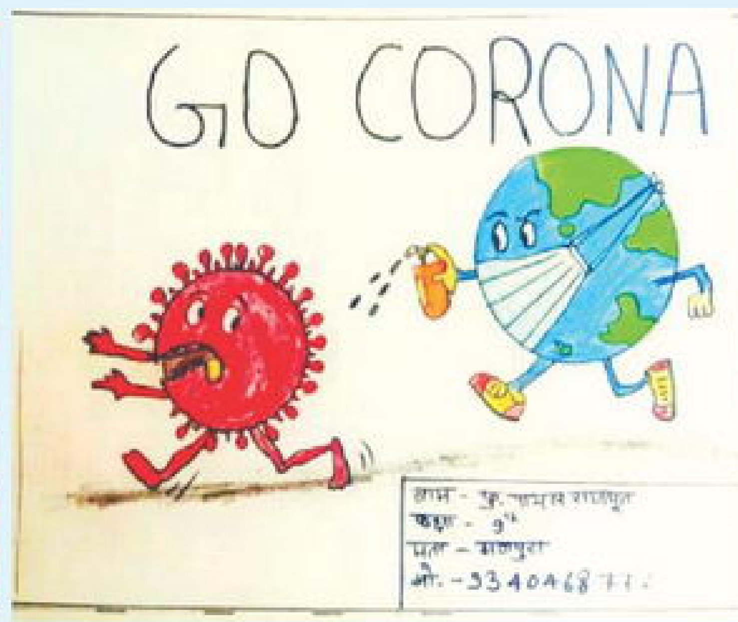

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला राजगढ तहसील सारंगपुर नगर के सामाजिक युवक श्री मनीष राठौर का कोरोना से निधन हो गया था, उक्त परिवार में युवक की मम्मी एवं 7 वर्ष बेटी रक्षा ही शेष है। उक्त परिवार को पैरालीगल वालेंटियर्स की टीम द्वारा राशि रूपये 11,000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके साथ 7 वर्षीय बेटी रक्षा का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर नगर के अन्य संस्थानों के द्वारा बच्ची के शिक्षा व्यवस्था की भी जिम्मेदारी ली गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा दिनांक 11.05.2021 को बाल संप्रेषण गृह का ऑनलाईन माध्यम से निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 13.05.2021 को पी.एल.वी के माध्यम से नवचेतना केन्द्र में बिस्किट का वितरण किया गया।

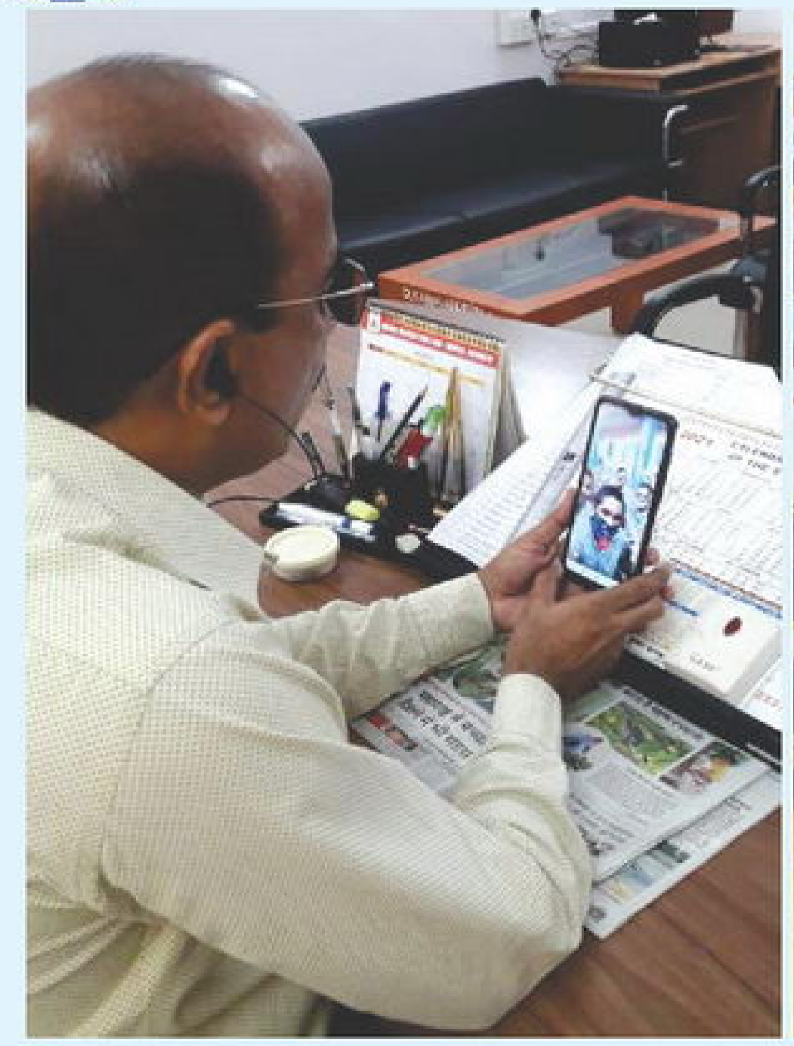

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर

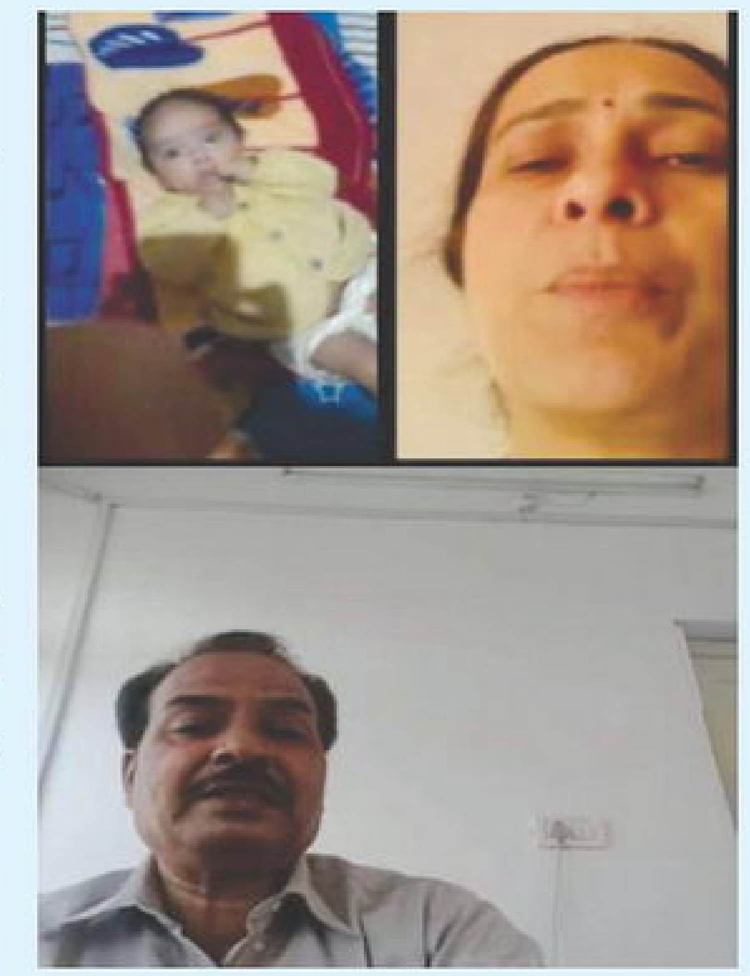

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर द्वारा दीक्षा शिशुगृह का ऑनलाईन निरीक्षण किया गया। जिसमें विजिटर जज, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीक्षा शिशुगृह में संरक्षित बच्चों के बारे में जानकारी ली गई। जिसमें प्रबंधक, नर्स एवं स्टॉप मेम्बर द्वारा 02 बच्चे के होने की जानकारी दी गई। कोरोना महामारी से बचाव हेतु शिशु गृह के लगातार सेनेटाईजेशन तथा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये। सभी स्टॉप मेंबर अधिकारी/कर्मचारी को वेक्सीनेशन लगवाये जाने एवं खान–पान एवं आकस्मिक आवश्यकता हेतु चाइल्ड लाईन 1098 के बारे में जानकारी दी गई। दीक्षा शिशुगृह संस्था में समस्त आवश्यक सामग्री राशन, दवाईयां, मास्क सैनिटाईजर की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा 'नालसा (बच्चों को मैत्री पूर्ण और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015 के अन्तर्गत दिनांक 13.05.2021 को ऑनलाईन माध्यम से शिविर एवं निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में कोरोना काल में बच्चों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव, जैसे माता पिता के दिवंगत हो जाने से बच्चों के अनाथ हो जाने, ऐसी दशा में बच्चों की शिक्षा ,स्वास्थ्य, सुरक्षा उनके भोजन उपचार आवास पालन पोषण' आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उक्त निरीक्षण में बच्चों से भोजन स्वास्थ्य उपचार आदि के संबंध में आवश्यक पूछताछ की गई ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा अरुणोदय बाल गृह का ऑनलाइन निरीक्षण कर बच्चों एवं अधीक्षक से चर्चा की गई। निरीक्षण में अधीक्षक को शासन द्वारा कोविड–19 के दिए निर्देशों का पालन किये जाने एवं प्रतिदिन सेनेटाईजेशन हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही बालगृह में पदस्थ कर्मचारीगण को वैक्सीनेशन हेतु निर्देशित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा दिनांक 24.05.2021 को किशोर न्याय बोर्ड, मालनवासा, उज्जैन का निरीक्षण किया गया। जिसमें जिन बालको के परिजन उनको अपने साथ रखना नही चाह रहे है या लेने नही आ रहे हैं उनकी जानकारी ली गई। अपचारी बालकों के परिजनों से दूरभाष पर सम्पर्क कर उन्हें ले जाने हेतु समझाईस दी गई। निरीक्षण के दौरान बच्चों को कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताये गये। उक्त दिवस को ही संप्रेषण गृह के बच्चों के लिये नैतिक शिक्षा विषय पर वेबीनार आयोजित किया गया। जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा व शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर द्वारा दिनांक 04.05.2021 को बाल संप्रेषण गृह, छतरपुर का मासिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। जिसमें उपस्थित बालकों से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके रहन–सहन खानपान एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की गई और वर्तमान में कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए विधिक सहायता कानूनों की जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा संप्रेक्षण गृह, बाल गृह एवं बालिका गृह के बच्चों में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु दिनांक 22 मई 2021 को जिला महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से वर्चुअल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संट फ्रांसिस सेवा धाम आश्रम श्यामपुरा के 43 बच्चे, कबीर मानव सेवा धाम आश्रम के 34 बच्चे, संजीवनी बाल आश्रम के 32 बच्चे एवं बाल संप्रेक्षण गृह के 14 बच्चे तथा इन संस्थाओं के प्रभारियों के द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम के आरंभ में बच्चों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई, तत्पश्चात सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों से कोरोनावायरस से संबंधित प्रश्न जैसे फैलाव, बचाव व सावधानियां से संबंधित प्रश्न पूछे गए तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तर के संवैधानिक पदों से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे बच्चों के दो समूह बनाए गए, बच्चों के द्वारा प्रतियोगिता के दौरान उचित उत्तर दिए गए जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेता बच्चों को उनके उत्साह वर्धन हेतु प्रमाण पत्रों का वितरण किया जावेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 24.05.2021 को अपना घर संस्था में ऑनलाइन माध्यम से शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव द्वारा संस्था में निवासरत बच्चों से बातचीत कर, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में व्यस्त रहने की सलाह दी गई। शिविर में संस्था में समय–समय पर सेनेटाईज करने, समस्त बच्चों को मास्क वितरित करने एवं अन्य आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह भी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा हरि बाल गृह रीवा में निवासरत बच्चों के कोविड टेस्ट करवाये जाने हेतु हरि बाल गृह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के द्वारा पत्र लिखा गया था। जिसके तारतम्य में हरि बाल गृह में निवासरत 6 बच्चों का कोविड टेस्ट करवाया गया। कोविड टेस्ट में सभी बच्चे की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव पायी गयी।

Media News

विधिक सेवा प्राधिकरण ने हरिबाल गृह का किया निरीक्षण

रीवा। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा द्वारा हरिबाल गृह रीवा का ऑनलाईन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बालगृह मे बालकों को आधारभूत सुविधाओं जैसे आहार, चिकित्सा एवं कोरोना काल मे कोविड महामारी से सावधानी की समीक्षा की गई एवं बालकों से संबंधित अधिकारों के बारे मे बताया गया। बालगृह मे बालकों के कोविड टेस्ट करवाए जाने एवं कोविड संक्रमण से बचाने के संबंध मे आवश्यक दिशा निर्देश बालगृह के संचालक व कर्मचारियों को दिए गए। बालकों को मानसिक तनाव से बचने के संबंध मे भी परामर्श दिए गए। शिविर के दौरान बालक द्वारा ऑनलाईन गीत प्रस्तुत किया गया।

बाल संरक्षण के विषय पर कार्यशाला

मंडलेश्वर. बाल श्रम रोकने और बच्चों के संरक्षण विषय को लेकर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह आयोजन जिला न्यायधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन मे संपन्न हुआ। ऑनलाइन वीडिओ कांफ्रेसिंग के माधयम से ममता यूनीसेफ एनजीओ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन के साथ पुलिस, महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन खरगोन एवं नेहरु युवा केन्द्र खरगोन के पैरालीगल वालेंटियर्स ने हिस्सा लिया। शुभारंभ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के एडीजे भारतसिंह रावत द्वारा किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेशकुमार मंडलोई खंडवा द्वारा पाक्सो एक्ट पीड़ित प्रतिकर की जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन ने विचार रखें। ममता यूनीसेफके सदस्य अमरजीत द्वारा बच्चों की पहचान एवं उनके पुनर्वास के व्यवस्था की जानकारी दी गई। संचालन अमित शिंदे ने किया।

बालकों का हित व संरक्षण है आवश्यक

मंडलेश्वर | मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ममता युनीसेफ, एनजीओ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन के साथ पुलिस विभाग, महिला व बाल विकास, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम विभाग खरगोन, चाइल्ड लाइन, नेहरू युवा केंद्र के पैरालिगल वालेंटियर्स के बीच ऑनलाइन शिविर आयोजित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीजे भारतसिंह रावत ने बाल श्रम, बाल अधिकार व बालकों से मैत्री पूर्ण विषयों पर जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेशकुमार मंडलोई ने पाक्सो एक्ट, पीड़ित प्रतिकर की जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने कहा बालकों का हित व संरक्षण आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया 24 से 29 मई तक विकासखंड स्तर पर आयोजित कर बाल श्रम व बाल संरक्षण विषय पर जिले में कोरोना कफ्यू होने व विद्यालय बंद होने के कारण गांवों के बच्चे बाल श्रम गतिविधियों में लिप्त न हो जाए। जिसके कारण बाल संरक्षण के मुद्दों पर युवाओं की भूमिका विषय पर कार्यशाला का आयोजन कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन शिविर में अमित शिंदे, ममता युनीसेफ समन्वयक शामिल रहे।

"Action may not always bring happiness,

but there is no happiness without action"

~ Benjamin Disraeli

Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा दिनांक 11.05.2021 को दादा जी वृद्ध आश्रम का ऑनलाईन माध्यम से निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से दिनांक 13.05.2021 को दादा जी

बाल सम्प्रेषण गृह और दादाजी वृद्धाश्रम का ऑनलाइन निरीक्षण

खंडवा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा सचिव व अपर सत्र न्यायाधीश हरिओम अतलसिया ने मंगलवार को बाल सम्प्रेषण गृह व श्री दादाजी वृद्धाश्रम, रामनगर का मोबाइल के माध्यम से पृथक-पृथक समय पर ऑनलाइन निरीक्षण किया। इस अवसर पर हरिओम अतलसिया ने शासन एवं स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन अनुसार बाल सम्प्रेषण गृह व श्री दादाजी वृद्धाश्रम में सैनेटाइजर का छिड़काव किए जाने, नियमित रूप से समय-समय पर बच्चों व वृद्धजन के हाथ धुलवाए जाने तथा मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाल सम्प्रेषण गृह व वृद्धाश्रम में खान-पान, स्वच्छता आदि के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही विधिक सहायता, नालसा की योजना, व्यायाम व योग, शिक्षा, स्वच्छता, वृद्धजन के अधिकार, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर, मास्क के उपयोग आदि की जानकारी देते हुए योग व व्यायाम के महत्व के बारे में बताया गया। इस अवसर पर अतलसिया द्वारा बाल सम्प्रेषण के बच्चों व वृद्धाश्रम के वृद्धजनों से खान, पान, स्वास्थ्य समस्या आदि के बारे में चर्चा की गई।

खंडवा. ऑन लाइन निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से चर्चा करते न्यायाधीश।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 17.05.2021 को मंदसौर के वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों से बातचीत कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली एवं उन्हें कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षा अपनाने हेतु समझाईश दी।

Legal Services to Workers in the Unorganised Sector under NALSA Scheme

Online Webinar-cum-training Workshop For PLVs Working At Crime Against Labour Cell

FIRST COLUMN

CJ takes initiative for unorganised sector labourers

■ Legal Correspondent

UNDER the guidance and direction of Justice Mohammed Rafiq, Chief Justice and Patron-in-Chief MPSLSA and Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority held a joint webinar in co-ordination with International Justice Mission, New Delhi as a Crime Against Labour Cell (CALC) has been set up for labourers in co-ordination with the Labour Department in Bhopal, Indore, Ujjain, Jabalpur and Gwalior. Nominated PLVs have been specially trained on how to help labourers to access benefits of the government schemes. During the two-day seminar-cum-training various questions regarding applicability of wages to agricultural labour and the disparity in wages given to women employees was also effectively redressed. The good practices shared by some of the legal assistance cells were also shared. It is expected that with this training the legal services would be able to effectively provide assistance to labourers in the unorganised sector.

Under the able guidance and directions of Hon'ble Shri Justice Mohd. Rafiq the Chief Justice/Patron-in-Chief MPSLSA and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority held a joint webinar in coordination with International Justice Mission, New Delhi which is noteworthy that Crime Against Labour Cell (C ALC) for labourers have been set up in coordination with the Labour Department in Bhopal, Indore, Ujjain, Jabalpur and Gwalior.

Nominated PLVs have been specially trained on how to help labourers to access benefits of the government schemes. During the two day seminar-cum-training various questions regarding applicability of wages to agricultural labour and the disparity in wages given to women employees was also effectively redressed. The good practices shared by some of the legal assistance cells were also shared.

It is expected that with this training the Legal Services would be able to effectively provide assistance to labourers in the unorganized sector.

पीएलवी को दी गई श्रमिकों के विधिक अधिकारों की जानकारी

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर | मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संस्था द्वारा विधिक सहायता प्रकोष्ठ में कार्यरत पैरालीगल वॉलेंटियर्स (पीएलवी) के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीएलवी को बताया गया कि श्रमिकों को उनके विधिक अधिकार और कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाए। प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह ने बताया कि कार्यशाला में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर के पैरालीगल वॉलेंटियर्स को श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यशाला में पैरालीगल वॉलेंटियर्स की शंकाओं का समाधान इंटरनेशनल जस्टिस मिशन की ओर से सुश्री अकुमला ने किया। इस अवसर पर प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह, उपसचिव अरविंद श्रीवास्तव और विधिक सहायता अधिकारी जितेन्द्र मोहन धुर्वे मौजूद थे। पी-2

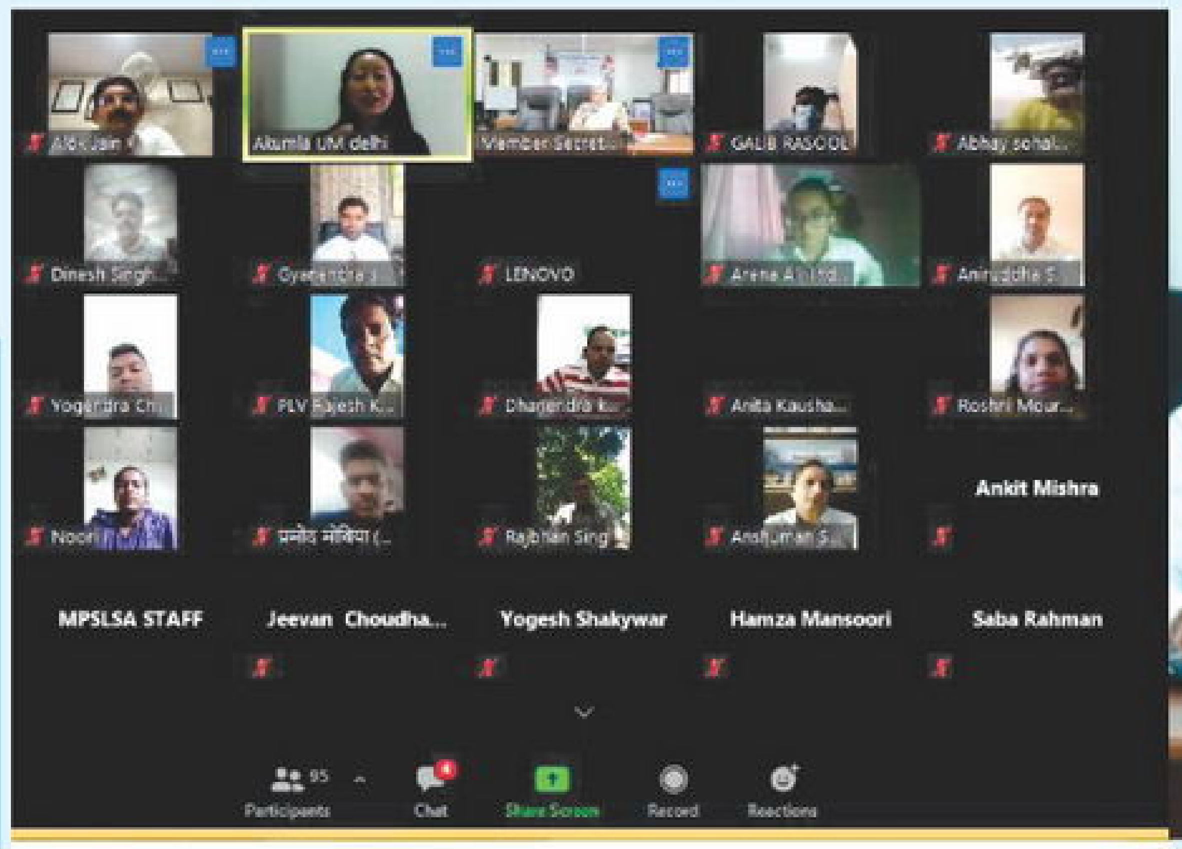

Celebrating International Labour Day

(01-05-2021)

1ST MAY HAPPY LABOUR DAY

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 01.05.2021 को श्रम दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रमिकों के कल्याणार्थ ऑनलाईन माध्यम से शिविर आयोजित किये गये। उक्त शिविर में पैरालीगल वालेंटियर्स को श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

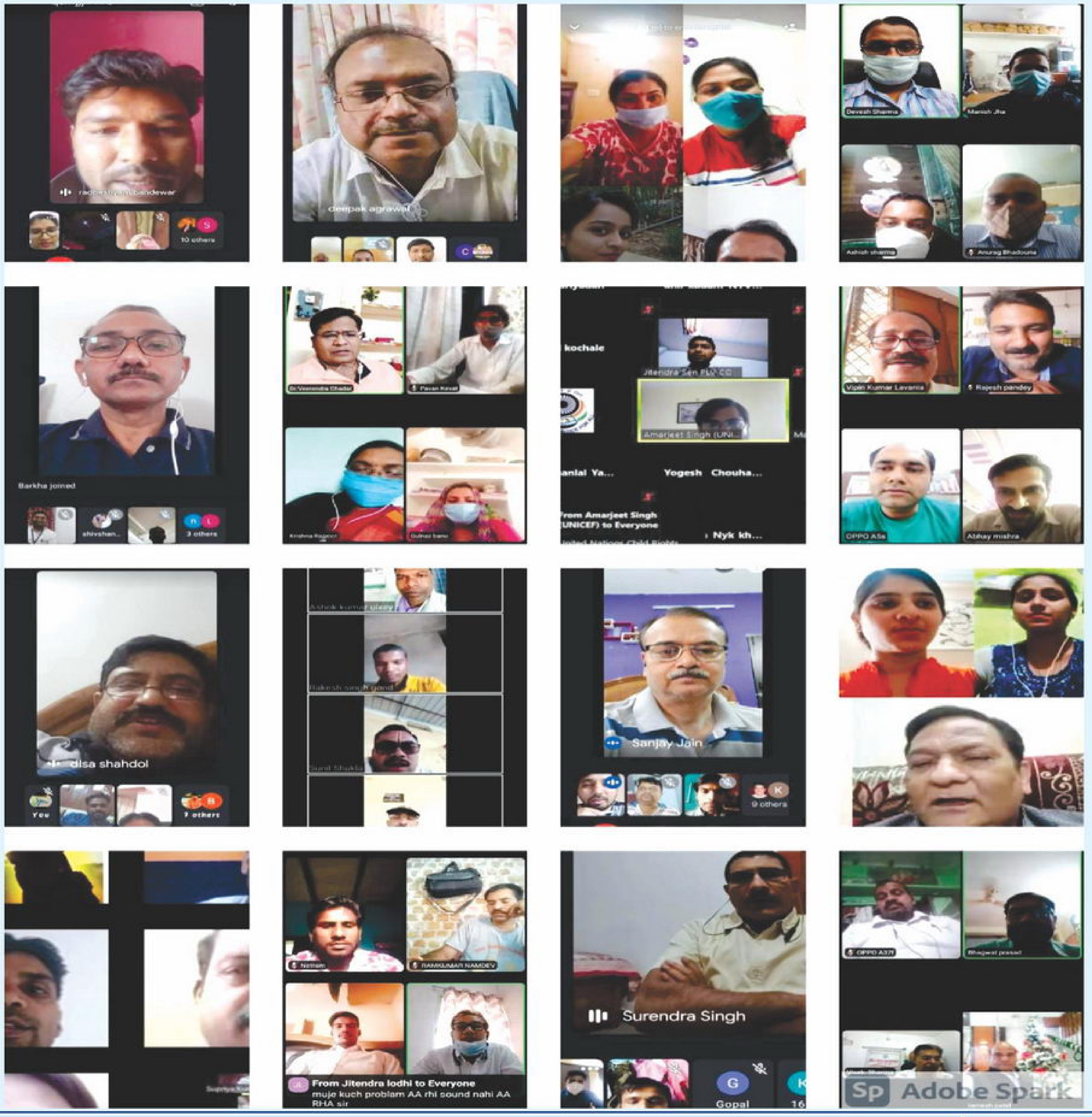

Media News

ACTIVITIES REPORT (MONTH - MAY 2021) NEWS LETTER

(Specl)...

Trained Community Mediation Volunteers of MPSLSA to Extend Services for Dial 100

In a unique initiative, the M.P. State Legal Services Authority coordinated with the Urja Mahila Help Desks under the Crime Against Women Cell for redressal of grievances received under Dial- 100.

The Community Mediation Volunteers trained by M.P. State Legal Services Authority are spread across 36 districts of Madhya Pradesh. The said volunteers would be in a position to not only facilitate online counseling and pre-litigation mediation. Further, in the event that the matters remain unsettled, the information exchanged in the course of the deliberations could be kept confidential under confidentiality ethics of mediation. In addition, if the matters were not settled the team of Para Legal Volunteers/Panel Advocates affiliated to our DLSAs could render assistance to help needy people to register their grievances.

ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का प्रशिक्षण

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर| मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 700 पुलिस थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू दिया गया। प्रशिक्षण के जरिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क और डायल-100 में आने वाली महिला अपराध संबंधी शिकायतों के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में पक्षकारों की काउंसलिंग एवं उभय पक्षों के मध्य मीडिएशन के बारे में भी बताया गया। पी-2

This step is particularly relevant in the Covid era where people find it difficult to either visit the court or to file a complaint at the police station.

In that respect, short training programmes with vertical interaction from the Police and District Legal Services Authority of the concerned district has been organized on 25.05.2021 and with this small step but relevant step it will be possible to secure accessibility to justice through online modes to needy people even through online mode.

Training & Webinar

Online Training of Panel Advocates and PLVs

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 11 मई 2021 को पैरालीगल वालेंटियर्स के साथ ऑनलाईन माध्यम से परिचर्चा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर्स को नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही विवाद विहीन ग्राम, कोरोना मुक्त ग्राम, आदर्श ग्राम, निःशुल्क विधिक सलाह–सहायता योजना, कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक उपाय, व कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति आमजन को जागरूक करने के संबंध में निर्देशित किया गया।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 12 मई 2021 को एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में विशेष न्यायाधीश द्वारा उपस्थित पैनल अधिवक्तागण को महत्वपूर्ण उदबोधन दिया गया। कार्यक्रम के पश्चात पैनल अधिवक्ता गण द्वारा विषय से संबंधित प्रश्न किये गये जिनका उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा का समाधान किया गया।

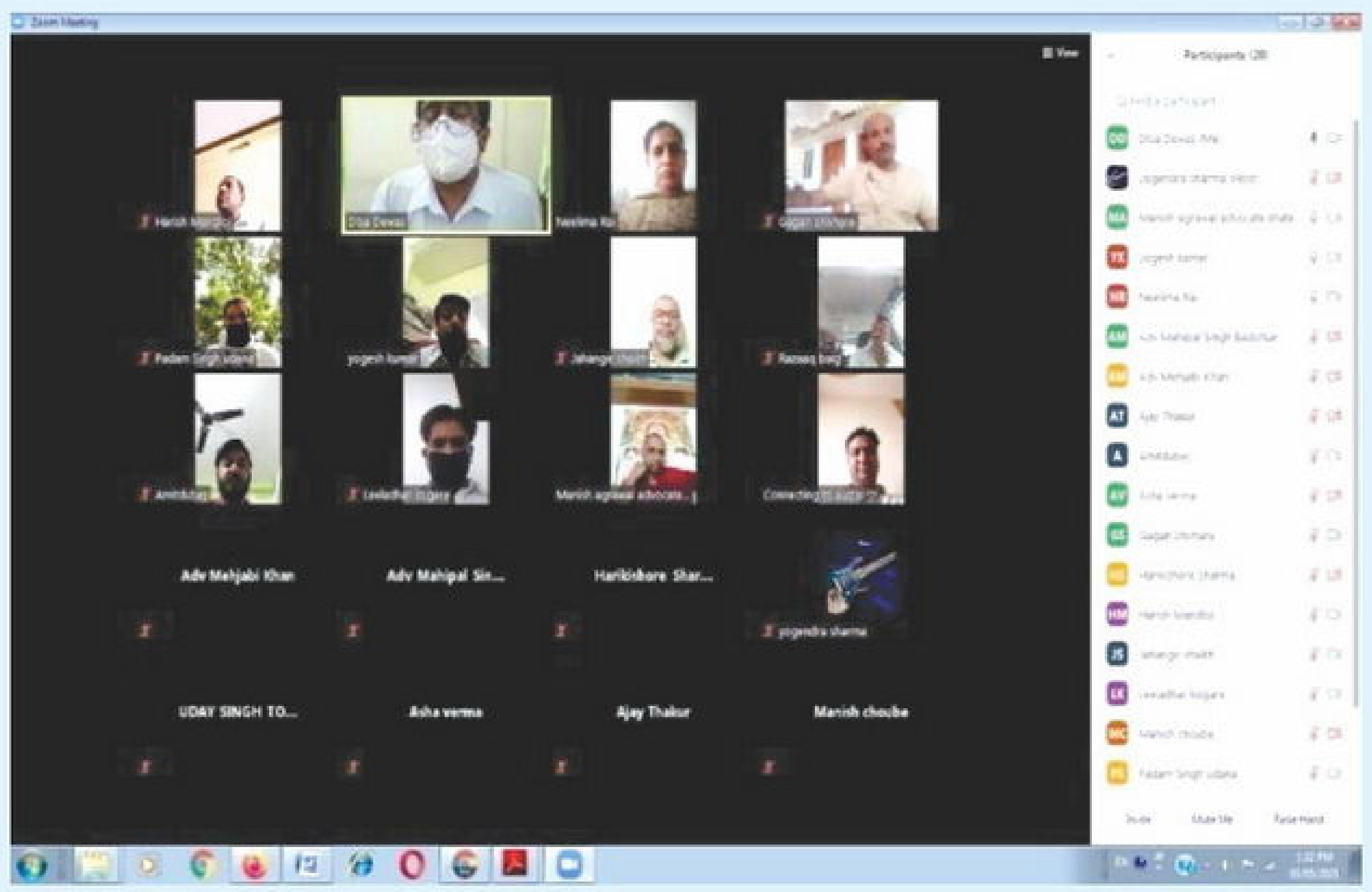

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 03.05.2021 को ऑनलाईन माध्यम से एक दिवसीय प्रक्षिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सचिव द्वारा ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित पैनल अधिवक्ताओं को निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत आमजन को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने, 'नालसा की आपदा पीड़ितों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता योजना' के अंतर्गत साथ वर्तमान मे चल रही कोरोना वायरस महामारी में आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने एवं उनका हर संभव सहयोग करने व कोरोना टीकाकरण के संबंध में भी निर्देशित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आमजन के आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

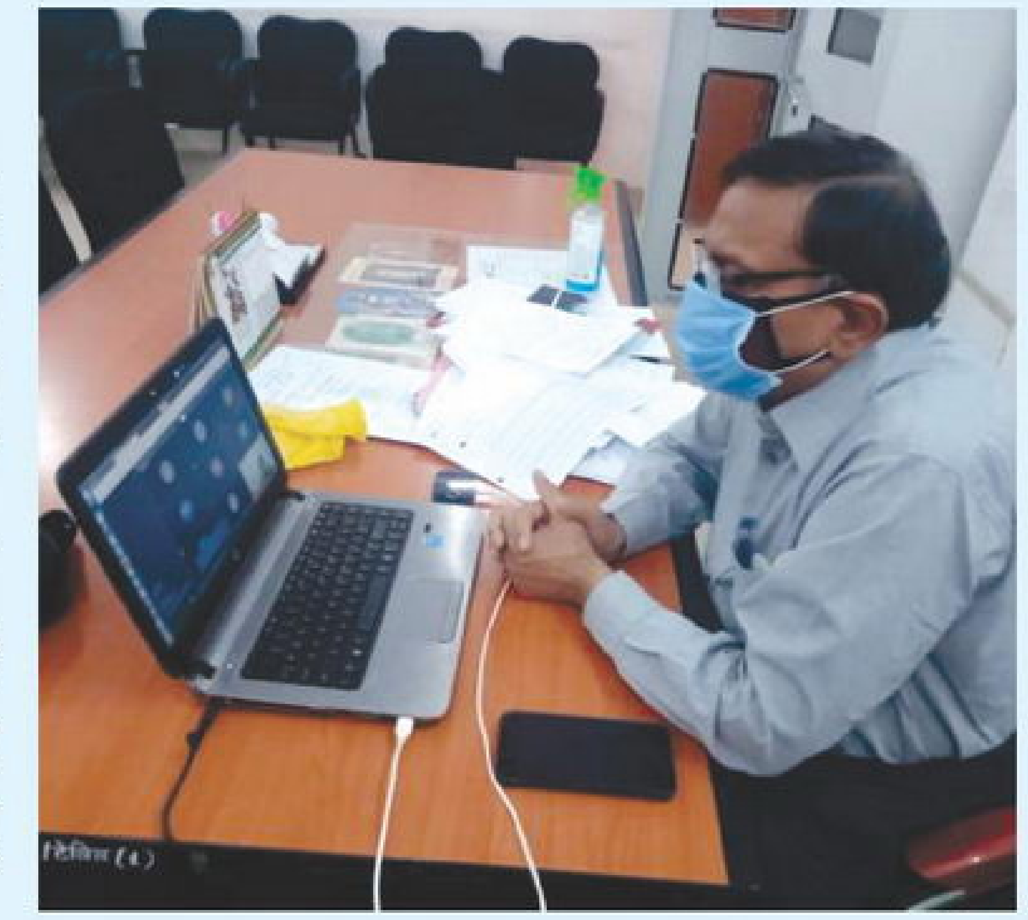

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा दिनांक 03.05.2021 एवं 12.05.2021 को पैरा लीगल वालेंटियर हेतु ऑनलाईन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, नालसा एवं शासन की योजनाओं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, कोरोना मुक्त ग्राम योजना, वृद्धजनों के लिए सहायता योजना, विवाद मुक्त ग्राम योजना एवं गरीबी उन्मूलन योजना के संबंध में जानकारी दी गई। पैरालीगल वालेंटियर्स को वेक्सीन लगवाने एवं समस्त परिवारजन व ग्रामीणजन को भी वेक्सीन लगवाने हेतु सुझाव देने हेतु निर्देशित किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 13.05.21 को ऑनलाईन माध्यम से पैरालीगल वालंटियर्स का प्रशिक्षण सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव द्वारा कोविड–19 संक्रमण व उसके प्रभाव तथा वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ लॉकडाउन अवधि में कैसे दिलाएं इसकी भी चर्चा की गई। समस्त पैरा लीगल वालंटियर्स को वैक्सीनेशन हेतु रजिस्ट्रेशन करने तथा आसपास रहने वाले व्यक्तियों का कोविड–19 रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वैक्सीनेशन के लिए उन्हें प्रेरित करने हेतु जानकार दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 08.05.2021 को ऑनलाईन माध्यम से मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें विधिक सहायता अधिकारी तथा प्रशिक्षित मीडिएटर द्वारा मध्यस्थता के महत्व एवं मध्यस्थता द्वारा होने वाले प्रकरण के त्वरित निराकरण के संबंध में जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में मध्यस्थता की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोचक ढंग से स्क्रीन शेयर कर समझाया गया, साथ ही ऑनलाइन मध्यस्थता के विकल्प से भी अवगत कराया। कार्यक्रम मे वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक के साथ विभिन्न विभागों मे कार्यरत महिलाओ की ऑनलाइन सहभागिता रही।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिंदवाडा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाडा द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु ऑनलाइन रिफ्रेशर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को विभिन्न कानूनी विषय, विधिक सेवा द्वारा संचालित योजनाओं एवं कोविड टीकाकरण के लिए आमजन को प्रोत्साहित करने के विषय पर जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद द्वारा दिनांक 12.05.2021 को ऑनलाईन माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर्स को कोरोना से बचाव के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में पैरालीगल वालेंटियर्स को आम जनता को सहयोग करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला द्वारा दिनांक 04.05.2021 को पैनल अधिवक्ताओ हेतु ऑनलाईन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जमानत, चार्ज, व्यादेश के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा दिनांक 08.05.2021 को ऑनलाईन माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर हेतु संवाद, परिचर्चा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में कोरोना काल में वर्तमान समय की चुनौतियाँ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका एवं दायित्व के बारे में बताया गया। पैरालीगल वालेंटियर्स को आयुष्मान कार्ड बनवाने, कोरोना से रोकथाम एवं बचाव, नालसा एवं राज्य प्राधिकरण की योजना पर जानकारी दी गई। समस्त पी.एल.वी. को भीड–भाड़ से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की सलाह और समझाईश दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली

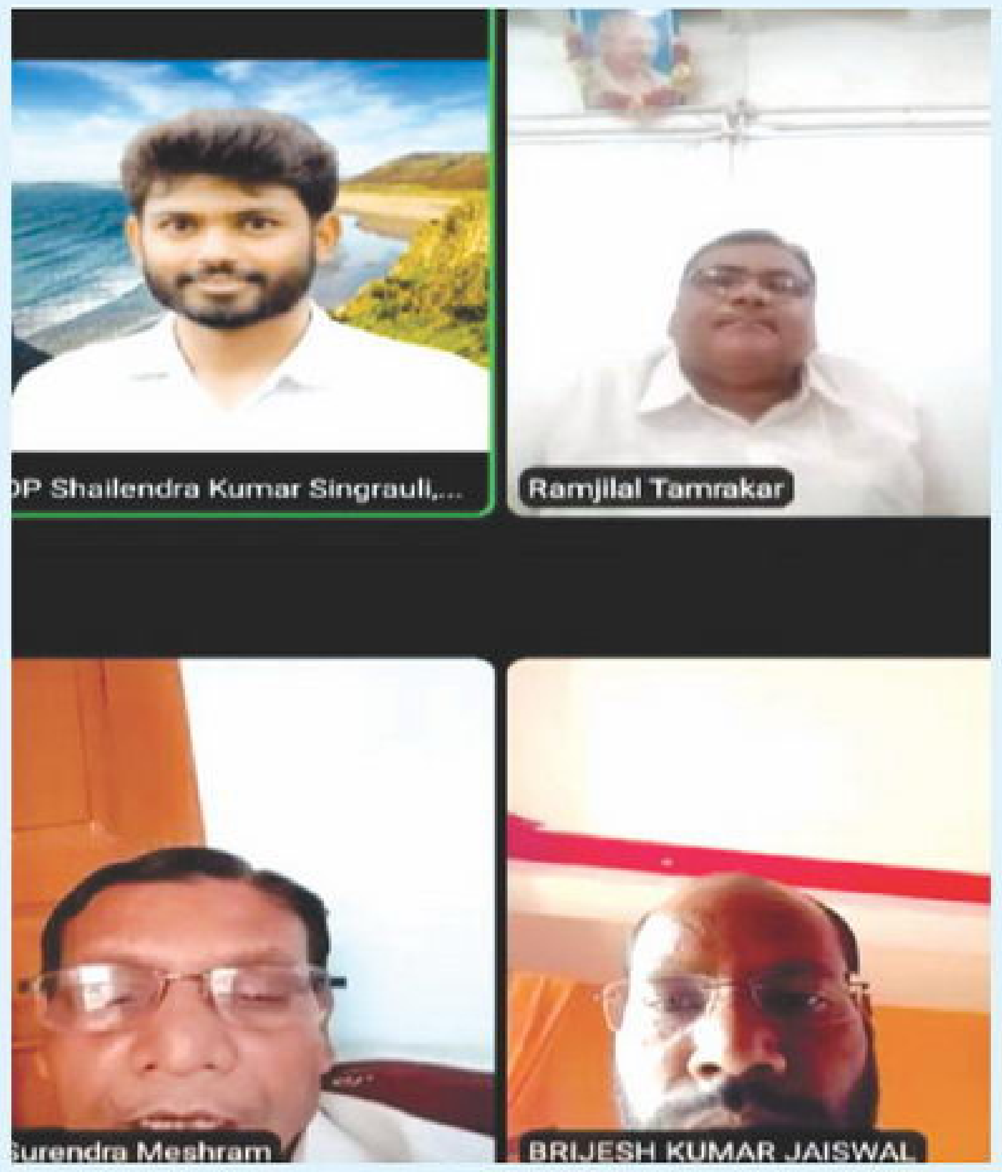

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली द्वारा दिनांक 08.05.2021 ऑनलाईन माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सहभागी रहे। पैरालीगल वालेंटियर्स को कोविड–19 महामारी के संबंध में जन जागरूकता अभियान हेतु स्लोगन लिखने, आमजन को जागरूक करने, वैक्सीनेशन के लिये प्रेरित करने हेतु जानकारी दी।

"Strength does not come from physical capacity.
It comes from an indomitable will"

~ M. K. Gandhi

Celebration of "Bharat ka Amrut Mahotsav"

भारत सरकार द्वारा आयोजित ''भारत का अमृत महोत्सव'' कार्यक्रम के शुभारंभ दिवस दिनांक 12.03.2021 को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया था। जिसमें म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राज्य के 18 आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छिंदवाडा, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, मण्डलेश्वर, रीवा, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी एवं उमरिया में आदिवासी समुदाय को लाभांवित किये जाने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया गया।

उक्त शुभारंभ के पश्चात् कोरोना महामारी में भी आदिवासी बाहुल्य जिलों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से शिविर आयोजित किये गये, जिसमें जरूरतमंद आदिवासी समुदाय के सदस्यों को विधिक सहायता की जानकारी एवं सलाह भी प्रदान की गई, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आदिवासी समुदाय के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड एवं लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये।

शिविर आयोजन संबंधी कुल जिलों की संख्या	आयोजित कुल शिविरों की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या
4	4	160

Glimpses From DLSAs

DLSA ANUPPUR

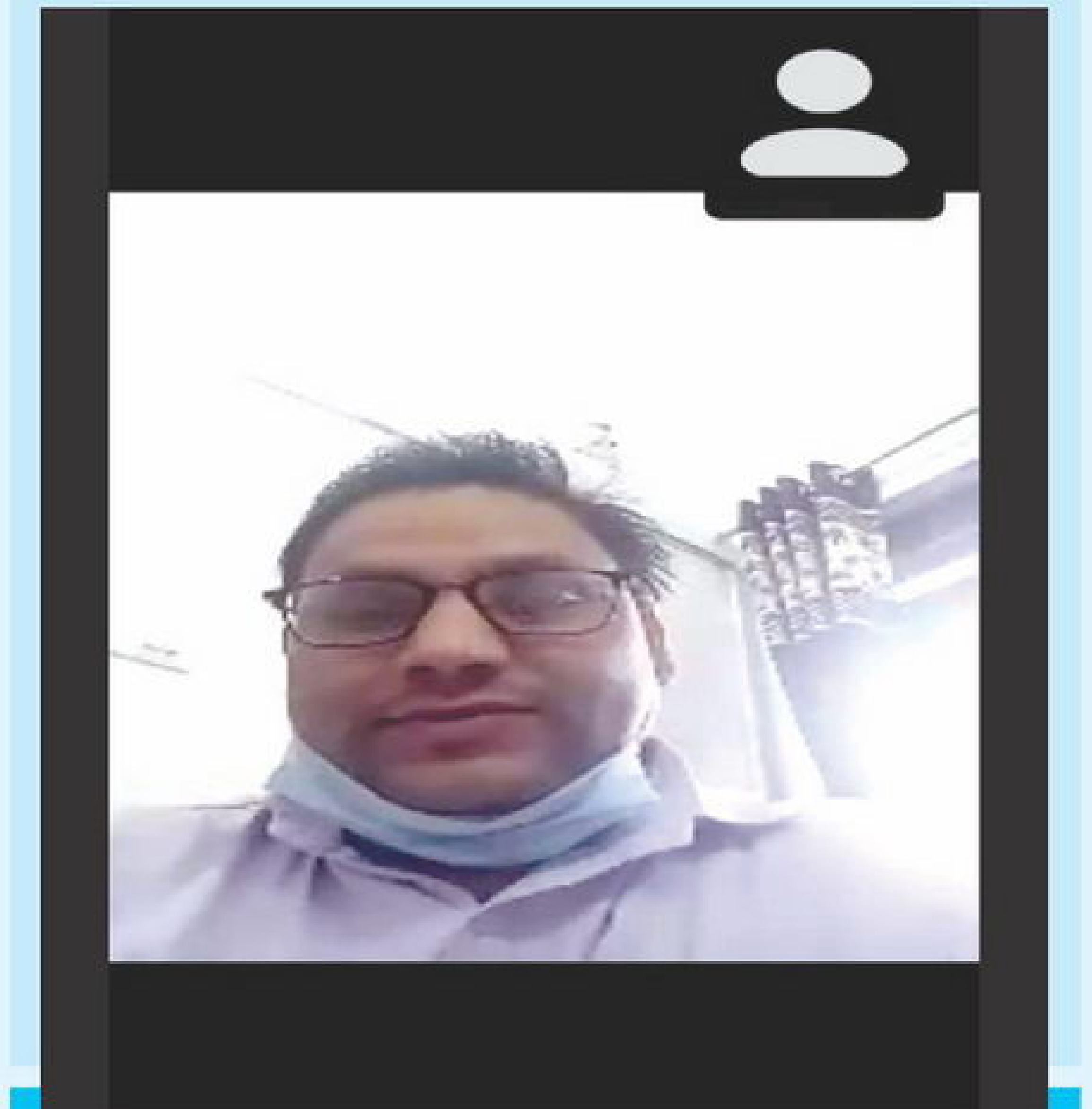
DLSA ALIRAJPUR

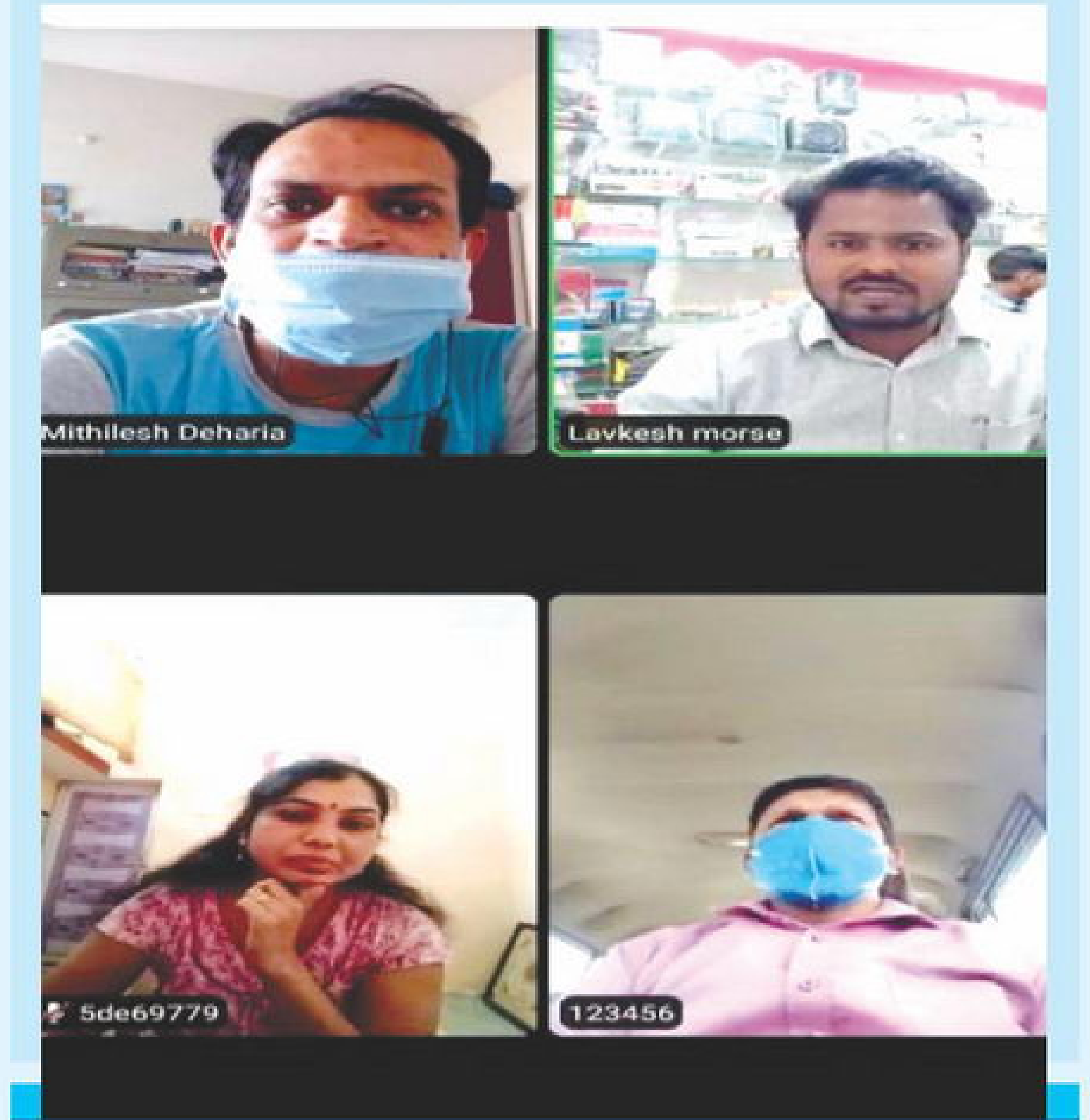

DLSA BETUL

DLSA KHANDWA

Media News

ग्रामीणों को जागरूक करने में जुटे हैं लवकेश

ताप्ती दर्शन, दामजीपुरा

युवा समाजसेवी लवकेश मोरसे पिछले 10 सालों से समाजसेवा में जुटे हैं। वे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपने आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। वे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सरंक्षण, पर्यावरण, रक्तदान में विशेष सहयोग कर रहे हैं।

उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र में विधिक सेवा की जानकारी प्रदान की। स्वच्छता को लेकर बैतूल के साथ-साथ बिहार के सुपौल जिले में भी जाकर जागरूक किया। लवकेश मोरसे ने मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद से जुड़कर गांव में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बनाई। इसके अध्यक्ष वे खुद हैं। समिति के अच्छे कार्यों के लिए वर्ष 2017 में तत्कालीन कलेक्टर शशांक मिश्र के द्वारा मोरसे को सम्मानित किया गया। बोरी बंधान जैसे कार्यक्रम में जल प्रहरी कहे जाने वाले मोहन नागर भी उनके गांव पहुंचे और कार्यों की सराहना की। वैश्विक महामारी कोरोना में भी श्री मोरसे ने भूमिका निभाई। पिछले साल लॉकडाउन के समय मोरसे के द्वारा बाहर से आने वाले मजदूर हो या फिर कोई अन्य, उन्हें क्वारेंटाइन करना, स्वास्थ्य जांच में सहयोग करना, भोजन व्यवस्था देखना, मास्क वितरण, गाइड लाइन पालन की सलाह देना, आशा, आंगनबाड़ी एएनम, एमपीडब्ल्यू के साथ मिलकर कोरोना के प्रति जागरूक किया। मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। इस वर्ष भी लवकेश द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाई जा रही है। वे जन अभियान परिषद के वालेयंटर भी हैं। मोरसे इस वर्ष सेवा देते-देते अस्वस्थ हो गए, लेकिन 20-22 दिन में स्वस्थ होते ही फिर सेवा में लग गए। अब वे आदिवासी क्षेत्र में वैक्सीन को फैली भ्रांतिया दूर कर रहे हैं। बीमारी ब्लैक फंगस की भी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

"Let us train our minds to desire what the situation demands"

~ Seneca

Panch 'J'

Preserving Our Beautiful Blue Planet

भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पानी के सकोरे रखकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं पंज ज कार्यक्रम में तहत पौधों को सूखने से बचाने हेतु नियमित रूप से पौधों को पानी दिया जा रहा है।

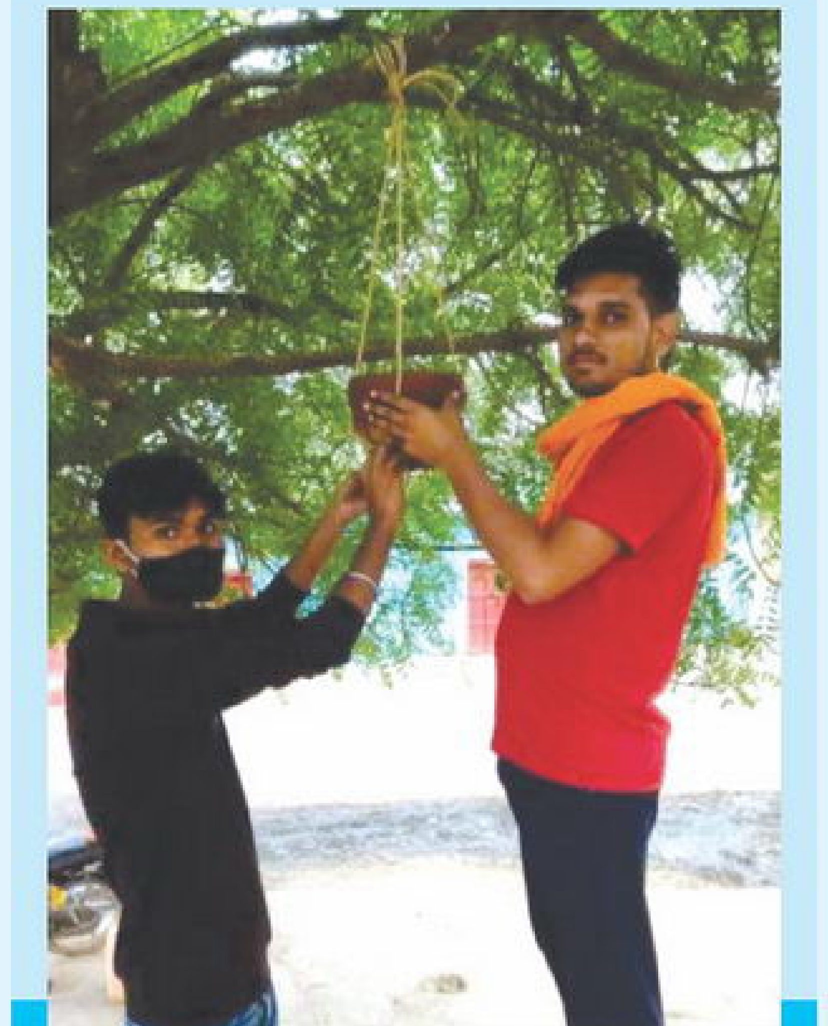

जि.वि.से.प्रा. शिवपुरी

जि.वि.से.प्रा. इंदौर

जि.वि.से.प्रा. अनूपपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से निरंतर भीषण गर्मी में पशुओं के लिये हरे चारे की व्यवस्था की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 18.05.21 को 'पंच – ज' कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी विद्यालय थांदला के परिसर में वृक्षारोपण किया गया।

Media News

न्यायाधीश द्वारा महिलाओं को कोविड नियमों की जानकारी दी गई

लॉकडाउन का पालन करना जरूरी तभी कोरोना जाएगा

महेश्वर तहसील में 5 टीकाकरण केंद्रों पर 439 लोगों ने लगाई कोरोना वेक्सीन

नर्मदा घाट पर साफ-सफाई के साथ मछलियों को खाना खिलाया

मंडलेश्वर ● स्वदेश समाचार

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र के निर्देश पर सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश भारत सिंह रावत ने पैरालीगल वालेंटियर्स जोजु एमआर और दुर्गेश राजदीप के साथ पंच-ज अभियान के तहत मंडलेश्वर के नर्मदा घाट पर साफ-सफाई के साथ मछलियों को खाना खिलाया।

अपर जिला न्यायाधीश भारत सिंह रावत ने बताया कि विधिक सेवा के पंच-ज अभियान के तहत जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन के संरक्षण की बात कही है। उसी के तहत हम नर्मदा तटों की साफ-सफाई के साथ जलीय जीव (मछली) के संरक्षण की भी पहल कर रहे हैं। यदि मछलियां अधिक संख्या में होंगी तो पानी शुद्ध रहेगा। घाटों पर गंदगी नहीं करना चाहिए। जगह-जगह प्लास्टिक कचरा पड़ा होने से पर्यावरण खराब होता है और जलचर, नभचर, जानवर सभी के स्वास्थ्य पर प्रतिकू ल असर पड़ता है। न्यायाधीश द्वारा नर्मदा किनारे बैठी महिलाओं को कोविड नियमों की जानकारी दी गई। आपने एक-दूसरे के बीच दूरी क्यों जरूरी है यह बात जब महिलाओं को बताई तो वे दूरी बनाकर बैठ गई। मास्क लगाने से कोरोना बीमारी का खतरा कम हो जाता है। हाथों को धोकर ही कोई काम करें। 18 प्लस और 45 प्लस हो चुके लोगों को कोविड का टीका जरूर लगवाना चाहिए।

टीकाकरण के लिए दी समझाइश

पैरालीगल वालेंटियर जोजु एमआर ने नर्मदा घाट पर नाविकों और अन्य लोगों को समझाइश देकर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी भ्रम फैला है जिसे दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। पैरालीगल वालेंटियर दुर्गेश कुमार राजदीप ने कहा कि पंच-ज अभियान को लेकर सभी लोगों को गंभीर होना पड़ेगा तभी हम पर्यावरण के साथ न्याय कर सकेंगे। यदि हम अभी भी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना नहीं छोड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।

"Faith must be enforced by reason.

When faith becomes, it dies."

~ M. K. Gandhi

Legal Services to Disaster Victims under NALSA Scheme

PLVs in Action

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवायें) योजना 2010 के अंतर्गत "दो गज दूरी मास्क है जरूरी" एवं "टीका ही संजीवनी" अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में ग्राम मानपुरा एवं ग्राम अंतरवेलिया में सड़क पर पैरा लीगल वालिंटियर्स द्वारा कोरोना रोकथाम बचाव जागरूकता के लिए रंगोली बनाकर एवं टीकाकरण हेतु जन जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया एवं आमजन को निःशुल्क मास्क वितरण किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा झाबुआ नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवायें) योजना 2010 अन्तर्गत दिनांक 13.05.21 को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यकम शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा "दो गज की दूरी है जरूरी" एवं 'टीका ही संजीवनी अभियान" अन्तर्गत जागरूकता का प्रचार प्रसार करते हुये झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों कोरोना संक्रमण रोकथाम बचाव हेतु घर घर जाकर निःशुल्क मास्क वितरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा नालसा (आपदा पीडितों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत कोविड–19 महामारी के दौरान जिला चिकित्सालय को इप्का लेबोरेटरी एवं स्थानीय बैंक के सहयोग से चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री प्रदाय की गई। जिसमें पलंग, गद्दे, तकिये, चादर, ऑक्सीजन वाल्व, आई.वी सेट, पी.पी.ई. किट, ऑक्सीमीटर, स्टूल, मेडिसिन किट तथा एन–95 मास्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त महामारी के संक्रमण के प्रकरणों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन बेड अनुपलब्धता महसूस की होने पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वंचित वर्ग को ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन तथा जीवन रक्षक दवा जैसे रेमदेसीविर इंजेक्शन आदि प्रदाय करने में सहायता की गई। इसी तारतम्य में प्राइवेट फार्मा कंपनी इप्का प्राइवेट लिमिटेड, रतलाम पंजाब नेशनल बैंक, रतलाम क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रतलाम, बैंक ऑफ बड़ौदा, आलोट द्वारा 5 लाख रुपए मूल्य की सामग्री प्रदाय की गई।

इसके साथ ही कोविड–19 महामारी से बचाव के लिए पैरालीगल वालेंटियर द्वारा जय कैला माता शैक्षणिक समिति संस्था के सहयोग से बीमार व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर राशि रूपये 1/– प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई मेडिकल उपकरण किराए पर दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में इस तरह की सेवा से आमजन बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं।

एक रूपए किराये पर उपलब्ध करा रहे हैं मेडीकल इक्यूपमेंट

कोरोना संक्रमण के दौर में 105 मेडीकल इक्यूपमेंट जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए गए

जिला जज ने अस्पताल को चिकित्सा उपकरण दिए

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में भेंट की सामग्री

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सोमवार को जिला जज उमेशकुमार गुप्ता ने जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. योगेश नीखरा तथा डॉ. एसके राठौड़ को चिकित्सा उपकरण और सामग्री भेंट की। यह सामग्री इप्का लेबोरेटरी, भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय व जावरा तथा आलोट शाखा, पंजाब नेशनल बैंक त्रिपोलिया गेट शाखा के सहयोग से प्रदान की।

जिला अस्पताल को 25 पलंग, 25 गद्दे, 25 तकिए, 50 चादर, 25 ऑक्सीजन वॉल्व, 25 ऑक्सीजन मास्क, 25 आईवी सेट, पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, स्टूल, मेडिसिन किट तथा एन-95 मास्क भेंट किए हैं। कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश कपिल वर्मा, इप्का के वाइस प्रेसीडेंट दिनेश सियाल, जनसंपर्क अधिकारी विक्रम कोठारी, पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधक बृजेश पुल्लेया, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक सोमप्रकाश अग्रवाल, पंकज गुप्ता, बैंक ऑफ बड़ौदा आलोट शाखा के ओम गौड़, जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा पैरालीगल वालेंटियर मौजूद थे।

सामग्री वितरित करते हुए जिला जज उमेशकुमार गुप्ता।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच

बांछड़ा समुदाय बाहुल्य ग्राम सगरग्राम में जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा दिनांक 23.05.2021 को बांछड़ा समुदाय बाहुल्य ग्राम सगरग्राम में जागरूकता एवं राहत सामग्री वितरण हेतु शिविर आयोजित किया गया। महू नीमच राजमार्ग पर स्थित उक्त ग्राम में बांछड़ा समुदाय के मध्य वैश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराई व्याप्त है। जि.वि.से.प्रा. नीमच अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं एवं शासकीय विभागों के माध्यम से और उनके समन्वय से बांछड़ा समुदाय को समाज की मुख्य धारा में स्थान दिलाने के लिए और उनके सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन के लिए प्रयत्नशील है। कोरोना के कारण लोगों को बेरोजगारी और राशन सामग्री के अभाव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एनजीओ प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति के समन्वय से करीब 80 परिवारों को राशन किट वितरण की गई। जिसमें प्रत्येक किट में 20 किलो आटा, दाल, खाद्य तेल, नमक, चाय, शक्कर, साबुन, सर्फ आदि लगभग 20 दिवस उपयोग योग्य सामग्री रखी गई थी। सभी परिवारों को दवाइयों की किट भी प्रदान की गई और उसके उपयोग के बारे में समझाया गया।

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित उक्त शिविर में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव, रजिस्ट्रार, अधिवक्तागण, प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति के संचालक, तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन उपस्थित रहा। उक्त शिविर में कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाए जाने और सभी का वेक्सीनेशन किए जाने पर जोर दिया। अन्य किसी सहायता हेतु निःशुल्क नंबर 15100 की भी जानकारी दी गई। आभार प्रदर्शन श्री आकाश चौहान द्वारा किया गया। एक लाभार्थी के विकलांग होने के कारण शिविर स्थल पर उपस्थित न हो सका, जिस कारण उसे घर जाकर दवाइयां एवं राहत सामग्री प्रदान की। उक्त शिविर के दौरान ग्रामीणों से चर्चा में यह तथ्य सामने आया कि गांव में अभी तक किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में अनेक भ्रांतियां व्याप्त हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पी.एल.वी. की टीम गठित की जाकर ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है और जल्द ही ग्राम में ही वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किये जाने का प्रयास किया जावेगा।

ACTIVITIES REPORT (MONTH - MAY 2021) NEWS LETTER

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा

कोरोना संक्रमण काल में भी अपनी कर्मठता से अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा के पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा स्वेच्छा से जिला विदिशा के शव दाह ग्रह स्थल पर जाकर मृतकों के दाह संस्कार में परिजनों का पूरा सहयोग किया जा रहा है। पैरालीगल वालेंटियर्स की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वालंटियर्स को पीपीई किट प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पी.एल.वी. के माध्यम से दीवारों पर जागरूकता के लिए स्लोगन लिखे गये। पी.एल.वी. के द्वारा अपने-अपने गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क की आवश्यकता, कोरोना से बचाव के उपाय संबंध में समस्त ग्रामीणजन को जानकारी दी। उक्त ग्राम में ग्रामीणजनों के सहयोग से बाहर से आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित कर कोरोना संक्रमण की चैन तोडने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही "कोरोना मुक्त गांव" की परिकल्पना को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में सेनेटाईजेशन का भी कार्य करवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के पैरालीगल वालेंटियर द्वारा गरीब व्यक्तियों को राशन वितरण, काढा वितरण किया जा रहा है तथा आमजन को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी प्रदाय की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर की पैरालीगल वालेंटियर्स की टीम द्वारा लोगों को स्वस्थ रखने हेतु एवं उनकी इम्युनिटी बढ़ाने के लिए दवाई की किट तैयार की जा कर घर–घर वितरित की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा मंदसौर के मुक्तिधाम में लकड़ियों की कमी आने पर मानव धर्म निभाते हुए लकड़ियों की व्यवस्था की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के पैरालीगल वालेंटियर के सहयोग से दिनांक 05.05.2021 को मेडिकल कॉलेज में मानपुर से गंभीर हालत में आए कोरोनावायरस पॉजिटिव व्यक्ति को इंटरनल केयर यूनिट (आईसीयू) में भर्ती करवाया गया एवं तत्कालीन सुविधाओं को उपलब्ध कराया कराने में सहायता की गई। पी.एल.वी. द्वारा मरीज के परिजनों को वहां रहने के लिए व्यवस्था भी की गई तथा उन्हें सावधानी बरतने एवं धैर्य रखने की सलाह दी गई। पैरा लीगल वालेंटियर की टीम द्वारा ग्राम पंचायत रामपुर के बेलिया ग्राम में भी जरूरतमंद लोगों को राशन का वितरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के पैरालीगल वालेंटियर्स को ग्राम में एक वृद्ध के घर में भोजन न होने की जानकारी लगी। जानकारी लगने पर पी.एल.वी. द्वारा अपने घर से भोजन तैयार कर भूख से व्याकुल वृद्ध को भोजन उपलब्ध कराया गया। उक्त वृद्ध को राशन सामग्री, मास्क भी प्रदाय किया गया। पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा ग्राम पंचायत मझौली अंतर्गत ग्राम कठौतिया , टिकुरी टोला में राशन सामग्री प्रदाय की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम एवं किल कोरोना अभियान के अंतर्गत आमजन को कोरोना से बचाव हेतु मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, वैक्सीनेशन इत्यादि के बारे में बताया गया। कोविड के लक्षण आने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर जाँच तथा दवा लेने के संबंध में जानकारी दी गई। कोरोना की चेन तोड़ने हेतु नागरिकों को घरों में ही रहने हेतु समझाईश देते हुए अतिआवश्यक कार्य होने पर ही प्रशासन द्वारा लागू किये गए कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के पैरा लीगल वोलियेन्टर्स निरन्तर सेवा व सहायता के कार्य मे लगे हुए हैं। पैरा लीगल वोलियेन्टर श्री घनश्याम मोदी द्वारा संस्था श्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संरक्षक के सहयोग से जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है।

15 दिनों से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर का कर रहे वितरण

अनोखा तीर, देवास। कोरोना की महामारी को देखते हुए शहर में ऑक्सीजन की रिफिलिंग किल्लत को लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए विगत पिछले 15 दिनों से दिलीप श्रवण अग्रवाल द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण उज्जैन रोड बायपास खेड़ापति पेट्रोल पंप के सामने किया जा रहे हैं। समिति सचिव घनश्याम मोदी ने बताया कि अभी तक सुनवानी महाकाल सुकलिया, पुवाल्डाडाई, हवनखेड़ी, सांवेर, आगर मालवा, बरोठा, बींजाना इत्यादि जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था निःशुल्क की। आगे भी जो व्यवस्था बनेगी, उसे हम तत्परता से करेंगे। कल शाम को श्री अग्रवाल के पास मंत्री तुलसी सिलावट का फोन आया कि हम मांगलिया के पास कोविड सेंटर बना रहे हैं, वहां पर कूलर एवं भोजन की व्यवस्था आपको करना है। जिसे गंभीरता से लेते हुए सुबह 4 कूलर की व्यवस्था की। जिस किसी को यदि ऑक्सीजन रिफिलिंग सिलेंडर की सख्त आवश्यकता हो तो दिलीप अग्रवाल के मोबाइल नंबर 9826512129 पर संपर्क कर आक्सीजन रिफिलिंग का खाली बाटला लेकर आ आए और हमसे आक्सीजन से भरा बाटला लेकर जाए। उक्त जानकारी महेश पटेल ने दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा दिनांक 11 मई 2021 को मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद् की ''हम स्वस्थ तो उज्जैन स्वस्थ'' की योजना को आगे बढ़ाते हुए पैरालीगल वालेंटियर द्वारा लोगो में वैक्सीन लगवाने को लेकर मन में बने भय को दूर करने के लिए समझाइस दी। वही राहगीरों के मोबाईल में एप्लीशनकेशन डाउनलोड कर वैक्सीनेशन हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया।

दिनांक 24.05.2021 को पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से संस्था दिव्यांग फाउंडेशन उज्जैन के सहयोग से भेरुगढ़ क्षेत्र से वीर सावरकर प्याऊ, ग्यारसी नगर, महावीर नगर, जानकी नगर, तिलकेश्वर कॉलोनी, किशनपुरा, सेठी नगर, श्रीकृष्ण कालोनी में समाज के जरूरतमंद दिव्यांग साथियों के लिए सूखा राशन का वितरण कार्य किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर की पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा कोरोना लॉकडाउन के कारण जो व्यक्ति अपनी दवाईयों को लेने जाने में असमर्थ है, उन्हें दवाईयां घर पर ही उपलब्ध करवा रहे है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक नगर के सचिव एवं विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रतिदिन प्रातः 6.30 पर समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स के साथ जूम एप के माध्यम से 30 मिनिट योगाभ्यास किया जाता है, तत्पश्चात कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में सावधानी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु चर्चा की जाती है जिसके पालन में पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा ग्रामीणजन को कोरोना के संबंध में जागरूक किया, मास्क वितरण किये, एवं वैक्सीन लगवाने में मदद की। पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा ईसागढ नगर में सेनेटाईजेशन का कार्य किया गया।

जिला चिकित्सालय अशोक नगर में मरीजों तक ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में पैरालीगल वालेंटियर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

वैश्विक महामारी कोविड–19 में जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राण बचाने की चाह में लगा हुआ है, वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के पी.एल.वी. द्वारा रक्तदान कर किसी को जीवन बचाने में सहायता की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर के पी.एल.वी. द्वारा कोरोना पीडित व्यक्ति की सहायता हेतु अथक प्रयास किये गये, किंतु उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उसके परिवार में उसकी पुत्री के अतिरिक्त और कोई नहीं था, जिस कारण जिला प्रशासन के सहयोग से पी.एल.वी. द्वारा उसका अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई एवं उसका अंतिम संस्कार किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर के मार्गदर्शन में कार्यालय से संबद्ध एनजीओ संगम सेवालय द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल रसोई योजना के साथ जुड़कर दिनांक 30.04.2021 से लगातार कोरोना प्रभावित परिवारों तथा गरीब परिवारों को अपने वाहन के माध्यम से और स्वयं आर्थिक सहयोग करते हुए निरंतर भोजन वितरण की कार्यवाही की जा रही है जिसमें प्रतिदिन 800 से 1000 पैकेट का वितरण किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के द्वारा तैयार की गई पैरालीगल वालेंटियर्स की टीम द्वारा इस लॉकडाउन के कठिन समय में मानवता का परिचय देते हुए जरूरतमंद एवं गरीब व्यक्तियों को भोजन एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के पैरालीगल वालेंटियर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु जानकारी प्रदाय की गई तथा आमजन को निःशुल्क मास्क एवं सेनेटाईजर प्रदाय किये गये। इसके साथ ही पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा भोजन एवं फल वितरित किये गये।

इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर्स की टीम द्वारा कोविड सहायता केंद्रों पर बुखार सर्दी खांसी एव सांस लेने में तकलीफ लक्षण पाए जाने वाले रोगियों के आवश्यक परीक्षण करने एवं आवश्यकता होने और उन्हें परीक्षण हेतु फीवर क्लीनिक में रैफर करने हेतु केंद्रों पर उपस्थित रहकर सेवाएं प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से डोर–टू–डोर सर्वे कार्य, कोरोना महामारी से बचाव, स्वच्छता मास्क का उपयोग एवं महामारी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के पैरा लीगल वालंटियर द्वारा गांव में लोगों को कोरोनावायरस से बचाव के संबंध में पेम्फलेट्स, मास्क वितरित किये गये तथा बचाव हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद द्वारा पैरा लीगल वालेंटियर्स द्वारा स्लम एरिया में जाकर मास्क वितरण किया गया तथा कोरोनावायरस से बचाव के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, इसी कम में बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क घूम रहे लोगों से मास्क लगाने का अनुरोध किया गया। पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा कोरोना से पीडित मरीजों को दवाईयों का वितरण किया गया तथा उनके परिवार के लिए संचालित निःशुल्क रसोई में आटा भी प्रदान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद के पी.एल.वी. द्वारा नर्मदा तट सेठानी घाट में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी दी तथा निःशुल्क मास्क वितरण किये गये। इसके साथ ही पैरा लीगल वालेंटियर्स द्वारा कलेक्टर परिसर से लेकर मीनाक्षी चौक तक रोको टोको अभियान चलाया, जिसमें लोगों को मास्क वितरण किये गये, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं जिनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं था उन्हें राशन सामग्री वितरित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला की पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा ग्राम खुर्सीपार में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता के लिये दीवार पर स्लोगन लेखन का कार्य किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के पैरालीगल वालेंटियर द्वारा दिनांक 05.05.2021 को ग्रामीण क्षेत्र में कोविड–19 संक्रमण के बचाव को लेकर दीवार पर जागरूकता हेतु स्लोगन लेखन का कार्य किया गया। इसके साथ ही पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा ग्राम पंचायत बिजोरि में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में सहयोग प्रदान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर पैरा लीगल वालेंटियर्स द्वारा ग्राम कुंडिया में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरूक किया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनों को वैक्सीन लगाने सामाजिक दूरी का पालन मास्क लगाने एवं विधिक सहायता हेतु जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही ग्रामीणजन का शारीरिक तापमान की जांच की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को कोरोना महामारी से बचाव हेतु निःशुल्क दवाईयों का वितरण किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा दिनांक 11 एवं 12 मई 2021 को ग्राम पंचायत मनपुरा में पैरा लीगल वालंटियर्स के माध्यम व एन.जी.ओ. के सहयोग से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 100 मजदूरों के परिवारों को राशन के पैकेट निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये।

शिवपुरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा सामाजिक दूरी एवं मास्क है जरूरी के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है एवं उससे संबंधित पर्चे भी चस्पा किए जा रहे हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जागरूकता हेतु मास्क एवं पेंपलेट्स का निःशुल्क वितरण किया गया तथा जिला चिकित्सालय धार के पास भोजन उपलब्ध करवाया गया। पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा निरंतर ग्रामीण जन को आवश्यक राशन उपलब्ध करवाया रहा है।

"I walk slowly but I never walk backward."

~ Abraham Lincoln

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा दिनांक 11.05.2021 को पैरालीगल वालेंटियर द्वारा ग्राम पंचायत भदौरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवायी जा रही कोरोना की जांच में डर रहे ग्रामीणजन को समझाईश दी गई। पैरालीगल वालेंटियर द्वारा डोर टू डोर जांच में स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान किया गया।

इसके साथ ही पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा ग्राम इकोदिया में मास्क वितरण कर एवं सर्वे करवाकर कोरोना जांच करवाने में सहयोग दिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिनांक 12.05.2021 को ग्राम खुर्दी में 85 ग्रामीणों की कोरोना जांच की गई जिसमें तीन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके उपरांत तहसील विधिक सेवा समिति के पैरा लीगल वालेंटियर्स की टीम द्वारा ग्रामीणजन को कोरोना जांच करवाने के संबंध में जागरूक किया गया। टीम द्वारा घर–घर जाकर नागरिकों से कोरोना की चेन तोड़ने हेतु टीकाकरण कराने की अपील की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से दिनांक 13.05.2021 को मास्क न पहनने वालों व्यक्तियों के लिये रोको टोको अभियान चलाया गया, लोगों को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया गया। मोबाइल से टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किये जाने की जानकारी दी गई। बैंक ऑफ इंडिया में आये खाताधारकों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने एवं मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली द्वारा दिनांक 13 मई 2021 को पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा चैक पोस्ट तेलगवा में तथा आने जाने वाले व्यक्तियों को सैनिटाइजर तथा मास्क वितरण किया गया एवं कोविड–19 का टीकाकरण करवाने हेतु उनके मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को मास्क वितरण किया गया एवं कोरोना महामारी से रोकथाम के विषय में जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के पैरालीगल वालेंटियर द्वारा कोरोना पीड़ित परिवार के घर सम्पर्क कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई एवं सामाजिक दूरी, वेक्सीनेशन हेतु समझाईश दी गई। पैरालीगल वालेंटियर द्वारा जो लोग होम क्वारंटीन है उन्हें घर में रहकर सरकारी दवाइयों के समयानुसार सेवन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिंदवाडा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा द्वारा दिनांक 25.05.2021 ग्राम परस गांव सर्रा में दीवारों पर स्लोगन लेखन लगवाने के लिए लोगों में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया तथा लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए समझाइश दी गई।

पैरालीगल वॉलेंटियर कर रहे जागरूक

दीवार लेखन कर लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक: टीकासर बंसल

श्योपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय श्योपुर के जिला सचिव मानवीय अपर जिला सत्र न्यायधीश श्री आर एम भगवती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी कुंमारी विभूति तिवारी के मार्गदर्शन में पीएलवी टीकासर बंसल द्वारा आज श्योपुर जनपद पंचायत बडो़दा में दीवार लेखन कर वैश्विक महामारी के प्रति लोगों किया जागरूक साथ ही लोगों को मास्क लगाया व मास्क लगाने के लिए आग्रह किया कि वे बिना मास्क के कहीं न जायें। इसीलिए मेरी सभी से अपील है कि मास्क लगाएं और स्वयं अपने और दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखें। बंसल ने कहा की हाथों को स्वच्छ रखें और अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। याद रखें, सफाई, दवाई, कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई।

कोविड-19 सेंटरों हेतु सामग्री वितरित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को मास्क वितरित किए

पैरा लीगल वालंटियर द्वारा चलाया जा रहा जन जागरण अभियान

गांव गांव जाकर कर रहे ग्रामीणों को जागरूक

वीसी से दी महामारी से बचाव की जानकारी

संक्रमितों को बिस्किट एवं मास्क वितरित

तहसील विधिक सेवा की भूमिका रही उत्कृष्ट

टोंकखुर्द। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला सत्र न्यायाधीश श्री योगेशकुमार गुप्ता के निर्देश के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सत्र न्यायाधीश शमरोज खान साहब के निर्देशन पर तहसील विधि सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व्यवहार न्यायधीश श्री शिवचरण पटेल की अगुवाई में 18 से 44 साल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पात्र युवक-युवतियों को पहले वैक्सीन लगाने के लिए पीएलव्ही हरिओम जैन (पत्रकार) ने कलमा, देवली, टोंकखुर्द के दर्जन भर नौ जवान युवक- युवतियों को महामारी वायरस से बचा के लिए बेहतर सुझाव देकर वायरस से बचाव के विकल्प बताकर उत्साह बढ़ाया स्वास्थ्य विभाग की ओर से आहुत शा उत्कृष्ट मा विद्यालय परिसर मे वेक्सीन लगवाने के लिए पहुचे जहा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मेसेज के आधार पर सभी को वेक्सीन करवाया मोके पर मेडिकल अफिसर डॉ. फेमीदा कुरेशी बी.ई.ई.जी.एस. परसनिया, बीपीएम उपाध्याय, एमपीडब्ल्यू हरिश्चंद्र सोलंकी, एएनएम कल्पना दास ज्योति यादव छाया व स्टाफ कर्मचारी अलावा न्यायालय के मनोज कुमारविश्वकर्मा मौजूद थे। जिन्होंने युवा होनहार युवक युवतियों व स्टाफ़ का आभार माना।

कोरोना मुक्त गांव अभियान • मास्क लगाने, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंस का रहे पालन

पैरालीगल वालिंटियर कर रहे लोगों को जागरूक

Vaccination Drive by DLSAs

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा स्वास्थ्य विभाग नीमच के साथ समन्वय से दिनांक 24 मई 2021 को जिला जेल नीमच एवं उप जेल जावद में 45 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वैक्सीनेशन के फायदे और कोरोना बीमारी में समय पर उपचार के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस तारतम्य में जिला जेल में 96 पुरुष एवं 6 महिला कुल 102 बंदियों का तथा उप जेल जावद में भी 45 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 20 बंदियों का वैक्सीनेशन किया गया।

जिला न्यायाधीश ने कम्युनिटी के गांव में पहुंच कर राशन और दवाई किट वितरण किया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर द्वारा दिनांक 06.05.2021 को जिला जेल, छतरपुर में निरुद्ध 45 वर्ष से अधिक उम्र के बंदियों के लिए चिकित्सीय परीक्षण वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाई गयी। शिविर में बंदियों को उनके अधिकार व विधिक सहायता योजना, कोविड–19 से बचाव संबंधी जानकारी प्रदाय की गई।

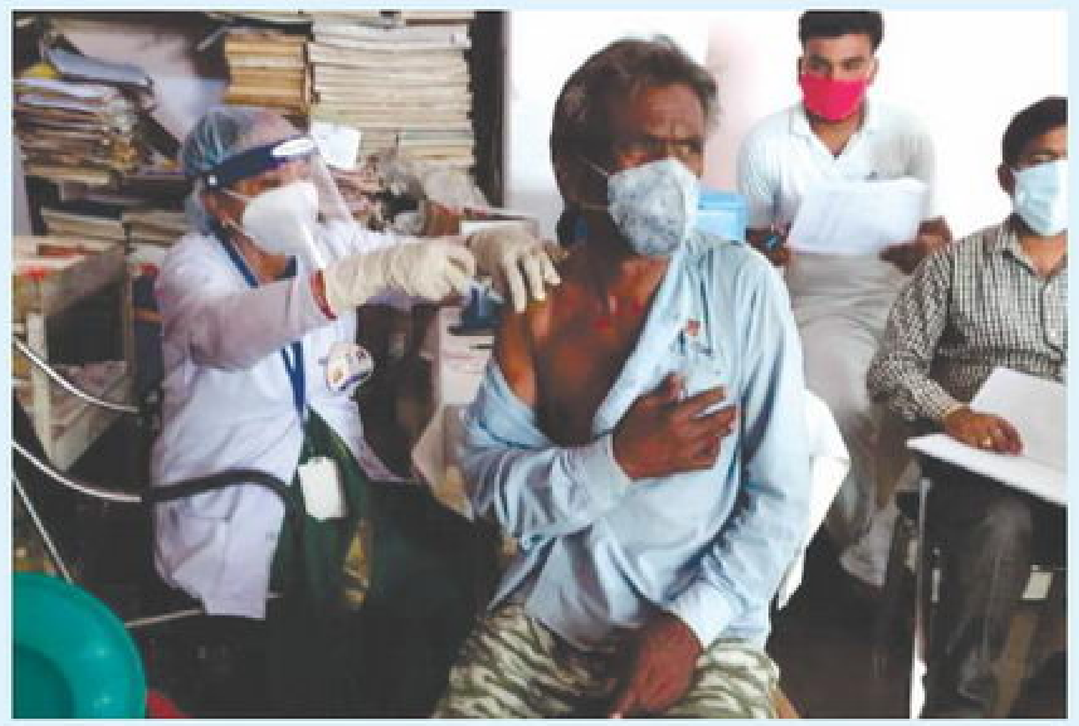

"If I love myself despite my infinite faults,

how can I hate anyone at the glimpse of a few faults"

~ Vivekananda

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया गया। इस तारतम्य में देवास क्षिप्रा में भ्रमण कर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया तथा टीकाकरण से मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। आम जन को रोको टोको अभियान के तहत मास्क सेनेटाइजर के उपयोग के बारे में बताया गया। पैरालीगल वालेंटियर्स की टीम द्वारा आमजन को टीकाकरण केन्द्र में ले जाकर टीका लगवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा कोरोना काल में इंदौर के नेहरू नगर पिंक फ्लावर स्कूल के वैक्सीनशन सेंटर पर टीकाकरण में सहयोग प्रदान किया गया एवं क्षेत्र के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उयोग करने के लिए प्रेरित किया। पैरालीगल वालेंटियर द्वारा 18+ आयु के नवयुवको का रजिस्ट्रेशन कर स्लॉट बुक करवाकर टीकाकरण हेतु शहरी क्षेत्र में डोर–टू–डोर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा दिनांक 10 मई 2021 को ए.डी.आर भवन शिवपुरी में न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण हेतु वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे चरण में वैक्सीनेशन किया गया।

Corona Free Village Programme Under Litigation Free Village Scheme

Taking into consideration the difficulties being faced by the people at large and the overworked administration including medical staff, MPSLSA issued guidelines for Corona Free Villages and communities.

The following guiding principles have been made to help members of the community organize themselves, reduce the pressure on government machinery and create a circle of positivity:-

PREVENTIVE MEASURES-

1. Sarpanch, Members of Panchayat and Panchayat Secretary create awareness through intensive campaigns:-
   a) What is corona?
   b) How it may occur and spread?
   c) Effect of Corona.
   d) Benefits of vaccination

2. Involvement of Religious Leaders, Teachers of Primary School and Anganwadi Workers in the awareness camp with special emphasis on-
   a) Need and method for wearing masks, necessity of maintaining six feet social distance, frequent hand washing.
   b) Awareness of "suspected person"- Sore throat, fever, body ache, diarrhea breathlessness, loss of taste etc.

3. Ensuring availability of oxymeter, thermal scanner, basic corona medicines including Azithromycin, Ivermectine and Doxycycline, Zinc, Magnesium and Vitamin D_3.

ISOLATION & AVOIDANCE MEASURES-

4. Smoking, chewing tobacco and liquor consumption be avoided with awareness that such substances decrease body immunity.
5. Restriction to visiting towns, weekly markets, haat bazaars and crowded places.
6. Community leaders to restrict and quarantine incoming traders/agents/hawkers from nearby towns to sell various products to villagers to preempt potential carriers of Corona.

7. Marriage celebrations, funerals and religious or cultural gatherings, evening folk dances.
8. Quacks, half baked advice of local un-authorised medical practitioners (i.e. ojhas, neem, hakeems and jholachhap doctors) and rumor mongering.
9. Suspected persons, Labourers and students returning from cities be kept in isolation in school building /Panchayat buildings etc. and avoidance of proximity with old aged people and small kids.

POSITIVE MEASURES-

10. Vaccination, early identification, isolation and RTPCR or CT -Scan

11. Intake of simple, locally available fresh food rich in vitamin C, like Lemon etc, hot drinks and steam inhalation in case of congestion.
12. Isolated persons be given the message of- "We are with you".
    a) Arrange to send food, medicine and daily needs twice a day through community mobilization in safe environment.
    b) Daily inquiry about temperature and general wellbeing.
    c) Simultaneously evening prayer for well being of all particularly the patient in every home with the ringing of temple or church bell or azaan as the case may be
13. Arrangement of dedicated vehicles to cater to daily needs.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर द्वारा दिनाँक 03.05.2021 को प्रदत्त प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप कोरोना मुक्त ग्राम हेतु पैरालीगल वोलेंटियर द्वारा ग्राम वासियो के समन्वय से ग्राम छिरखेड़ा में बाहरी व्यक्तियों को ग्राम में आने से निषेध के संबंध में बैरिकेट लगाये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा विवाद विहीन ग्राम के रूप में ग्राम सगौना को चयनित किया गया है। उक्त ग्राम के पैरालीगल वालेंटियर को कोरोना जागरूकता अभियान एवं सेवाकार्य, कोरोना वैक्सिनेशन के संबंध में जागरूकता अभियान व आदर्श ग्राम स्थापित किये जाने के संबंध में वर्चुअल बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा दिनांक 09.05.2021 को अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति नरसिंहगढ़ व विवाद विहीन ग्राम श्यामपुरा के सेवा दल के सदस्यों के साथ ऑनलाईन माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में सेवा दल के सदस्यों को विवाद विहीन ग्राम, आदर्श ग्राम, कोरोना मुक्त ग्राम बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रचार प्रसार करने तथा ग्रामीणों को जागरूक करने के बारे में जानकारी दी। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम श्यामपुरा को कोरोना मुक्त ग्राम बनाने के उद्देश्य से सरपंच, सचिव एवं ग्राम के अन्य गणमान्य नागरिक, पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से ग्राम के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, अन्य सावधनियों के लिए प्रेरित किया गया।

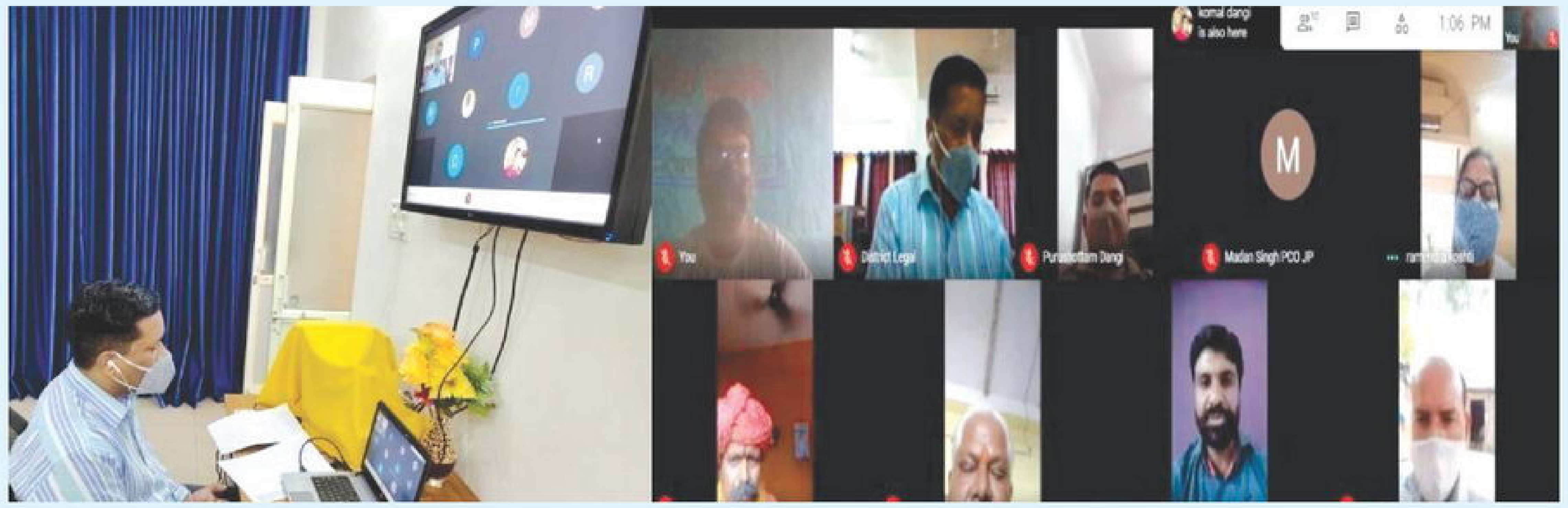

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा ग्राम यशवंतनगर में कोरोना मुक्त ग्राम एवं किल कोरोना अभियान चलाया गया। जिसमें आशा कार्यकर्ता एवं अन्य समाजसेवियों के सहयोग से पैरालीगल वालेंटियर द्वारा ग्रामीणजन को कोरोना से बचाव हेतु मास्क का उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी तथा ग्रामीणों में कोविड के लक्षण आने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर जाँच तथा दवा लेने के संबंध में जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सीधी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा विवाद विहीन ग्राम योजना के तहत जनपद पंचायत एवं तहसील कुसमी के ग्राम करेल का चयन किया गया था, उक्त गांव में कोराना मुक्त ग्राम योजना के तहत स्वयंसेवी दल के सदस्यगण से चर्चा की गई। उन्हें उक्त ग्रामों को कोरोनावायरस मुक्त किए जाने के लिए जागरूक किया गया। ग्राम के लोगों को कोविड–19 के तहत शासन द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने तथा वैक्सीनेशन करवाए जाने के लिए जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर

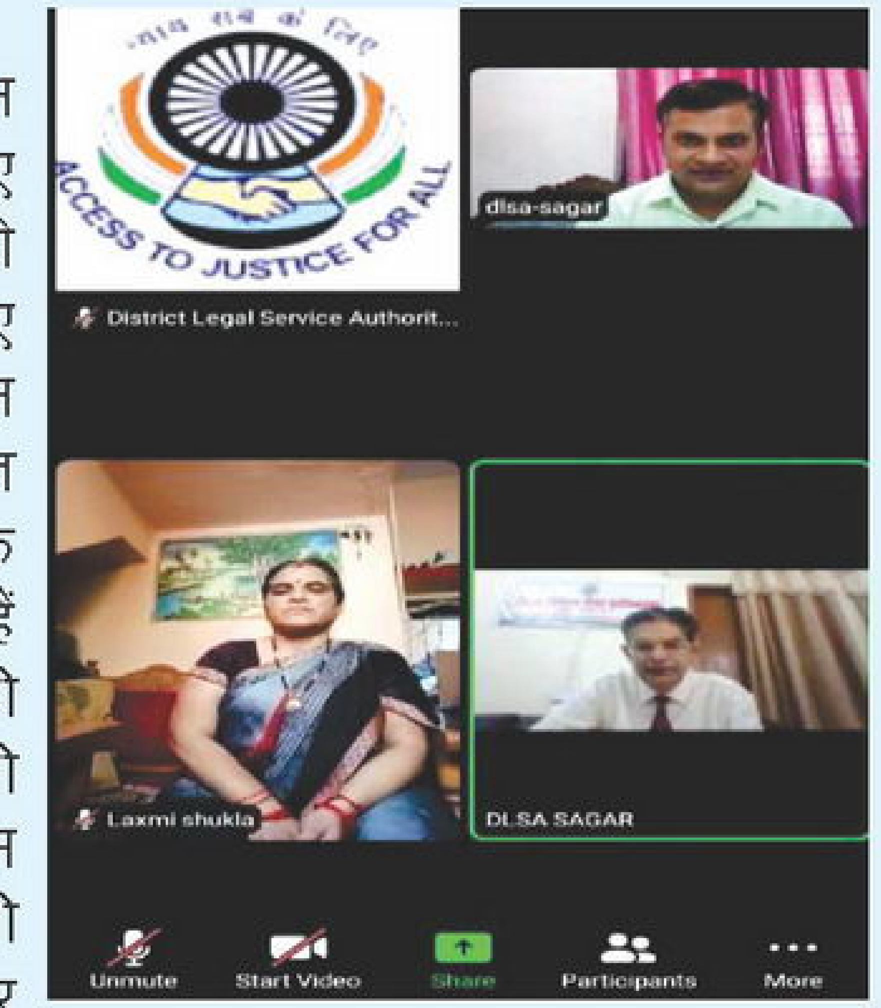

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा विवाद विहीन ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना एवं कोरोना मुक्त ग्राम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के उद्देश्य से दिनांक 13 मई 2021 को विवाद बिहीन ग्राम रिछाई बिनेका एवं महुआ खेड़ा कला के लिए गठित स्वयंसेवी सेवा दल के सदस्यों के साथ ऑनलाइन परिचर्चा/मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दोनों ग्रामों में कोई भी विवाद लंबित नहीं हैं इस भावना को आगे भी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे आपसी समझौते के द्वारा ही उसका निराकरण करें। परिचर्चा में आदर्श ग्राम के अंतर्गत जल सरंक्षण, बच्चों की शिक्षा बेहतर करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा किसी प्रकार की परेशानी होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर से संपर्क करने के लिए कहा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

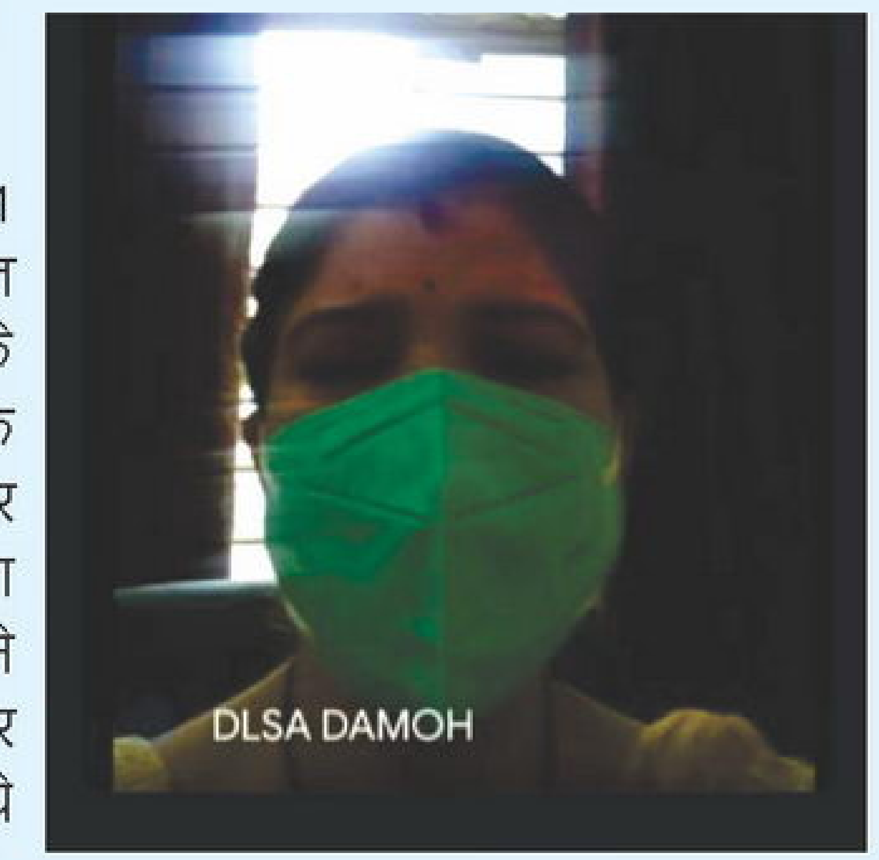

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा दिनांक 12.05.21 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पथरिय एवं समस्त सरपंच सचिव के मध्य ऑनलाईन माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर एवं ग्रामो को कोरोना मुक्त बनाने हेतु राज्य प्राधिकरण की कार्ययोजना पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा ग्रामों को कोरोना मुक्त बनाए जाने एवं बनाए रखने हेतु कार्ययोजना को विस्तार से बताया गया। कार्ययोजना अनुसार ग्रामों में कार्य किए जा रहे हैं जिसमें कोरोना से बचाव के लिये सड़क, दीवाल, सार्वजनिक स्थान पर स्लोगन लिखवाये जा रहे है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम की परिकल्पना को साकार करने हेतु दिनांक 13.05.2021 को विवाद विहीन ग्राम भृगावली पंचायत भुआरा में ग्रामीणजनों को कोरोना के बचाव सम्बन्धी दिशा निर्देश दिए एवं लक्षण दिखने पर तुरन्त कोविड हॉस्पिटल या पंचायत को सूचना करने की जानकारी दी। पैरालीगल वालेंटियर द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम हेतु प्रमुख बिंदुओं से ग्रामीणजन को अवगत कराया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.05.2021 को ऑनलाईन माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना मुक्त गांव की कार्य योजना के संबंध में विवाद विहीन ग्राम देवरा तथा ग्राम कठहवा के सरपंच सचिव तथा आगनबाडी को निर्देशित किया गया तथा कार्य योजना की बिंदुवार जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा दिनांक 05.05.2021 को विवाद विहीन ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम सालोरा में सेवा दल के सदस्यों के साथ ऑनलाईन माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया, उक्त बैठक में तहसीलदार, पटवारी, तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्य तथा अन्य ग्राम पदाधिकारी सम्मिलित हुए, उक्त बैठक में ग्राम पंचायत के लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने हेतु बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके अनुसार उक्त ग्राम के पंचायत भवन में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जिससे कि गांव से बाहर पढ़ने वाले छात्रों एवं रोजगार हेतु जाने वाले लोगों को कुछ समय तक उक्त भवन में ही रखा जा सके।

"Our lives begin to end the day we become silent about things the matter."

~ Martin Luther King

आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश

Extending the reach of Ayushmaan Cards to Corona Victims

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015 के अन्तर्गत झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत दिनांक 10.05.2021 को ग्राम ढेर एवं छोटी नलदी में पैरा लीगल वालिंटियर के सहयोग से गरीब पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये गये तथा आमजन को कोरोना से रोकथाम एवं बचाव का संदेश देकर आमजन को जागरूक किया।

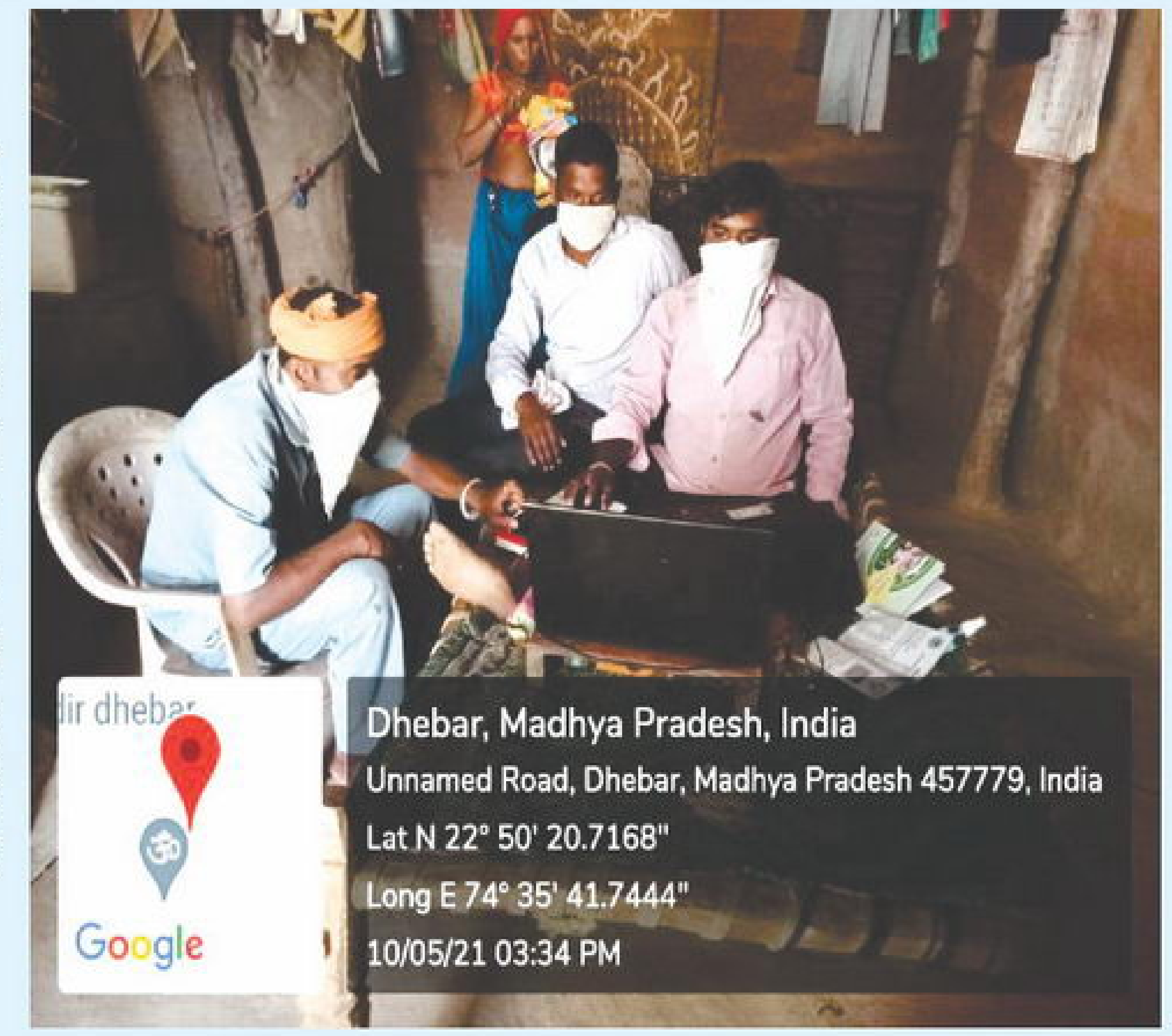

"It always seems impossible until it's done."

~ Nelson Mandela

पैरालीगल वालिंटियर ने कोरोना से बचाव की ग्रामीणों को दी जानकारी

अनोखा तीर, बड़वाह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा तहसील विधिक सेवा समिति बड़वाह के दो पैरालीगल वालंटियर को प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शनिवार को अपने क्षेत्र में जाना है। जहां ग्रामों व बस्तियों में कोरोना रोकथाम के उपाय शासन की योजनाओं व दिशानिर्देशों के संबंध में लोगो तक जागरूकता अभियान चलाना है। जिसके तहत पैरालीगल वालंटियर दीपमाला शर्मा और आरएन सावलदे द्वारा ग्राम थरवर जो कि अपने आप में कोरोना मुक्त ग्राम है। यहां दो लोगों को बुखार और सर्दी खांसी

होने पर बड़वाह अस्पताल में भर्ती किया गया था। जो कि स्वस्थ होकर वापस घर लौट चुके हैं। थरवर ग्राम के पंचायत भवन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आसपास की महिला व सरपंच की उपस्थिति में सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान सदस्यों ने ग्रामीणों को गाइडलाइन के तहत मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी प्रकार से सार्वजनिक आयोजन ना करनने की सलाह दी ताकि घर के बुजुर्ग, बच्चे युवा कोरोना से मुक्त रहें।

ग्राम में आयुष्मान कार्ड योजना के संबंध में भी सरपंच से बातचीत कर किसी के अस्वस्थ होने पर उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ गरीबों को दिलाए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। गौरतलब है की ग्राम थरवर में 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई जाना है। गांव के पैरालीगल वालंटियर द्वारा घरो पर कोरोना से बचने के संबंध में सार्वजनिक स्थानों पर स्लोगन चिपकाए गए। सदस्यों ने कोरोना अथवा विधिक सहायता हेतु हेल्पलाइन नम्बर 15100 पर जानकारी लेने के लिए बताया गया।

दो मरीज स्वस्थ, कोरोना मुक्त हुआ ग्राम थरवर

बड़वाह | तहसील विधिक सेवा समिति बड़वाह के दो पैरालीगल वालंटियर को प्रत्येक सप्ताह के सोमवार व शनिवार को अपने क्षेत्र के ग्रामों व बस्तियों में कोरोना से बचने के उपायों, शासन की योजनाओं व दिशा निर्देशों के संबंध में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जिसके तहत पैरालीगल वालंटियर दीपमाला शर्मा व आरएन सावलदे ग्राम थरवर में कोरोना से बचने की जानकारी दे रहे हैं। ग्राम थरवर कोरोना से मुक्त ग्राम भी है। यहां दो लोगों को बुखार व सर्दी खांसी होने पर बड़वाह अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो स्वस्थ होकर वापस घर आ चुके हैं। पंचायत भवन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिलाओं व सरपंच की उपस्थिति में सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए दी गई। ग्राम में आयुष्मान कार्ड योजना के संबंध में सरपंच से चर्चा कर किसी के अस्वस्थ होने पर उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ गरीबों को दिलाए जाने के संबंध में जागरूक किया। लोगों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का उपयोग करने व सोशल डिस्टेंस के पालन की समझाइ दे रहे हैं।

खरगोन हरिभूमि 07

पैरालीगल वॉलेंटियरों ने चलाया कोरोना मुक्त गांव अभियान

हरिभूमि न्यूज ▶▶ खरगोन

शहरी इलाकों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जनजागरूकता के लिए पैरालीगल वॉलेंटियरों ने अब मोर्चा संभाला है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की कोरोना मुक्त कार्ययोजना के तहत कोरोना मुक्त गांव अभियान चलाकर लोगों से जनसंवाद किया जा रहा है। वालिंटियर इरफान खान ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर, चौपाल, चौपाल पहुंचकर गांववासियों को कोरोना संक्रमण व इससे बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शनिवार तहसील विधिक सेवा समिति के पैरालीगल वालेंटियर द्वारा ग्राम गोपालपुरा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रबुद्धजनों की बैठक ली गई। इसके अलावा जनसंपर्क कर आमजन को मास्क लगाने, बार. बार हाथ धोने, जरुरी काम होने पर ही घर से निकलने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसी महत्वपुर्ण जानकारी दी गई। वॉलिंटियर जिन लोगो का अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उन्हें कार्ड का महत्व व कार्ड बनवाने में मदद भी की जा रही है। राशन के लिए अस्थाई पर्ची बनवाकर राशन भी दिलवाया जा रहा है। खान ने बताया शहरी क्षेत्र में जहां वैक्सीनेशन को लेकर लोग उत्साहित है वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों वैक्सीन को लेकर भ्रम भी है। जिसे दूर कर लोगो को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पैरा लीगल वालेंटियर इरफान खान, नीलम पगारे, दाऊद खान, कविता सोनोने, मुन्नी मण्डलोई आदि ग्रामीणों से संवाद के दौरान कोरोना काल के दौरान सामुहिक कार्यक्रम जैसे शादी, मृत्यू भोज आदि न करने के लिए अपील कर रहे है।

गांव-गांव संवाद... शादी, मृत्युभोज आदि न करने के लिए अपील

पैरालीगल वॉलेंटियरों ने चलाया कोरोना मुक्त गांव अभियान

''विवाद विहीन ग्राम के सेवादल सदस्यों के साथ किया संवाद'

छिंदवाड़ा,देशबन्धु। मान0जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी0पी0शर्मा के मार्गदर्शन में वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें विवाद विहीन ग्राम चारगाँव पिंजारा तहसील अमरवाड़ा के सेवा दल सदस्य एवं ग्रामीणों को ऑनलाईन कनेक्ट कर आपदा पीड़ित को विधिक सेवाएँ योजना विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त ऑनलाईन विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश श्री अरविंद गोयल ने सेवादल के सदस्यों तथा ग्रामीणों को संबोधित करते हुये कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माह अक्टूबर 2020 में चारगाँवपिंजारा को विवाद विहीन ग्राम घोषित किया था। विवाद विहीन ग्राम घोषित होने के बाद ग्रामवासियों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है उसके लिये सभी सेवादल के सदस्य बधाई के पात्र हैं। वर्तमान में कोरोना से शहर ही नहीं बल्कि गाँव भी अछूते नहीं रहे हैं। आपके गाँव में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है और भविष्य में भी संक्रमण आपके गाँव में न फैले इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन ग्राम के हर निवासियों को सुनिश्चित करना चाहिये। इसके साथ ही हर व्यक्ति को कोविड वैक्सिन अवश्य लगवाना चाहिये। सेवा दल के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम चारगाँवपिंजारा के निवासियों द्वारा टीकाकरण में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस हेतु श्री गोयल ने ग्रामवासियों को टीकाकरण के लिये प्रेरित किया तथा साथ कहा कि यदि ग्रामवासी चाहें तो ग्राम में अथवा ग्राम के आस-पास ही टीकाकरण कार्यवाही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कराई जावेगी।

68 ग्रापं में संक्रमण रोकने बनाई कार्य योजना

उदयपुरा| मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमकार नाथ प्रधान की अध्यक्षता में तहसील उदयपुरा एवं देवरी की 68 ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। स्थानीय व्यवहार न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति उदयपुरा वरुण चौहान ने इस कार्य योजना में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें लगातार साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर को उपयोग करना, खांसते छींकते समय मुंह और नाक को ढंकना, हमेशा बाहर निकलते समय दो मास्क का उपयोग करना, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाना की बात कही गई है। इसके अलावा लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिना हाथ धोएं अपनी आंखों और नाक एवं मुंह को ना छुएं, व्यक्ति को पौष्टिक आहार अर्थात विटामिन सी युक्त फल जैसे नीबू आम अनानास का सेवन करना, धूम्रपान नहीं करना चाहिए।

कोरोना मुक्त ग्राम थरवर, विवाद विहीन ग्राम होने से किया जागरूक, पैरालीगल वालिंटियर ने कोरोना से बचने की दी जानकारी

बड़वाह (सुनील परिहार) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति बड़वाह के दो पैरा लीगल वालंटियर को प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शनिवार को अपने क्षेत्र के ग्रामों व बस्तियों में कोरोना से बचने के उपायों, शासन की योजनाओं व दिशानिर्देशों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके तहत पैरालीगल वालंटियर दीपमाला शर्मा और आर.एन. सावलदे द्वारा विवाद विहीन ग्राम थरवर जो कि अपने आप में कोरोना से मुक ग्राम भी है, यहां दो लोगों को बुखार और सर्दी खांसी होने पर बड़वाह अस्पताल में भर्ती किया गया था जो कि स्वस्थ होकर वापस घर आ चुके हैं। थरवर ग्राम के पंचायत भवन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आसपास की महिला व सरपंच की उपस्थिति में सरकार द्वारा कोरोनावायरस से बचने के लिए दी गई गाइडलाइन, जिसमेंमहत्वपूर्ण है मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी प्रकार का कोई भीड़ भाड़ का आयोजन ना करना, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, जैसे वह सारे उपाय बताए गए जिससे घर के बुजुर्ग, बच्चे और युवा कोरोना से मुक्त रहें। ग्राम में आयुष्मान कार्ड योजना के संबंध में भी सरपंच से बातचीत कर किसी के अस्वस्थ होने पर उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ गरीबों को दिलाए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। गांव में कोरोना का भय सामान्य रूप से बना हुआ है, बहुत से लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है बहुत से 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। गांव के लगभग 20 से 25 घरों में सचिव रूपेश सोहनी के साथ गलियों से गुजरते हुए पैरालीगल वालंटियर द्वारा कोरोना से बचने के संबंध में, सार्वजनिक स्थानों पर स्लोगन चिपकाए गए, चौपाल पर बैठे हुए कुछ युवाओं को मास्क ना लगाने पर कड़ी समझाइश दी गई कि बिना मास्क के घर से ना निकले, जिस तरह से आप बिना चप्पल पहने घर से नहीं निकलते हैं, अपने पैरों की सुरक्षा रखते हैं, ठीक वैसे ही मास्क को भी कोरोना से सुरक्षित रखने में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बनाए रखने में, अनिवार्य से लेकर ही निकले, बिना मास्क के लगाएं लोगों के बीच ना जाएं। उपस्थित लोगों को किसी भी प्रकार की कोरोना अथवा विधिक सहायता हेतु हेल्पलाइन नम्बर 15100 पर जानकारी लेने के लिए बताया गया। लगभग 1 घंटे चले इस जागरूकता अभियान में गांव के जागरूक लोगों द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।

पैरा लीगल वालंटियर कोरोना मुक्त गांव अभियान के तहत कर रहे ग्रामीणों को जागरूक'

कसरावद. इस बार कोरोना की लहर ने शहरी क्षेत्र के बजाए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तबाही मचाई ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा एवं जागरूकता की कमी के कारण संक्रमण काफी तेजी से फैला जिसको लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम अभियान चलाया जा रहा है

उक्त अभियान के तहत जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रोबिन दयाल तथा अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति न्यायाधीश कसरावद श्री संतोष सैनी जी के निर्देश कसरावद पैरा लीगल वालंटियर श्री आकिल खान एवं देवदत्त एकल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों से जन संवाद किया जा रहा है तथा घर घर चौपाल चौपाल जाकर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण इससे बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है उसी तारतम्य में आज ग्राम छोटी कसरावद में पैरा लीगल वालंटियर द्वारा जनसंपर्क कर ग्रामीणों को मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हां धोनी जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई जनसंपर्क अभियान में छोटी कसरावद सरपंच रमजान खान ग्रामीण अनवर खान एअब्दुल अजीजए सिराज खानए महेशए अनवर अलीए कैलाश बघेल एदेवा पटेलए आदि ग्रामीण मौजूद रहे वही छोटी कसरावद पंचायत सचिव परमानंद पांडे को जब उक्त कार्यक्रम में सहयोग के लिए कहा गया तो उन्होंने आदेश नहीं होने की बात कर कार्यक्रम में आने से इंकार कर दिया

जिला विधिक सेवा समिति द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम कार्ययोजना का शुभारंभ

विधिक सेवा समिति उदयपुरा की कार्ययोजना, 68 ग्राम पंचायतों में जागरूकता के निर्देश

घातक रिपोर्टर, मिथलेश मेहरा, रायसेन/उदयपुरा।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तथा ओमकार नाथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला सेवा प्राधिकरण रायसेन की अध्यक्षता तहसील उदयपुरा सेवा प्राधिकरण उदयपुरा एवं देवरी के 68 ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों के लिए निवारक कार्य योजना तैयार की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तीन चरणों मे कोरोना महामारी रोकथाम की कार्य योजना पर पंचायत स्तर पर कार्य किया जाएगा। न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुरा के अध्यक्ष वरुण चौहान के द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है जिसमे सरपंच और सचिवों को कोरोना रोकथाम को लेकर ग्रामीणों को रंगीन चित्रों, तकनीकी प्रचार-प्रसार व्हाट्सएप, ईमेल आदि से सभी को विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना प्रेषित कर दी गई है। वंही सरपंच और सचिवों को जो कार्य योजना प्रदान की गई है उसमें स्वक्षता पर विशेष ध्यान देना, सेनेटाइजर का उपयोग करना, दो मास्क पहनना, दो गज की दूरी, ग्राम को सेनेटाइज कराना, खासते समय मुह को ढकना, ग्राम में हाट बाजारों में भीड़ को रोकना, अनावश्यक भीड़ न लगाना आदि निर्देशो को पालन कराने के लिए सरपंच और सचिवों को निर्देशित किया गया है।

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
95	56	151

----- XXX -----

"Intellectual growth should commence at birth and cease only at death."

~ Albert Einstein

जिला जेल में ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन

झाबुआ@पत्रिका. करें योग-रहें निरोग का तीन दिवसीय ऑनलाइन योगा कैम्प जिला जेल में प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस जिला जज राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन तथा अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश देवलिया के ... ठीक बनाए रखने के लिए प्राणायाम अनुलोम विलोम, कपाल भांति, भस्तरिका आसन व्यायाम आदि सिखाए। अपर जिला जज राजेश देवलिया ने ऑनलाइन योग कैम्प का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्राणायाम से फेफड़े मजबूत रहते हैं, योग करने ...

स्वास्थ्य बीमा संबंधी मामलों की ऑनलाइन शिकायत/सुनवाई

इंदौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल

गांव-गांव संवाद... शादी, मृत्युभोज आदि न करने के लिए अपील

पैरालीगल वॉलेंटियरों ने चलाया कोरोना मुक्त गांव अभियान

वार्ड 11 में श्रमिक दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न, पैरालीगल वॉलेंटियर ने किया आयोजन

कोर्ट के बाहर सामुदायिक मध्यस्थता से बन रही बिगड़ी बात

ग्राम बड़वेल में कोरोना महामारी से बचाव पर लगाई कार्यशाला

महेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, तहसील विधिक सेवा समिति महेश्वर, के माध्यम से 'कोरोना मुक्त गांव' की कार्ययोजना का विजन विहीन ग्राम बड़वेल में प्रचार प्रसार हेतु कोविड 19 नियमानुसार ग्राम पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

गांव-गांव जाकर बता रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय

पैरा लीगल वालंटियर द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा

दैनिक सिंगाजी समाचार,मंडीदीप,देवेंद्र विश्वकर्मा मंडीदीप

कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

काम की खबर

टोल फ्री नंबर 15100 पर मिलेगी सहायता

सीहोर| कोरोना संक्रमण काल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध करने के लिए टोलफ्री नंबर 15100 नंबर जारी किया है। इस पर कॉल करके व्यक्ति अपनी समस्या बताकर कानूनी सहायता ले सकता है। पीड़ितों ...

ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया

रतलाम। उमेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम के मार्गदर्शन में अरुण श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश सचिव एवं सुश्री पूनम तिवारी जिला विधिक सहायता अधिकारी के निर्देशानुसार नालसा योजना आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवाएं योजना, 2010 अंतर्गत कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम में पैरा लीगल वालंटियर विजय शर्मा द्वारा जय कैला माता शैक्षणिक समिति संस्था द्वारा संचालित आरोग्य प्रकोष्ठ के माध्यम से बेंजामिन अल्फेड निवासी शास्त्री नगर रतलाम निवासी को कोरोना संक्रमण होने से ऑक्सीजन सिलेंडर की नितांत आवश्यकता थी, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। इसी तारतम्य में श्रीमती शबाना बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद लियाकत निवासी शनि मंदिर रतलाम को पूरा भोजन राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर विजय शर्मा पैरा लीगल वालंटियर, सचिन जयसवाल एवं निलेश खाबिया, सारंग लोवलेकर एवं अधिवक्ता निसार खान, करण सिंह राजावत, मुनव्वर खान उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस प्रयास से ज्यादा से ज्यादा जरूरत मन्द व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिलाया जा सकता है।

लोगों को कोरोना वेक्सीन लगवाने हेतु जागरूकता अभियान

पीपीटी - श्योपुर

श्योपुर। नजिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर के सचिव मा. आरएम भगवती द्वारा लोगो में वेक्सीन के प्रति भय को समाप्त करने हेतु पीएलवी श्रीमती अंजना मारवाडी के साथ मिलकर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर, उपस्थित लोगों को वैक्सीन लगाने की समझाईश देते हुए, जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही स्वयं को वैक्सीन लगवाई। जिससे लोगो में वैक्सीन के प्रति डर समाप्त होगा। साथ ही वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आम लोग आगे आयेंगे। जिससे कोरोना संक्रमण से निजात अवश्य मिलेगी।

ऑनलाइन बाल कल्याण समिति व वन स्टाप सेंटर का किया गया निरीक्षण

तकीपुरा उप जेल बंदियों को तीन दिवसीय योगाभ्यास का आयोजन

टीकाकरण वैक्सीन के रूप में किया जा रहा है उसे समय पर रजिस्ट्रेशन करवाकर आवश्यक रूप से लगवाएं

जागरूकता, सेवा, सहयोग के लिए विधिक सेवा बना आधार

स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सर्विस सेक्टर के लिए वर्चुअल हियरिंग

जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को दी आपदा में सहायता की जानकारी

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Madhya Pradesh State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001 (M.P.)

Toll Free No.: **15100**, Fax: 2678537 email : mplsajab@nic.in website: mpslsa.gov.in

ONLY FOR PRIVATE CIRCULATION

Designed & Printed by: GAPP, JBP, gagrc@hotmail.com, ISO-9001:2015, Mo. 09425151241